Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ५] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का ५१वां दिवस [संख्या ३२

मंगलवार, ७ अप्रेल, १९५९

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बजकर ११ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

बीकानेर शिक्षा विभाग के एक यू.डी.सी. को वेतन वितरण

६३० **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सीटी) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) बीकानेर शिक्षा विभाग के यू. डी. सी. श्री दामोदरलाल व्यास को सन् १९४८ से २. १२. ५१ तक का वेतन अब तक क्यों नहीं दिया गया ?

(२) इनका प्रार्थना पत्र सरकार के पास कब से विचाराधीन है ?

मंत्री राजस्व विभाग (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) चूंकि इस काल में श्री दामोदरलाल व्यास अनएक्जोंव्ड रहे और यह समय उनके लिए अवैतनिक अवकाश का माना गया है

(२) ११ अक्टूबर सन् १९५८ से।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : ये श्री दामोदरलाल व्यास कौन हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जिनके लिए प्रश्न पूछा गया वही हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : नहीं देने का कारण क्या बतलाया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उनकी सर्विसेज़ बीकानेर गवर्नमेंन्ट के ज़माने में टरमीनेट करदी गई थी, बाद में उन्होंने अपील की जिसमें वह ऑर्डर सेट असाइड हो गया जितने अर्से तक सस्पेन्शन का पीरियड रहा, उस पीरियड को लीव विदाउट पे माना गया।

श्री जनार्दनराय नागर: क्या श्री दामोदरलाल व्यास हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, मुगालता हो रहा है ?

Page No.2

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं, वह नहीं है।

डा० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार जयपुर) : सर्विस टरमीनेट करने के बाद क्या उनको री-इन्सटेट किया गया था।

श्री दामोदरलाल व्यास: सर्विस टरमीनेट की थी, बीकानेर स्टेट के ज़माने में। राजस्थान में अपील करने पर सन् ५३ में वापिस रीइन्सटेट किया गया। जिन सर्कम्सटान्सेज़ में ऑर्डर हुआ था और जिन सर्कम्सटान्सेज़ में कैंसिल किया गया था उसमें गवर्नमेन्ट ने मुनासिब समझा कि उस पीरियड को लीव विदाउट पे माना जाय।

डॉ० चन्द्रकला: अब किस पर विचार हो रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास: फरदर रिप्रेजेन्टेशन पर हो रहा है।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): According to service rules, if a person is reinstated, then he is eligible for the pay for the period he was not on duty.

श्री दामोदर लाल व्यास: Not necessarily. All the cirumstances of the case have to be considered and the Government is competent to order treating that period with or without pay.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी) : रिइन्सटेट किया गया तो उसका अर्थ यह हुआ कि पहला ऑर्डर गलत था तो फिर उसको तीन साल का वेतन क्यों नहीं दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : यह व्यक्तिगत मामला था, पहले प्रश्न पूछा गया वह भी व्यक्ति गत मामला था।

श्री मुरलीधर व्यास: व्यक्तिगत मामला है फिर भी जब रिइन्सटेट किया गया तो वेतन मिलना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष: उन्होंने बता दिया है। इस तरह से बहस करने लगेंगे तो कोई अंत नहीं होगा। किसी को तनख्वाह नहीं मिली तो झट से प्रश्न पुछवा सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास : तीन साल तक नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कहा है कि टरमीनेशन पीरियेड में रहा, इसलिए नहीं मिली। अब उसे रेगुलराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री भीमसेन।

तहसील लूणकरणसर व बीकानेर में ढालबाच्छ में तावान की वसूली

६३१. श्री भीमसेन (लूनकरणसर): क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) तहसील लूनकरणसर व बीकानेर के पटवारियों को संवत् २०१४-१५ की ढाल बाच्छ तैयार करने से पूर्व तावान की शरह के सम्बन्ध में क्या क्या हिदायतें दी गई !

(२) क्या यह सही है कि जागीर के वक्त से काश्त किये जाने वाले खेतों पर भी ढाल

Page No.3

(श्री भीमसेन)

वान्छ में तावान लगाया जाकर वसूली की जा रही है ?

(३) इस सम्बन्ध में क्या ग्राम मालासर व कतरियासर के किसानों ने कोई प्रार्थना पत्र सम्बन्धित अधिकारियों को दिये थे ?

मंत्री राजस्व विभाग (श्री दामोदरलाल व्यास) : तहसील लूणकरणसर व बीकानेर के पटवारियों को क्रमशः निम्नलिखित हिदायतें दी गई थी।

१. ढालवान्छ तैयार करते समय जिस किसी के पास तावानी ज़मीन हो रिपोर्ट करके तावान लगायें जाने की मंजूरी तो ली गाये और तावान चार गुना से अधिक न हो।

२. बीकानेर में संवत् २०१५ में रकम का एक गुना तावान लगाया जावे।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां।

श्री भीम सेन: अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के दूसरे भाग का जवाब मिला है, जी नहीं, फिर तीसरे पर किस पर विचार किया जा रहा है। ग्राम वासियों ने रिप्रेजेन्टेशन किया था सरकार के सामने वह यह था कि उनसे तावान वसूली किया जा रहा है, जबकि जागीर के वक्त से वह ज़मीन उनके पास हैं।

श्री दामोदर लाल व्यास: जी ?

श्री भीमसेन: मालासर व कतरियासर के लोगों ने दर्ख्वास्त दी थी कि जागीर के वक्त से तावान वसूल किया जा रहा है। आपने कहा है कि जी नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास : जी ? और कहिये।

श्री भीमसेन : वास्तव में जागीर के वक्त से तावान वसूल किया जा रहा है जो कि टिनेन्सी एक्ट के मुताबिक गैर मुनासिब है।

श्री दामोदरलाल व्यास: नम्बर दो है कि क्या यह सही है कि जागीर के वक्त से काश्त किये जाने वाले खेतों पर भी ढाल बाच्छ में तावान लगाया जाकर वसूली की जा रही है। मैंने इन्कार किया है, जी नहीं। माननीय सदस्य कहते हैं कि जागीर के वक्त से तावान वसूल किया जाता है, अगर किया जाता है, तो वे जानकारी दें, इस पर कार्यवाही की जायगी।

श्री भीमसेन : मालासर के लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया है कि जागीर के वक्त से तावान वसूल किया जा रहा है और उसी वक्त से ज़मीन है। इस सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने इन्कार किया हैं कि जागीर के वक्त से ज़मीन है और तावान वसूल किया जा रहा है, इसकी दर्ख्वास्त नहीं दी है। उसके अलावा दूसरे साल से तावान वसूल करने की दर्ख्वास्त दी हैं।

श्री भीमसेन : जागीर के वक्त से तावान को वसूल करने की दर्ख्वास्त दी है, इस तावान को वसूल न किया जाय। ढाल

Page No.4

(श्री भीमसेन)

ब्रान्च में तावान उनके नाम से दिलाया गया था ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने जैसे अर्ज किया कि प्रार्थना पत्र यिये थे, उसके बाद तावान की वसूली रोक दी गई है । डिस्प्यूट यह कि जागीर के वक्त से तावान है या बाद का है । आप फर्मा रहे हैं कि जागीर के जमाने का है । मैं इसकी जानकारी करके फैसला कर दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

शिक्षा विभाग बीकानेर पर व्यय

६३२. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर-सिटी) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान के शिक्षा विभाग कार्यालय बीकानेर का कुल वार्षिक व्यय क्या है ?

(२) सन् ५७-५८ में डायरेक्टर ने कुल कितने दौरे कहां कहां किये व उसमें कुल कितना खर्च हुआ ?

मंत्री राजस्व विभाग (श्रीदामोदरलाल व्यास):(शिक्षा मन्त्री की ओर से) (१) ३,४२,५२४ ।

(२) इसकी सूची सूचनार्थ सदन की मेज़ पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ठ संख्या १ देखिए)

श्री मुरलीधर व्यास : यह जो दौरे किये जाते हैं, ये दौरे मोटर के ज़रिये किये जाते हैं अधिकांश, या ट्रेन के ज़रिये किये जाते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मोटर से, रेल से, और आवश्यकता पड़ जाय तो हवाई जहाज से ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : What is the amount of T. A. and D.A.

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

श्री मुरलीधर व्यास : सवाल यह है कि जहां आवश्यक नहीं है, उसके लिए नियम है क्या ? मोटर के ज़रिये दौरे अनावश्यक रूप से करने से टी. ए. ज्यादा बन जाता है, और सरकार पर भार होता है । इस दृष्टिकोण से आवश्यकता हो तब मोटर से दौरे किये, तो ठीक है । नहीं तो अधिकांश टी. ए. बढ़ाने के लिए किये जाते हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपसे अर्ज किया कि नियम बने हुए हैं और उन नियमों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए । अगर किसी ने विरुद्ध कार्यवाही की है तो ध्यान दिलाये ।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या घोड़े और ऊंटों से दौरे किये जाते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर आवश्यकता हो तो किये जाते हैं ।

श्री पी० के० चौधरी : टी. ए., डी. ए. का अमाउन्ट कितना है ?

Page No.5

श्री दामोदरलाल व्यास : That amount is not with me at the moment.

श्री पी० के० चौधरी : But you have got the list.

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes I have got the list, but you did not enquire about T. A. and D. A. That is a separate question. कहां कहां दौरे किये हैं, इसकी मैंने लिस्ट दे दी है।

श्री पी० के० चौधरी : कुल कितना खर्चा हुआ, कितने दौरे किये है ?

श्री अध्यक्ष : यह दिया हुआ है, लिस्ट में अमाउन्ट दिया हुआ है।

श्री पी० के० चौधरी : डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर ने कुल कितने दौरे कहां कहां किये ?

श्री अध्यक्ष : That is given in the list.

श्री पी० के० चौधरी : The total is not given. There is no total.

श्री अध्यक्ष : You can see the list and make the total.

श्री दामोदरलाल व्यास : The total is given against each. For example in list No. 1, the amount spent by Deputy Director of Education from 1-4-57 to 31-3.58 is Rs. 2,056.25 Np and a sum of Rs, 4240.03 Np was spent by Director of Education from 1-4-57 to 31-3-58 on T. A. and D.A.

श्री पी० के० चौधरी : Was this 4,240 on T. A. and D. A. both.

श्री दामोदरलाल व्यास : It should be.

श्री अध्यक्ष : श्री जयचन्द मोहिल।

दलित वर्ग के परिवारों को मकान बनाने हेतु सहायता

६३३. **श्री जयचन्द मोहिल** (कपासिम-सु०) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि दलित वर्ग के परिवारों को समाज कल्याण विभाग द्वारा मकान बनाने हेतु सहयातार्थ रकम दी जाती है ?

(ख) यदि हां, तो सन् १९५५–५६, ५६-५७,५७–५८ और ५८-५६ में कहां कहां कितनी कितनी रकम दी गई ?

(ग) क्या यह सत्य है कि इस वर्ग को हरिजन कोलोनी के निर्माण हेतु ही रकम दी जाती है व्यक्तिगत भवन निर्माण हेतु नहीं ?

(घ) आज तक सरकार द्वारा कितनी हरिजन कोलोनीज बनाई गई व स्वायत्त शासन संस्थाओं द्वारा बनाई जाने वाली हरिजन कोलोनी के निमित्त कितनी रकम दी गई ?

(ङ) क्या उपरोक्त कोलोनीज हरिजनों की ही बनी हैं या सवर्ण हरिजन मिश्रित ? पूरा विवरण देवें।

मन्त्री समाज कल्याण विभाग, (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(ग) साधारणतया इस विभाग द्वारा बस्तियों के निर्माण हेतु ही सहायता दी जाती है। व्यक्तिगत भवन निर्माण को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। प्रयत्न किया जाता है कि ये सहायता ग्रुप के लिए ही दी जावे। यदि ग्रुप में उपलब्ध नहीं हो तो व्यक्तिगत रूप में भी दी जाती है।

(घ) सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है। स्वायत्त शासन संस्थाओं को बस्ती के लिए इस विभाग से सहायता नहीं दी जाती।

(ङ) सब नहीं पर एक कोलोनी आदर्श-नगर जयपुर में सवर्णों के पास बनाई गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार जयपुर): क्या आधार है कि केवल सहायता ग्रुप में बसने के लिए दी जाती है ? व्यक्ति को मकान बनाने के लिए क्यों नहीं दी जाती है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ऐसा है कि बस्ती बसाने के कन्जेशन में राहत मिल जाती है और नये ढंग से, नये तरीके से बस्ती बसाने में सुविधा होती है।

डॉ० चन्द्रकला : यदि कोई व्यक्ति दलित वर्ग का है, वह अकेला मकान बनाना चाहता है तो उसको सहायता न देने का क्या आधार है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सहायता अलग अलग दी जाती है, जो नई बस्तियां बनाते हैं। अकेला व्यक्ति मोहल्ले में मकान बनाना चाहे तो उसे नई बस्ती के मुकाबले में प्राथमिकता वही देते हैं। वैसे उसको भी सहायता देते हैं।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : यह कहां तक ठीक है कि हरिजन लोग अब भी ग्रुप में रहे, जैसे सदियों से अलग रहते हैं। और इस तरह यह कहना कि वे ग्रुप में रह कर समाज के बाहर रहें, यह उचित नहीं है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : हरिजन बस्तियां हर जगह गन्दी होती हैं। वे साफ सुथरी जगह रहें, इसलिए बढ़ावा दिया जाता है। समाज कल्याण विभाग ने तय किया है कि मिली जुली हुई बस्तियां सवर्णों के साथ बनाई जा सकती हैं।

श्री मदनसिंह : इन्डीविजूअल की मदद करें यह तब ही हो सकता है। ग्रुप बाजी से यह नहीं हो सकता है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : हर एक व्यक्ति को सहायता दी जाती है। अगर वे एक साथ बसना चाहे तो प्राथमिकता दी जाती है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : सामूहिक रूप से मकान बनाने का प्रश्न है, वह सहकारिता के आधार बनायें तो प्राथमिकता दी जाती है या सामूहिक रूप से दे देती है ?

Page No.7

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सामूहिक बस्तियों में सुविधायें देने में आसानी होती है, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा आदि।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने कहा कि इसके अन्दर प्राथमिकता उन लोगों को दी जाती है, जो मकान सामूहिक रूप से बनाते हैं। क्या इस आधार पर जो सहायता दी गई, उस सहायता को देने में जो सामूहिक रूप में मकान बनाने वाले थे, उनको प्राथमिकता दी या ऐसे केसेज़ को अलग अलग दी गई। अगर अलग अलग व्यक्तियों को प्राथमिकता दी गई तो प्राथमिकता का सवाल नहीं है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ऐसा मेरे पास उदाहरण नहीं है। किस लिस्ट में दिया है ?

श्री गोरधनसिंह केन (बयाना-सु.) : भरतपुर ज़िले में हरिजनों को कुछ सहायता कोलोनी बनाने के लिए दी गई है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह स्वतन्त्र प्रश्न है, आप अलग से प्रश्न पूछिये।

श्री गोरधनसिंह केन : यह राजस्थान के लिए पूछा गया है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : राजस्थान के लिए जवाब दिया है। आपने भरतपुर के लिए पूछा है।

श्री गोरधनसिंह केन : भरतपुर में सहायता न देने के क्या कारण है ?

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : सब-डिविज़न वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज, जो बजट सेंकशन करते हैं वह किस आधार पर करते हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आवश्यकतानुसार करते हैं।

श्री रामकरणसिंह : यह पैसा दिया जाता है, यह डिविज़न के हरिजनों की कोलोनी बसाने के लिए दिया है या भिन्न भिन्न डिस्ट्रिक्ट है, उनको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बांट कर दिया है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जहां से मांग आती है, जहां आवश्यकता होती है, वहां दिया जाता है।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह सही है कि जो मांग आती है, उसमें जो पहले मांग आई, उस आधार पर लिया जाता है या आप जैसा चाहे, जिस जगह से मांग आये एप्रोच हुई, उनको दिया जाता है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जी नहीं, कई बातें सोच कर दी जाती हैं।

श्री गोरधनसिंह केन : भरतपुर में सहायता न देने के क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष : सहायता मिलती है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं ऑफ हेंड नहीं कह सकता कि सहायता दी गई है या नहीं। आप अलग से प्रश्न पूछ लीजिये, मैं जवाब दे दूंगा।

श्री गोरधनसिंह केन : नया प्रश्न नहीं है, इसमें मौजूद है ?

Page No.8

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कहां ?

श्री गोरधनसिंह केन : आज तक सरकार द्वारा कितनी हरिजन कोलोनीज़ बनाई गई व स्वायत्त शासन संस्थाओं द्वारा बनाई जाने वाली हरिजन कोलोनी के निमित्त कितनी रकम दी गई ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वह लिस्ट में दे दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : लिस्ट में भरतपुर के नाम से १६५६-५७, ५७-५८, ५८-५६ में मिला है।

श्री गोरधनसिंह केन : माननीय मन्त्री जी ने लिस्ट नहीं देखी है।

श्री मदनसिंह : क्या माननीय मन्त्रीजी इस नीति पर विचार करने के लिए तैयार है कि हरिजनों को इस तरह प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए जहां ग्रुप का सवाल आता है। जो अलग अलग प्रार्थना रखें, उनको व्यक्तिगत रूप से दिया जाय तो अच्छा रहेगा।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मिली जुली बस्तियों को भी प्राथमिकता देते हैं, लेकिन जो सहायता देते हैं वे अलग अलग व्यक्तियों को देते हैं, सोसाइटी के नाम से नहीं देते हैं। इतना जरूर है कि जो लोग बस्ती बना कर रहना चाहते हैं उनको प्राथमिकता देते हैं। जो अलग बनाते हैं, उन्हें प्राथमिकता नहीं देते।

श्री मदनसिंह : शब्द सामूहिक रहे तो वे लोग तो फिर भी समाज से अलग ही रहें, क्या फायदा ?

श्री मुरलीधर व्यास : साथ बसाने में खर्च की काफ़ी बचत होती है, बहुत कम पैसा लगता है, तो वह भी आवश्यक अंग है।

प्रश्न संख्या ६३४।

श्री अध्यक्ष : श्री बृजेन्द्रपाल।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिए)

श्री भीमसेन।

तहसील लूणकरणसर में चरागाह का अभाव

६३५. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) तहसील लूनकरणसर के किस किस गांव में चरागाह मुकर्रर नहीं किये गये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज़ पर रखी जावे।

(२) उपरोक्त गांवों में शीघ्र चरागाह मुकर्रर कराये जाने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

मन्त्री राजस्व विभाग (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) किसी भी गांव में चरागाह निर्धारित नहीं की गई है। क्योंकि हर गांव में १० प्रतिशत से अधिक राज मकबूज़ा रकबा बंजड़ पड़ा हुआ है।

(२) बन्दोबस्त इस वर्ष में चालू किये जाने की तज़वीज है। उस वक्त रकबा चरागाह छोड़ा जावेगा।

श्री भीमसेन : क्या सरकार ऐसे आदेश दे सकती है कि अलग चरागाह के लिये ज़मीन रखी जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : रूल्स को देखें तो उनमें चरागाह का रकबा छोड़ने के बाद और २५ पर्सेन्ट पिछड़ी जातियों के लिये छोड़ने के बाद अलॉट करें। पंचायतों को चाहिये कि एस० डी० ओ० को दरख्वास्त दे कर चरागाह का डिमार्केशन करा दें। लैंड रेवेन्यू एक्ट में इस तरह के प्रावधान हैं।

श्री भीमसेन : इसमें रूल्स तो हैं पर पंचायतें यदि किसी ज़मीन को डिमार्केट कराना चाहती हैं तो पंचायतों और रेवेन्यू विभाग में कोओर्डिनेशन नहीं होने के कारण ऐसा नहीं हो पाता है और तहसीलदार डिमार्केशन नहीं कराते हैं। इस लिये सरकार आदेश दें कि इस पॉलिसी पर तहसीलदार पूरी तरह से चेष्टा करें।

श्री दामोदरलाल व्यास : कोओर्डिनेशन के भी आदेश दे दिये गये हैं। चरागाह के डिमार्केशन के लिये यदि कहीं के लिये चरागाह काफ़ी नहीं हैं तो आप मुझे जानकारी दीजिये मैं, स्पेशल आदेश दूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी) : चरागाह किस आधार पर रखे जाते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आधा बीघा एक मवेशी पर।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती आनन्दीदेवी जेलिया।

अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड के निर्णयों पर कार्यवाही

६३६. श्रीमती आनन्दी देवी जेलिया (बारां-सु०) : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या राजस्थान सरकार द्वारा अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड के गठन के बाद सन् ५८-५६ में इस बोर्ड की कोई बैठकें हुई हैं ? यदि हां, तो कितनी बैठकें हुई ?

(२) इन बैठकों में अनुसूचित जातियों के सामाजिक व आर्थिक जीवन में विकास के लिये भी क्या कोई निर्णय किये गये हैं ? यदि हां, तो किन किन विषयों पर किस सम्बन्ध में निर्णय लिये गये ?

(३) बोर्ड द्वारा लिये गये इन निर्णयों के बाद सरकार द्वारा उन्हें कार्यान्वित किये जाने हेतु क्या कोई ठोस कदम उठाया है ? यदि हां, तो किन किन विषयों पर क्या कदम उठाया ?

मन्त्री समाज कल्याण विभाग (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (१) जी हां, इस बोर्ड की बैठकें दिनांक ८-१२-५८ एवं २०, २१ जनवरी, १९५९ को हुई।

(२) अनुसूचित जातियों के सामाजिक व आर्थिक जीवन के विकास के लिये दिनांक ८-१२-५८ की बैठक में यह निश्चय किया गया था कि १९५९-६० की योजना के विभिन्न कार्यक्रमों के विषय में विस्तृत रूपरेखा निश्चित करने के लिये ४ उप समितियां निम्न विषयों पर गठित की गई थी।

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

१. शैक्षणिक २. आर्थिक ३. विविध विषय ४. मुर्दा मवेशी व मैला उठाने के विषय में ।

शैक्षणिक, आर्थिक और मुर्दा मवेशी व मैला उठाने की समितियों की बैठकें हुई जिनकी रिपोर्ट आ गई है और बंट गई हैं । विविध विषयों की समिति की बैठक कोरम पूरा न होने के कारण नहीं हो सकी ।

शैक्षणिक उप समिति ने छात्रवृत्ति, संस्कार केन्द्र, समाज शिक्षण केन्द्र एवं छात्रवास की योजनाओं पर विचार किया और कई उपयोगी सुझाव दिये । इसके अलावा इस समिति ने प्रत्येक छात्रावास में २० प्रतिशत छात्र सवर्ण रखे जाने, सस्ते अल्पाहार गृह खोले जाने, सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों एवं छात्रावासों में हरिजन छात्रों की संख्या निश्चित करने, हरिजनों को उच्च शिक्षा के लिये प्रोत्साहित करने आदि आदि सुझाव भी दिये ।

आर्थिक समिति ने भी प्रचार, कुंए, गृह निर्माण, स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुदान देने एवं कुटीर उद्योग के विषयों पर विचार किया और कई उपयोगी सुझाव दिये ।

मुर्दा मवेशी व मैला उठाने की समिति ने भी इस विषय पर गम्भीरता से विचार किया तथा अपने सुझावों पर अंतिम निर्णय लेने हेतु अगली बैठक और बुलाई । इन उपरोक्त तीनों ही समितियों की रिपोर्ट दिनांक २०–२१ जनवरी, १९५९ की बैठकों में पेश की गई और काफी विचार विमर्श तथा कुछ संशोधनों के बाद उन्हें स्वीकार कर लिया गया ।

(३) बोर्ड के नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है । परन्तु पूरे तौर से उन्हें १९५९–६० में कार्यान्वित किया जावेगा क्योंकि ये निर्णय १९५९–६० की योजना से सम्बन्धित हैं ।

इस लिये ये कमेटियां बनाई गईं ।

श्री गोवर्धनसिंह केन (बयाना सु०) : बोर्ड की मीटिंग कब बुलाई जा रही है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जल्दी ही बुला लेंगे ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह जो बोर्ड का गठन हुआ है, किस आधार पर हुआ है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बोर्ड तो जिन आधारों पर गठित हुआ करते हैं उसी आधार पर हुआ है । जो लोग सार्वजनिक सेवा करते हैं, उन ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल लोगों को बोर्ड में लिया जाता है ।

श्री मुरलीधर व्यास : तो मीटिंगों में उपस्थित नहीं होने के कारण मीटिंगें नहीं हो सकी हैं, वे लोग बोर्ड की मीटिंगों में दिलचस्पी नहीं लेते हैं. तो इसीलिये मैंने पूछा कि किस आधार पर बोर्ड का गठन किया गया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह तो सदस्यों की रुचि पर है यहां भी कई दफा कोरम

Page No.11

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

पूरा नहीं होता है। तो जो लोग दिलचस्पी नहीं लेते हैं उनके सम्बन्ध में दुबारा बोर्ड का गठन हो तो ध्यान रखा जाता है।

श्री अध्यक्ष : श्री मंगलसिंह।

तहसील जसवन्तपुरा में तकावी वितरण

६३७. **श्री मंगलसिंह** (रानीवाड़ा श्री लक्ष्मीचन्द द्वारा पूछा गया) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील जसवन्तपुरा (जालोर) में सन् ५६, ५७, ५८, में तकावी की कितनी कितनी रकम सरकार से स्वीकृत हुई तथा कितनी कितनी रकम काश्तकारों में बांटी गई और कितनी लेप्स हुई?

(ख) कुल कितने प्रार्थनापत्र आये व कितने स्वीकृत हुए? सूची सदन की मेज़ पर रखने का कष्ट करें।

मन्त्री राजस्व विभाग (श्री दामोदरलाल व्यास): सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : सूची मिली नहीं नोटिस ऑफिस में भी नहीं है वहां जाकर आया हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं पढ़ दूं अगर आप कहें तो?

श्री अध्यक्ष : हां, छोटी सी है।

श्री दामोदरलाल व्यास : १९५६-५७ में स्वीकृत रकम ४५,०००। बांटी गई रकम १०,७०० लेप्स हुई रकम ३४,३००। संख्या प्राप्त प्रार्थनापत्र ११५। संख्या स्वीकृत प्रार्थना पत्र २७।

१९५७–५८ में स्वीकृत रकम २४,०००। बांटी गई रकम २३,८५०। लैप्स हुई रकम १५०। संख्या प्राप्त प्रार्थनापत्र २३०। संख्या स्वीकृत प्रार्थनापत्र १२१।

१९५८–५९ में स्वीकृत रकम ५९,०००। बांटी गई रकम ५८,२००। लेप्स हुई रकम ८००। संख्या प्राप्त प्रार्थनापत्र ५०१। संख्या स्वीकृत प्रार्थनापत्र १५४।

श्री लक्ष्मीचन्द : बाकी के स्वीकृत नहीं होने के क्या कारण हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : दर्खास्तों में खामियां हो सकती हैं, रकम की कमी भी हो सकती है।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या स्वीकृति के वक्त तकावी की मीटिंग बुलाई गई थी?

श्री दामोदरलाल व्यास : बुलाई जानी चाहिये थी, अगर नहीं बुलाई गई तो साफ़ प्रश्न पूछना चाहिये था, मैं जानकारी करके उत्तर देता।

श्री लक्ष्मीचन्द : तकावी की मीटिंग बुलाई नहीं गई थी, तहसीलदार की मर्ज़ी से सब वितरण किया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, यदि प्रश्न में साफ़ पूछ लेते तो ज्यादा अच्छा होता। यही पूछा है कि कितनी रकम स्वीकृत हुई कितनी बांटी गई

(श्री दामोदरलाल व्यास)

और कितनी रिजेक्ट हुई, कितनी लेप्स हुई, उसका मैंने उत्तर दिया है।

श्री मुरलीधर व्यास : यदि मीटिंग नहीं बुलाई तो क्या सरकार तहसीलदार के खिलाफ़ कार्यवाही करेंगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो कायदे की बात हैं, कि कोई सरकारी अधिकारी गलत बात करता है तो उसको सज़ा दी जाती है।

राजराव श्री सरदारसिंह (उनियारा) : वितरण करने के लिये यह आवश्यक है कि नहीं कि मीटिंग बुलाई जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : गज़ट में रूल्स शाया किये जा चुके है, कि बुलानी चाहिये और माननीय सदस्य भी कई दफ़ा उस मीटिंग में जाते हैं।

प्रश्न संख्या ६३८

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

श्री रामकरणसिंह।

तहसील कोटपुतली में किसानों द्वारा खेत बढ़ाकर आम रास्तों को रोकने के सम्बन्ध में

६३६. श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील कोटपुतली में किन किन गांवों में आम रास्तों को किसानों ने खेत बढ़ाकर रोक दिया है ?

(ख) क्या पटवारियों ने इस तरह नाजायज ढंग से खेतों को बढ़ाने की रिपोर्ट कभी की है ?

(ग) यदि हां, तो किस किस गांव की व इन रिपोर्टों पर क्या कार्यवाही की गई ?

मन्त्री राजस्व विभाग (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) तहसील में ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नही उठता।

श्री रामकरणसिंह : तो माना जाय कि आम रास्ता, काश्तकारों ने नही रोका है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मानने न मानने का सवाल नहीं जो प्रश्न पुछा उसका जवाब अर्ज़ कर दिया।

श्री रामकरणसिंह : मैंने साफ़ पूछा है कि पटवारियों ने कभी इस तरह की रिपोर्ट की। आपने उत्तर दिया, जी नहीं। तो क्या यह माना जाय कि आम रास्तों की ज़मीन खेतों में नहीं गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : क्या माना जाय, यह तो सोचने का माननीय सदस्य को पूर्ण अधिकार है।

श्री रामकरणसिंह : साफ़ कीजिये न ?

श्री दामोदरलाल व्यास : It is not my business. I am here only to give

(श्री दामोदरलाल व्यास)

information to the Hon'ble Member and I have given that. मुझे कम्पेल नहीं किया जा सकता ।

श्री रामकरणसिंह : जिस काम के लिये पटवारी हैं, वह काम नहीं करता तो उसके लिये यह थोड़े ही है कि मैं चाहे जैसा मान लूं आप चाहें जैसा मान लें ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं समझ नहीं पाया कि आप चाहते क्या हैं । सवाल यह है कि 'तहसील कोटपुतली में किन किन गांवों में आम रास्तों को किसानों ने खेत बढ़ा कर रोक दिया है ?'

मैंने अर्ज़ किया कि तहसील में ऐसी कोई शिकायत नहीं है ।

श्री रामकरणसिंह : क्या पटवारियों ने इस तरह से खेतों को बढ़ाने की रिपोर्ट की है ? यदि हां तो क्या एक्शन लिया ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज़ किया, जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ६४०

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

(अनुपस्थित)

देवस्थान विभाग की बकाया रकम

६४१. **श्री जयचन्द्र मोहिल** (कपासिन सु०) : क्या मंत्री, देवस्थान विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे ।

(१) देवस्थान विभाग की किस किस पार्टी में कितनी कितनी रकम बकाया है ? तालिका मय नाम, पता, आदि सदन की मेज़ पर रखें ।

(२) ऋण की वसूली में देरी के क्या कारण हैं ?

मंत्री राजस्व विभाग (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) देवस्थान विभाग की कोई रकम किसी पार्टी में बकाया नहीं है। उदयपुर राज्य में फण्डेड मंदिरान (सेल्फ सपोर्टिंग) के फण्ड से सरकार द्वारा कर्ज़ा दिया जाता था जिसकी बकाया की सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है ।

(२) रकम की वसूली की ताकीद की जा रही है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

लालसोट हाई स्कूल के लिये कमरों का निर्माण

६४२. **श्री प्रभुलाल पुरोहित**, (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

लालसोट हाई स्कूल और बेसिक प्राईमरी स्कूल की छात्रों की संख्या कितनी है और क्या यह सही है कि आगामी वर्ष विद्यार्थियों के लिये कमरों की कमी पड़ जाने की संभावना है ? यदि हां, तो क्या सरकार नये कमरे बनाने का प्रबन्ध करेगी ?

Page No.14

मंत्री राजस्व विभाग (श्री दामोदरलाल व्यास, शिक्षा मंत्री की ओर से) : लालसोट हाईस्कूल की छात्र संख्या ३११ है व प्राईमरी स्कूल की २०६ है। इन स्कूलों में भवन पर्याप्त है यदि छात्र संख्या बढ़ने के कारण स्थानाभाव प्रतीत होगा तो उसे दूर करने की कोशिश की जावेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जसवन्तपुरा मिड़िल स्कूल को हाई स्कूल में परिवर्तन

६४३. **श्री मंगलसिंह** (रानी वाड़ा, श्री लक्ष्मीचन्द द्वारा पूछा गया) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जसवन्तपुरा (ज़िला जालोर) की राजकीय मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाने का सरकार विचार रखती है ?

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

मंत्री राजस्व विभाग (श्री दामोदरलाल व्यास शिक्षा मंत्री की ओर से) :

(क) जी हां।

(ख) दूसरी ऐसी माध्यमिक शालाओं के साथ साथ राजकीय माध्यमिक शाला जसवन्तपुरा को भी हायर सेकेन्ड्री स्कूल में परिवर्तित करने के प्रश्न पर यदि सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करती होगी तो सरकार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये अवश्य विचार किया जायगा।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : निर्धारित शर्तें क्या हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, पहले कई दफे ये निर्धारित शर्तें बताई जा चुकी हैं, फिर भी अगर माननीय सदस्य चाहें तो पढ़ देता हूं :

1. Total number of students in the middle school should be atleast 200 with atleast 75 students in middle section.

2. There should be atleast 5 feeder middle schools within a radius of 20 miles.

3. There should be no High School within a radius of 20 miles.

4. The public should be held responsible for providing necessary building and recurring and non-recurring expenditure for one year which would be about Rs. 15 thousand.

5. Tehsil Head quarte having no High School should be given preference.

6. Rural areas be given preference.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

ग्राम भांडू खुर्द के अग्नि पीड़ितों को सहायता

६४४. **श्री सूरजमल** (फलोदी सु०) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) क्या यह सही है कि जोधपुर तहसील का ग्राम भांडू खुर्द में एक आदिवासी जाति के श्री चौथाराम पुत्र खुमाराम की ढाणी जल गई ?

(श्री सूरजमल)

(ख) क्या यह सही है कि ढाणी के जलते समय उसमें जन, धन, पशु आदि की अधिक हानि हुई ?

(ग) क्या यह भी सच है कि सन् १९५७ के मार्च में ढाणी जली और सन् १९५७ के मई के महीने में जांच की गई ? यदि हां, तो देरी करने का कारण क्या था और किस सरकारी अधिकारी ने जांच की ?

(घ) सरकार ने उपरोक्त आदिवासी को कितनी धनराशि की सहायता दी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां। यह सच है। चूंकि प्रार्थी ने आग लगने की कोई सूचना नहीं दी और जब सरकारी तौर पर सूचना मिली तो नायब तहसीलदार जोधपुर द्वारा जांच कराई गई।

(घ) कोई सहायता नहीं दी गई। क्यों कि जांच के परिणाम से आवश्यक प्रतीत नहीं होता था।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : कोई हानि नहीं हुई इसका जवाब आपने ना में दिया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने पूछा था कि ढाणी के जलते समय उसमें जन, धन पशु आदि की अधिक हानि हुई ? उसका मैंने उत्तर दिया कि जी नहीं।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : आपके पास सूचना किसके ज़रिये से प्राप्त हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नायब तहसीलदार ने जांच की है और उसके ज़रिये से ही हमारे पास सूचना प्राप्त हुई है। उसने जांच करके बताया कि ४०० रुपये की हानि हुई है।

श्री लक्ष्मीचन्द : सूचना कब आई।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : जब आप ४०० रुपये का नुकसान हुआ मानते हैं तो फिर उसको सहायता क्यों नहीं दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सहायता उसको दी जाती है जिसको सहायता की आवश्यकता होती है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : हो सकता है कि वह बेचारा कानून नहीं जानता हो और इस वज़ह से उसने कुछ कार्यवाही नहीं की हो।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्या को मालूम होना चाहिये कि जब नायब तहसीलदार ने वहां पर जाकर इसकी जांच की तब तो उसको मालूम होना चाहिये।

डॉ० चन्द्रकला : जब नायब तहसीलदार ने ५०० रु० का नुकसान बताया है तो सरकार की तरफ़ से उसको १।४ सहायता मिलनी चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह रूल्स का गलत मतलब समझा

(श्री दामोदरलाल व्यास)

जाता है। अगर किसी को जरूरत हो तो उसको १।४ तक सहायता दी जा सकती है। किसी मालदार आदमी को नुकसान हो गया हो तो उसको मदद थोड़े ही दी जाती है ! यह है कि उसको १।६ तक सहायता दी जा सकती है। मगर यह जरूरी नहीं है कि हर नुकसान होने पर १।६ सहायता दी जावे। बहुत से लोग किसी प्रकार की सहायता देते हुए भी लेना नहीं चाहते।

श्री लक्ष्मीचन्द : किन किन व्यक्तियों से जांच की ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तहसीलदार ने जांच मौके पर जा कर की है उसने किसी से तो की है ही।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या सरकार को यह मालूम है कि उसका सारा घर जल कर बरबाद हो गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या नायब तहसीलदार ने भी ऐसा लिखा है कि इसको सहायता की जरूरत नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जावे कि उसको सहायता....

श्री दामोदरलाल व्यास : माना जावें, यहां माना जाने का प्रश्न नहीं है और उसका मैं जवाब नहीं दे सकता। नायब तहसीलदार ने जो लिखा उसको मैंने अर्ज कर दिया।

श्री भैरोंसिंह : नायब तहसीलदार ने किस आधार पर यह लिखा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जांच की है और जांच के आधार पर उसने यह लिखा है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उसको सहायता देने की जरूरत थी और उसको सहायता नहीं गई ऐसा समझा जावे।

श्री दामोदरलाल व्यास : उसको क्या सहायता देने की जरूरत थी और उसको सहायता नहीं दी गई ऐसे हाईपोथेटिक प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता।

श्री भैरोंसिंह : आपके पास नायब तहसीलदार की रिपोर्ट का आधार है। क्या नायब तहसीलदार ने यह लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि इस आदमी को सहायता की जरूरत नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके लिये मैं अर्ज कर चुका हूं।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : क्या यह नायब तहसीलदार ने लिखा है कि उसने सहायता के लिये कोई मांग नहीं की।

(इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया)

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि चौथूराम ने कोई एप्ली-केशन नहीं दी और न कोई मांग सहायता के लिये की। मैं यह कहूंगा कि उसने कई अर्ज़ियें दी मगर आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई।

Page No.17

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रश्न तो आपका नहीं है। आप सूचना दे रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : मैं खुद उसके साथ जाकर ६.२.५६ को दुबारा एप्लीकेशन दिला चुका हूं मगर कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

फलौदी तहसील के ग्राम भाप में नामक बनाने के प्लाटों के लिये अर्जियां

१४५ **श्री सूरजमल** (फलौदी सु०) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) फलौदी तहसील के ग्राम भाप में नमक बनाने के प्लाट लेने हेतु जनता की ओर से कुल कितनी अर्जियां दी गई? उनमें से कितनी अनुसूचित व पिछड़ी हुई जातियां की और कितनी सवर्ण जातियों के व्यक्तियां की थीं?

(ख) उपरोक्त अर्जियों में से कितनी सवर्णों की व कितनी अनुसूचित जातियों की स्वीकृत की गई व कितनी अर्जियां विचाराधीन हैं?

उप मंत्री उद्योग विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : अध्यक्ष महोदय, अभी तक इसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। पहले प्रश्न था उस सिलसिले में इसकी एन्टीकरेप्शन में जांच हो रही है। जब तक वहां से पत्र प्राप्त न हो जावें इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): यह कब से है?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मेरा ख्याल है काफ़ी अर्से से है। ७, ८ महीने हो गये हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इस प्रकार का नियम है कि ६ महीने के अन्दर अन्दर एन्टीकरेप्शन में कोई भी कागज़ हो तो उसका फैसला कर देना चाहिये?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह तो नेचर ऑफ़ दी केस पर डिपेन्ड करता है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह सोच कर सरकार ने ज्यादा से ज्यादा समय ऐसे मामलों के लिये ६ महीनों का रखा है। क्या उसमें बढ़ाने का भी प्रावधान रखा गया है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। मैं यही निवेदन कर सकता हूं कि यह एन्टीकरेप्शन विभाग के पास है।

श्री सूरजमल : मैंने तो पहले पूछा नहीं था।

श्री अध्यक्ष : आपने तो पहले नहीं पूछा था मगर किसी दूसरे ने पूछा था।

श्री सूरजमल : मेरा तो यह खास क्षेत्र का है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

खानपुर हाई स्कूल में फर्नीचर, अध्यापकों तथा भवन की कमी

१४६. **श्री भैरवलाल 'काला बादल,'** (अकलेरा सु०) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

(१) खानपुर हाई स्कूल, झालावाड़ में अभी तक फर्नीचर न भेजने का क्या कारण है ?

(२) हाई स्कूल की इमारत में जो कमी है उसको कब तक पूरा किया जा सकेगा ?

३) हाई स्कूल में किस किस सब्जेक्ट के अध्यापकों की कमी है ?

(४) इस हाई स्कूल में छात्रों की संख्या कक्षावार कितनी कितनी है ?

मुख्य मन्त्री एवं शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) :

(१) खानपुर हाई स्कूल में दूसरे स्कूलों के मामान फर्नीचर सप्लाई करने के लिये सरकार प्रयत्नशील है। इस पर्व के लिये काफ़ी रकम रखी गई है।

(२) जनता का सहयोग प्राप्त होने पर सरकार यथा सम्भव शीघ्र कार्यवाही करेगी।

(३) यहां बीएस. सी विथ बाईलोज़ी तथा बी.एस. सी विथ मैथेमेटिक्स वाले अध्यापक उपलब्ध न होने के कारण कमी है। जब तक बी.एस. सी अध्यापक उपलब्ध न हो, इन स्थानों पर इन्टर साइन्स वाले अध्यापकों को नियुक्त कर देने का आदेश, शिक्षा निरीक्षक झालावाड़ को दे दिया गया है।

बी कक्षा		संख्या
१०	में	४६
६	में	५७
८	में	५०
७	में	७२
६	में	१११
योग		३३६

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जागीरदारों के बॉन्ड्स में से कटौती

६५७. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) क्या यह सही है कि जागीरदारों की बिना स्वीकृति के ही सवा चार प्रतिशत राजस्थान स्टेट डवेलपमेंट लोन १६७० का रुपया काट कर बॉंड्स दिए जाते हैं ?

(ख) यदि नहीं, तो ज़िला भीलवाड़ा के जागीरदार ठाकुर ओंकारसिंह कालीयास के साथ यह कार्यवाही किस आधार पर की गई ?

मन्त्री राजस्व विभाग : (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी नहीं।

(ख) उनके नाम से जो रुपया जमा कराया गया है वह उनके मुख्तार ने उनके नाम से प्रार्थना पत्र देने पर जमा कराया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

ग्राम बहनेरा में मिडिल स्कूल की स्थापना

६५८. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) :

(डॉ० बहादुरसिंह)

क्या शिक्षा मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि ज़िला विकास कमेटी, भरतपुर ने ग्राम बहनेरा में मिडिल स्कूल खोलने की सिफ़ारिश की थी ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि ५८-५६ की प्राथमिक शाला से मिडिल स्कूल बनाने वाली सूची में बहनेरा का छठा नम्बर था था किन्तु वहां स्कूल नहीं खोला गया ?

(३) क्या सरकार के पास इस प्रकार की शिकायत है कि बहनेरा में मिडिल स्कूल न खोलकर पास के अन्य ग्राम में स्कूल खोल दिया जिसकी आबादी काफ़ी कम है तथा पंचायत केन्द्र नहीं है ? इस प्रकार की कार्यवाही जिस अधिकारी ने की उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) :

(१) जी हां ।

(२) जी नहीं बहनेरा सूची में १ नम्बर पर था और वहां स्कूल खोल दी गई है ।

(३) जी नहीं ।

प्रश्न संख्या ६४६

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूलाल ।

(अनुपस्थित)

दांतल बड़नगर व भोनावास ग्रामों में स्कूल की स्थापना

६५०. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे —

(१) तहसील कोटपुतली में कस्बा दांतल बड़नगर, भोनावास में छात्रों की संख्या, स्कूल भवन व अन्य आवश्यक सामान उपलब्ध होते हुए भी स्कूल क्यों नहीं खोले गये ?

(२) उक्त कस्बों में कब तक स्कूल खोल दिये जायेंगे ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया):

(१) यहां प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं ।

(२) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

नये प्राइमरी, मिडिल व हाईस्कूल व डिग्री व पोस्ट कालेजों की संख्या

६५१. **रामेश्वरदयाल** (कोटा) : (श्री पी० के० चौधरी द्वारा पूछा गया)

१. क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ।

२. राजस्थान में सन् १६५८-५६ के वर्ष में नये मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल डिग्री कालेज, पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज़ की क्या संख्या रही ? इसकी सूची प्रत्येक ज़िले की सदन की मेज़ पर रखी जावे ।

Page No.20

मुख्य मन्त्री एवम् शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) :

सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट सं० ४ देखिये)

श्री पी० के० चौधरी : list is not received लिस्ट नहीं मिली है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : रामेश्वर-दयालजी का प्रश्न था, आपने पूछा यह क्या पता था कि लिस्ट आपको देनी चाहियें थी नोटिस ऑफिस में भेज दी गई है।

श्री पी० के० चौधरी : The list is not received, Sir.

श्री मोहनलाल सुखाडिया : You have not put the question.

श्री पी. के. चौधरी : But I am authorised to ask the question.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : It is in the Notice office.

श्री अध्यक्ष : श्री शिवचरण दास।

मोजा हिरनई तहसील भीलवाड़ा की मोजा बान्ध से संचित भूमि का वितरण

१५२. **श्री शिवचरणदास** (मांडल) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या मोजा हिरनाई, तहसील भीलवाड़ा की मेजा बांध से सिंचित भूमि का वितरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसकी सूची सदन की मेज़ पर रक्खे।

(२) उक्त भूमि को वितरण करने से पूर्व क्या हिरनाई ग्राम के भूमि हीन कृषकों से प्रार्थना पत्र लिये गये थे ?

(३) यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

मंत्री राजस्व विभाग (श्री दामोदरलाल):

(१) सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(२) जी हां।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री शिवचरणदास : क्या यह सही है कि अलोटमेन्ट जो है वह नियमानुसार नहीं हुआ है ?

श्री **दामोदरलाल व्यास** : इसकी मुझे जानकारी नहीं है आप सूचना देते हैं तो जानकारी प्राप्त करके बता देता।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या यह सही है कि अलोटमेन्ट टेम्परेरी हुआ है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : होना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : होना चाहिये, या हुआ है या नहीं यह बतलाइये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह जान-

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कारी मेरे पास नहीं है, लेकिन होना टेम्परेरी चाहिये ।

श्री भैरोंसिंह : तो यह माना जाय जितने भी वहां काश्तकार हैं वे टेम्प्रेरी हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मानने का सवाल नहीं किन्तु मेजा बान्ध के कमाडेन्ट एरिया में जिन लोगों को नये रूप से भूमि का अलॉटमेंट हुआ है अभी तक टेम्प्रेरी कलटीवेटर हैं । जब से वह एरिया कमान्डेट घोषित हुआ है तब से कोलोनोनाइजेशन के टेम्प्रेरी अलॉटमेंट के रूल्स बने हुये हैं उसके बाद जिनको अलोटमेन्ट हुआ है वह टेम्प्रेरी अलॉटमेंट है ।

श्री शिवचरणदास : क्या यह सही है मेज़ा बान्ध में सिंचित भूमि शेष नहीं है, सब वितरण कर दी गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपको जो लिस्ट दी है उसमें बता दिया है कि किन किन को कितनी कितनी भूमि अलॉट हुई है ।

श्री शिवचरणदास : मैं जिस गांव के लिये पूछ रहा हूं क्या उसके लिये भूमि शेष नहीं है?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है जिनको भूमि अलाट हुई है वह लिस्ट मैंने आपको दे दी है ।

श्री शिवचरणदास : वहां अब भी सात परिवार ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं और जिनको भूमि दी गई है, उनमें भीलवाड़ा के रहने वाले ज्यादा हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वहां भूमि हीन कितने हैं यह मैं नहीं बता सकता ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : प्राथमिकता गांव वालों को क्यों नहीं दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो लिस्ट मैंने दी है उसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिनको भूमि दी गई है उनमें से तीन व्यक्ति हरनाई निवासी हैं और पांच व्यक्ति भीलवाड़ा के रहने वाले हैं ।

श्री शिवचरणदास : क्या यह सही है कि हरनई निवासियों की अपेक्षा भीलवाड़ा के रहने वालों को भूमि ज्यादा दी गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सूची आपको दे दी गई है, उसमें आप देख लीजिये ।

श्री शिवचरणदास : भीलवाड़ा निवासियों को तो आपने सात बीघा तक ज़मीन दी है जब कि हरनई निवासियों को पांच बीघा से अधिक नहीं दी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : भीलवाड़ा निवासी को ढाई बीघा भी दी गई है जब कि हरनई निवासी को पांच बीघा से किसी को कम नहीं ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या ढाई बीघा ज़मीन से एक परिवार का भरण पोषण हो सकता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जितनी आवश्यकता थी उतनी दी गई पांच बीघा इर्रिगेटेड ज़मीन मिल गई वह बहुत काफ़ी है ।

श्री मुरलीधर व्यास : भूमि देने का

(श्री मुरलीधर व्यास)

जो प्रावधान है, उसके अनुसार भूमिहीन लोगों को भूमि दी जाती है, क्या इसमें ऐसे ही लोगों को प्राथमिकता दी गई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आप से अर्ज किया था कोलोनाइजेशन रूल्स के अन्तर्गत ज़मीन अलोट करने के लिये रूल्स बने हुए हैं, टेम्प्रेरी अलॉटमेंट के। किसको ज़मीन अलॉट की जाती है और किसको प्राथमिकता दी जानी चाहिये यह रूल्स में प्रावधान है उनमें एक दो तीन प्रायोरिटिज़ हैं उन्हीं रूल्स को आॅबजर्व किया गया।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : रूल्स के अन्तर्गत भूमिहीन कृषक को ही भूमि दी जा सकती है या दूसरों को भी दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : भूमिहीन कृषकों को ही भूमि दी गई है।

श्री भैरोंसिंह : तो यह माना जाय कि जितने व्यक्तियों को भूमि दी गई वे सब भूमिहीन थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माना जाय या न माना जाय इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। मैं आपकी खिदमत में सूचना पेश कर सकता हूं मर्जी आये उसका आप अर्थ निकालें।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि भीलवाड़ा के मोहनलाल को जो जमीन दी गई है वह भूमिहीन कृषक नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : भूमिहीन कृषकों को ही होनी चाहिये अलॉटमेंट के लिहाज़ से तो भूमिहीन को ही देनी चाहिये अगर माननीय सदस्य को किसी खास व्यक्ति के लिए एतराज़ है कि इसके साथ रियायत की गई है तो वे सूचना दे उसकी जांच की जा सकती है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपके कहने के मुताबिक भूमिहीन को प्राथमिकता दी जायगी आपने ऐसा भी कहा कि उस गांव के रहने वाले कुछ लोग रह गए हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आई नेवर सेड कि वहां के रह गए हैं। मैंने यह निवेदन किया था कि कुछ वहां के और कुछ बाहर के लोगों को दी गई है।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : अगर मोहनलाल भूमिहीन कृषक नहीं निकला तो क्या उससे भूमि लेकर भूमिहीन किसान को आप देने के लिए तैयार हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कोलोनाइजेशन रूल्स के अन्तर्गत किन किन को भूमि मिलनी चाहिये इसके लिए कानून बना हुआ है अगर आप सूचना देते हैं तो कानून के अनुसार फैसला हो सकता है, और उसी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। यह सब आपके सूचना देने पर ही हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या उस भूमि का अलॉटमेंट एस० डी० आ० ने किया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह जानकारी मेरे पास नहीं है। आॅथोरिटी जो अलॉटमेंट की होनी चाहिये उसके द्वारा ही हुआ होगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या सही है कि रूल्स के अन्तर्गत जिस व्यक्ति को अलॉटमेंट करना चाहिये था उसके द्वारा अलॉटमेंट नहीं किया गया ?

Page No.23

श्री अध्यक्ष : माना तो यही जायगा कि रूल्स के अन्तर्गत ही सारा कार्य किया गया होगा। आपके पास निश्चित जानकारी है तो दें।

श्री भैरोंसिं : मैं यह कह रहा हूं कि एस० डी० ओ० ने किया है। जब कि अलॉट करने का अधिकार उसको नहीं था।

श्री अध्यक्ष : इनके पास यह जानकारी नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार जयपुर) : इसका उत्तर तो आना चाहिये था आखिर अलॉट किसने की ?

श्री अध्यक्ष : ये इस बारे में डेफ़ीनेट नहीं हैं। इसलिये यह नहीं कह सकते कि एस० डी० ओ० ने ऐसा किया है। इनका यही कहना है जो अलॉटमेंट की ऑथोरिटी थी उसी ने किया होगा।

श्री शिवचरण दास (मांडल) : इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैंने यह भी पूछा था कि क्या सात परिवार और बचे हैं जो भूमि-हीन हैं ?

श्री अध्यक्ष : हो सकते हैं। आपका प्रश्न यह नहीं था कि कितने परिवार ऐसे बचे हैं जिन्हें भूमिहीन होते हुए भूमि नहीं दी गई। वैसी हालत में इनसे इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करना मुश्किल है।

श्री मुरलीधर व्यास : वहां के रहने वालों को भूमि में प्राथमिकता दी जायगी ऐसा उन रूल्स में है क्या ?

श्री अध्यक्ष : यह स्पष्ट है कि नहीं यह तो रूल्स में है। रूल्स के अन्तर्गत जिनको ठीक तरह से नहीं दी गई है तो उसको ठीक करने का भी प्रावधान है। केवल ख्याली बातचीत नहीं चल सकती। कोई भी जानकारी लेना है आप निश्चित तौर से पूछिये।

श्री शिवचरणदास : मैं बता रहा हूं कि उसी गांव के सात परिवार ऐसे हैं जिनके पास भूमि नहीं है और उनको नहीं दी गई ?

श्री अध्यक्ष : इसके लिए उन्होंने कहा है कि वे जांच करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कमान्डेंट एरिया में भूमि अलॉटमेंट के रूल्स लागू करने से पहले भी कुछ लोगों को भूमि दे दी गई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसा हो सकता है क्योंकि अलॉटमेंट पहले बन्द नहीं किया गया था।

श्री भैरोंसिंह : क्या कमान्डेट एरिया घोषित करने के बाद इस प्रकार का सरकार का सर्क्यूलर निकला है कि ज़मीन का अलॉटमेंट बन्द कर दिया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : बिल्कुल सही है।

श्री भैरोंसिंह : जब इस प्रकार के सर्क्यूलर के अन्तर्गत भूमि का अलॉटमेंट बन्द कर दिया था। उसके बाद भी जो भूमि का अलॉटमेंट किया गया वह किस कानून के अन्तर्गत किया गया ?

Page No.24

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसी जानकारी आप लायेंगे यहां से ऑर्डर जाने के बाद भी अलॉटमेंट हुआ है तो उस पर कार्यवाही की जायगी।

श्री शिवचरणदास : क्या यह सही है कि हरनई निवासियों को इसलिये भूमि नहीं दी गई चूंकि उन्होंने नगरपालिका के चुनाव में कांग्रेस को मत नहीं दिया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो आप सूचना दे रहे हैं।

श्री शिवचरणदास : क्या आप इसकी जांच करायेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास: इसकी कोई आवश्यकता नहीं जब तक आप कोई स्पेसिफिक एलीगेशन नहीं लगाते।

श्री किशनलाल शाह (नांवा) : जैसा कि माननीय मंत्री महोदय को पूछा जाय कि जो अलॉटमेंट हुआ वह Positively बताये कि हुआ या नहीं माना जाय according to law and procedure इस विषय में उन्होंने जैसा कहा मर्जी आये जैसा इन्फरेन्स निकाल ले। Neither he denies nor accepts. It does not clarify the irregularity which is being...

श्री दामोदरलाल व्यास : There is no suggestion of any irreularity in the question itself. . .

श्री किशनलाल शाह : He should either accept or deny it. He says that presumption is... That is not an answer.

श्री अध्यक्ष : He says that he will enquire into it.

श्री किशनलाल शाह : He expressed in neither way. He must accept and say that it is in accordance with law.

श्री अध्यक्ष: That he has said. That it is presumed that every thing was done according to rules unless contary is alleged or proved.

श्री किशनलाल शाह : But the Minister-in-charge neither denies nor accepts it.

श्री चन्दनमल बैद, (सरदारशहर): इसके पार्ट दो में साफ लिखा है कि उक्त भूमि को वितरण करने से पूर्व क्या हिरनई फार्म के भूमिहीन कृषकों से प्रार्थनापत्र लिये गये थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : और मैंने कहा, जी हां।

श्री चन्दनमल बैद: इससे फिर प्रश्न पैदा होता है कि दूसरे लोगों को जब दी गई तो इस प्रकार के भूमिहीन फिर भी वहां बाकी रहे थे या नहीं यह प्रश्न इससे पैदा होता है। अगर इसका जवाब नहीं देते तो माना जायेगा कि आपने सबको नहीं दी।

श्री अध्यक्ष : He says he has no information.

श्री दामोदरलाल व्यास: जिन जिन आदमियों के प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए उन सबको दी गई। I never said it. अब भी

(श्री दामोदरलाल व्यास)

अर्ज कर रहा हूं कि जिन्होंने एप्लाई किया, उस गांव वालों ने उन सब को दी गई।

श्रीमती कमला श्रोत्रिय, (भीलवाड़ा): प्रार्थनापत्र लेने का प्रकार क्या था? तरीका क्या था? इन सात व्यक्तियों ने प्रार्थनापत्र दिया या नहीं?

श्री दामोदरलाल व्यास : उन सात ने प्रार्थना पत्र दिया या नहीं। मेरे को पता नहीं। पर जिन्होंने प्रार्थनापत्र दिये उन सबको भूमि दी गई यह मैं फिर कहता हूं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : सात आठ आदमियों को भूमि का अलॉटमेन्ट किया उनमें बिना प्रार्थना पत्र ही भूमि का अलॉटमेन्ट कर दिया है क्या?

श्री अध्यक्ष: उनका कहने का यह मतलब नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसलिये यह सवाल कि भूमिहीन बच गये यह सवाल ही नहीं रहा।

श्रीमती कमला श्रोत्रिय : मैंने यह पूछा प्रार्थनापत्र मांगने का तरीका क्या था किस प्रकार और कब मांगे गये?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट! किस गांव में किसने मांगे आप स्पेसिफिक प्रश्न करिये तो जवाब मिलेगा। वे कहते हैं और किसी ने मांगे नहीं, आप कह दीजिये मांगे थे और फलां ने मांगे थे तो जांच करा ली जावेगी।

प्रश्न संख्या ६५३

श्री नाथूराम।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६५४

श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

दौसा इन्टर कॉलेज के लिए छात्रावास

६५५. **श्री रामधन** (दौसा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार को विदित है कि दौसा इन्टर कालेज में ८०० से ज़्यादा छात्रों की संख्या है जिसमें से ४०० से अधिक बाहर ग्राम (देहात) में रहने वाले हैं?

(ख) यदि हां, तो उनके लिये कब तक छात्रावास का प्रबन्ध हो जायेगा?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (क) जी हां।

(ख) अभी दो छात्रावास किराये के मकानों में चल रहे हैं जिनमें कुल १० छात्र हैं। जब तक बोर्डरों की संख्या पर्याप्त मात्रा में न बढ़ जाय, छात्रावास बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : छात्रों की पर्याप्त संख्या इसलिए नहीं है कि मकान की संख्या कम है इसलिये पर्याप्त नहीं है वह।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने कहा न कि दो मकान किराये पर हमने ले रक्खे हैं। पर उनमें भी १० ही हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : इसमें ज्यादा आ नहीं सकते।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऐसी जानकारी हमारी नहीं है। इसमें और छात्र आ सकते हैं।

शिक्षा विभाग के निरीक्षक एवं उप-निरीक्षक

६५६. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में शिक्षा विभाग के निरीक्षक का तथा उप-निरीक्षक के लिए किन किन योग्यताओं का होना आवश्यक है ?

(२) राजस्थान में ऐसे कितने निरीक्षक तथा उप-निरीक्षक हैं जो इस योग्यताओं में नहीं आते हैं ?

(३) कृपया इसकी एक सूची सदन की मेज़ पर रखने का कष्ट करें।

मुख्य एवम् शिक्षा मंत्री (श्री मोहन लाल सुखाड़िया) : (१) निरीक्षक के लिए ट्रेन्ड ग्रेजुएट व पांच वर्ष का प्रशासनिक अनुभव।

उप-निरीक्षक के लिए ट्रेन्ड ग्रेजुएट व ३ वर्ष का हाई कक्षाओं के पढ़ाने का अनुभव तथा ५ वर्ष के मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक का अनुभव।

(२) कोई नहीं।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : बीकानेर के डिप्टी इन्सपेक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है, आर. सी कल्ला, जोधपुर की क्वालिफिकेशन क्या है ?

श्री गिरधारीलाल (तोखा) : क्या यह सही है कि बीकानेर के इन्सपेक्टर आफ स्कूल ट्रेन्ड ग्रेजुएट नहीं हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसका उत्तर पहले दे चुका हूं। आप ही प्रश्न पूछ चुके हैं।

श्री गिरधारीलाल : पर उससे सन्तोष नहीं है।

मंत्री कृषि विभाग (श्री नाथूराम मिर्धा): सन्तोष नहीं है, तो बैठे रहें।

श्री गिरधारीलाल : वे ट्रेन्ड नहीं हैं, बी. ए. हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं पहले भी उत्तर दे चुका हूं इसका।

श्री भैरोंसिंह : मैंने पूछा आर. सी. कल्ला की क्या क्वालिफिकेशन है। बाकी के लिये लिखा है पर इसके लिए नहीं लिखा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसका नहीं कह सकता। पर उसके मामले में तो प्रश्न पूछा जा चुका था।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : बी. टी. है या एस. टी. सी.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह प्रश्न इसके साथ नहीं है इसलिए जानकारी नहीं।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

करके आया हूं, ठीक तौर से तो नहीं कह सकता, फिर भी थोड़ा कह सकता हूँ कि जोधपुर में पहले ट्रेनिंग थी, वह ट्रेनिंग ली हुई है।

श्री गिरधारीलाल : जोधपुर में एस. टी. सी, ट्रेनिंग थी ही नहीं।

श्री पी०के० चौधरी Whether B. A. Or B. T,

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : He is B. A. He may not be B. T. पर जोधपुर स्टेट के वक्त में जो ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई थी उसके लिए हुए थे। इस ट्रेनिंग वाले को अपोइन्ट किया जाता था।

श्री पी० के० चौधरी : क्या इसको आपने रिकग्नाइज़ किया है :

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसको हमने रिकग्नाइज़ किया है। और पहले भी ये नियुक्त किये जाते थे।

प्रश्न संख्या ६३४

श्री अध्यक्ष : श्री बृजेन्द्रपाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

श्री पृथ्वीराज (गंगापुर सु.) प्रश्न संख्या ६३४ का उत्तर दीजिये साहब।

हाई स्कूलों के हायर सेकेन्डरी स्कूलों में परिवर्त्तन

६३४. श्री बृजेन्द्रपाल (करौली) (श्री पृथ्वीराज द्वारा पूछा गया) क्या : शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें :

(१) कितने और किन जगहों पर ज़िला सवाई माधोपुर में हाई स्कूलों को हायर सेकन्डरी स्कूल १६५८–५६ में बनाया गया।

(२) ऐसे कितने हाई स्कूलों को १६५६ ६० में परिवर्तित किया जायगा ?

मुख्य एवम् शिक्षा मंत्री (श्री मोहन लाल सुखाड़िया) : (१) एक भी नहीं।

(२) अभी नहीं कहा जा सकता।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

श्री नाथूलाल करौल।

(अनुपस्थित)

नाथूराम।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कृषि योग्य बंजर भूमि

१. (३१ आर. एम.) श्री पी. के. चौधरी, Will the Revenue Minister be pleased to state:

(a) What is the total area of cultivable land lying waste in each district ?

(b) What is the total area of cultivable waste land brought under cultivation in each district during the last three years ?

(c) How may acres of cultivable waste land have been brought under cultivation in each of the C. D. Block since its inception :

ANSWER

1. 79. 71. 368 Acres.

1955-56.	1956-57.	1957-58
3,06, 389.	2,95.795.	240.160 Acres.

1, 33, 912 Acres.

Statement containing details for each block placed on the table of the House.

(कृपय परिशिष्ट ६ देखिये)

डूंगरपुर जिले में राजकीय प्राथमिक पाठशालाएं

२. (२यू. एस.) श्री भीमसेन: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

डूंगरपुर ज़िले के किस २ गांव में राजकीय प्राथमिक शालाएं हैं। तथा उन गांवों की जनसंख्या क्या है ?

उत्तर

सूची सदन की मेज़ पर रखा दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

भरतपुर में सरकारी खान जमीन

३. (३३। आर.चम.) श्री गोरधनसिंह केन. क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) ज़िला भरतपुर में सरकारी खाम ज़मीन किस २ के पास है ? उनकी सूची सदन की मेज़ पर रखी जावे ?

(ख) सरकारी मुलाज़िम कितने हैं और गैर सरकारी कितने है जिनके पास सरकारी ज़मीन के पट्टे हैं उनकी सूची सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें ?

(ग) ठेकेदारी का पेशा करने वाले कितने है व ऐसे दुकानदार पेशा कितने है जिनका काम बाहर महिने चलता हो, और सुबह से शाम तक जिनको दुकान के काम से फुरसत नहीं मिलती तथा अन्य स्वतन्त्र धन्धों में कितने लोग लगे हैं ?

(घ) ऐसे मुलाज़िम कितने हैं जिन्होंने अपने स्वयं के अलावा अपने भाई पिता पुत्र और भतीजों आदि के नाम से ज़मीन ले रखी

Page No.29

है और उसका लाभ स्वयं उठाते हैं यह ज़मीन कहां कहां है और कितनी २ है? उसकी सूची सदन की मेज़ पर रखी जावे?

(ङ) ऐसे कितने लोगों को सरकारी अथवा अर्ध सरकारी मुलाज़मत दी गई जिनको एक्स सोलजर्स के नाम ५० और २५ बीघा ज़मीन दे दी थी और वे स्वयं काश्त नही करते हैं और अन्य लोगों को देकर मुनाफा कमाते हैं?

(च) क्या सरकार ने कभी यह अनुभव किया है कि सरकारी ज़मीनों के ऐसे पट्टेदार बहुधन्धी होने के कारण अन्न उत्पादन की वृद्धि में उतनी दलचस्पी नहीं दिखा सकते जितनी उनको दिखानी चाहिये तथा मुलाज़मत अथवा कृषि दोनों में से केवल एक ही काम ईमानदारी के साथ कर सकते हैं?

(छ) क्या सरकारी ज़मीन के पट्टे ऐसे लोगों को भी दिये हुये हैं जिनके पास निजी ज़मीन है और उन्होंने कानून को धोका देने के लिये अपनी निजी ज़मीनों का बटवारा अपने ही कुटुम्बियों के नाम कागज़ात पटवार में करा रखा है? क्या ऐसे व्यक्तियों से यह ज़मीन वापिस लेने की कोई उचित कार्यवाही हो सकती है?

उत्तर

(क) जिला भरतपुर ५३१८ पट्टेदारों पर ५०१७बीघा काबित काश्त ज़मीन खाम पट्टे पर है सूचि तैयार नहीं हो सकी समय की अवश्यकता है।

(ख) इन पट्टेदारों में २१२ पट्टेदार सरकारी मुलाज़िम हैं वे शेष गैर सरकारी है।

(ग) इन पट्टेदारों में ३७ स्वतन्त्र धन्धे वाले २० ठेकेदारी व १६ दुकानदारी पेश वाले हैं।

(घ) इन पट्टेदारों में १५ मुलाजिम ऐसे हैं जिन्हें अपने रिश्तेदारों या भाई बन्दों के नाम ज़मीन पट्टे पर लीं हैं और उसका फायदा स्वयं उठाते हैं।

(ङ) ६७ एक्स सोल्जर्स को ज़मीन दी गई है, उनमें से कितने बाद में मुलाज़िम होगये इस संबंध में कोई सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

(च) जी हां। इस विषय पर विचार किया जारहा है।

(छ) जी हां। ऐसे कुछ व्यक्ति है जिन्होंने खुद की ज़मीन होते हुए भी खाम ज़मीन पट्टे पर ले रखी हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है, जिसके अनुसार इन लोगों से इसके आधा पर ज़मीन वापिस ली जा सके।

(**नोट** : सूचियां जो कि चाही गई हैं बहुत विस्तृत हैं, अतएव समया भाव के कारण तैयार नही हो सकी।).

बीकानेर तहसील में सादुल फ्री वाटर सप्लाई फण्ड से दी गई रकम

४. (४१।सी.एम.) **श्री गिरधारीलाल,** क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

बीकानेर तहसील के किन २ व्यक्तियों किन २ कार्यों के लिये कितनी २ रकम सादुल

Page No.30

फ्री वाटर सप्लाई फण्ड की ओर से दी गई क्या उस धनराशी को नियत कार्यों मे ही खर्च किया गया ?

उत्तर

(१) बीकानेर तहसील के जिन जिन व्यक्तियों को जिन २ कार्यों के लिए जितनी २ रकम सादुल फ्री वाटर सप्लाई फण्ड से दी गई उस की सूची संलग्न है ।

(२) यह धन राशी जिन २ कार्यों के लिए मंजूर हुई उन्हीं में खर्च की गई ।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

जिन्सवार का फिगर मिलान

५. (११७आर. एम.) श्री लक्ष्मीचन्द क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(क) क्या जिन्सवार का फ़िगर मिलान खसरा के मजरूआ फ़िगर से होना चाहिए ?

(ख) यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि ज़िला जालौर की सांचोर तहसील के रेवेन्यु इन्सपेक्टर सर्किल चितलवाना में २१०४ सं० के जिन्सवार का फिगर मिलान खसरा के मजरूआ फिगर से मेल नहीं खाता है और ५७ हजार बीघों का रकबा मिलान खसरा में ज्यादा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) सं० २०१४ में रेवेन्यू इन्सपेक्टर, सर्किल चितलवाना के, प्रत्येक गांव से मजरूआ काश्त कितने २ बीघा में हुई ? सूची सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें ?

(घ) क्या यह सत्य है कि सं० २०१४ में रेवेन्यू इन्सपेक्टर सर्किल चितलवना के हलके के पटवारियों ने जो मिलान खसरा के व जिन्सवार के आंक लिये वह नहीं भेजे गये है यदि हां तो किस कारण से नहीं भेजे गये हैं और पटवारियों ने फिगर भेजे हैं उसकी सूची सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें ?

उत्तर

(क) जी हां ।

(ख) असत्य है ।

(ग) सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है ।

(घ) असत्य है ।

(कृपया परिशिष्ट ९ देखिए)

उदयपुर डिवीजन में प्रशासनिक इमारतें

६. श्री भीमसेन, (लूणकरणसर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

उदयपुर डिवीजन में राजस्थान बनने के बाद कहां २ कितनी लागत से प्रशासनिक इमारतें बनाई जा चुकी है तथा द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत कितनी इमारतों का बनाया जाना प्रस्तावित है ?

उत्तर

राजस्थान बनने के बाद जो प्रशासनिक इमारतें बनाई जा चुकी है वे सूची ए में दी गई हैं जो इमारतें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बन चुकी है या बन रही हैं वे सूची बी में दी गई हैं सूची सी में वे इमारतें दी गई हैं जिनका आगामी दो वर्षों में बनाया जाना प्रस्तावित है ।

(कृपया परिशिष्ट १० देखिये)

११.५६ म० पू०

३१ मार्च, ५६ के पूर्व के बिलों के भुगतान सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, तारीख ४ को, इस सदन में जब कि मैं वहां उपस्थित नहीं था एक स्थगन प्रस्ताव के द्वारा इस बात

Page No.31

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

का आरोप लगाया गया था, कि एजूकेशन, मैडिकल, एग्रीकल्चर और कम्यूनिटी प्रोजेक्ट डिपार्टमेन्ट के अन्दर कुछ चीज़ों को खरीदा हुआ बताया गया है, लेकिन वे चीजें स्टाक्स के अन्दर मौजूद नहीं हैं । इस पर यहां काफी वाद विवाद भी हुआ । ऐसी जानकारी मुझको प्राप्त हुई । इसके बारे में अलग अलग जगह हमने ज़िम्मेदार अधिकारियों को और अकॉउन्टस पार्टीज़ को भेजकर जानकारी की और मैं आपके द्वारा सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि इनमें से किसी भी विभाग के अन्दर ऐसी स्थिति नहीं पाई गई कि किसी सामान का पेमेन्ट कर दिया गया हो और वह स्टाक के अन्दर नहीं पाया गया हो । मैं समझता हूं इस सम्बन्ध में इतना ही कहना काफ़ी होगा ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी वह जांच की रिपोर्ट जिसमें जिन अधिकारियों द्वारा जांच कराई गई है और जिसके अनुसार, जहां तक मेरी सूचना है, कुछ खरीद सम्बन्धी जो अनियमितताएं पाई गई हैं और जिसका ब्यौरा उस रिपोर्ट में है, जिसमें हिसाब सम्बन्धी और पेमेन्ट सम्बन्धी अनियमितताओं का भी जिक्र किया गया है, अगर सदन की मेज़ पर रखी जावे तो अच्छी तरह से माननीय सदस्य इन अनियमितताओं से परिचित होंगे कि मैंने किस तरह की बातें कहीं और वे किस हद तक सही थी । जांच किसने की, किस समय की, फिजिकल वेरीफिकेशन किस किस ने कब किया, स्टाक की जांच कब की, किसने की यह भी आप बताने की कृपा करें ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं कि मैंने स्पष्ट तौर से निवेदन कर दिया है और उस रिपोर्ट को रखने का प्रश्न नहीं आता है । वेग एलीगेशन लगाये जावें और खास तौर से सरकारी अधिकारियों पर प्रभाव डालने का प्रयत्न किया जावे और अब भी यह कहा जावे कि सारी रिपोर्ट पेश होनी चाहिये तो मैं समझता हूं कि यह उचित सिलसिला नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करूं कि जब अधिकारियों ने जांच की तो उनकी रिपोर्ट को यहां सदन के सामने प्रस्तुत करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । मेरी सूचनाओं के अनुसार काफी अनियमितताएं पाई गई हैं । और जिस तरह का तरीका अख्तियार करने का प्रस्ताव मेरा था और जिस समय जांच करनी थी उस समय पर जांच न होकर आप अब कहते हैं एलीगेशन वेग हैं । मैं यह और कह दूं कि एक विभाग की तो अभी भी जांच नहीं की गई है । केवल अधिकारियों से टेलीफोन पर मैसेज़ पूछ लिया गया है कि स्टाक पहुँचा या नहीं और उन अधिकारियों ने रिपोर्ट लिखकर भेज़ दी कि हमने देख लिया है । एक बात और है जांच करने से पूर्व यहां से टेलीफोनिक मैसेज और दिया गया है उनको, कि हम जांच करेंगे और तुम्हें तैयार रहना चाहिये । इस प्रकार की जांच हुई है यह आपकी । आप इसे वेग कह सकते हैं । पर वास्तव में वेग नहीं है । सरकार को चाहिये था कि सरकार को जो मैंने बात बताई थी सारे स्टाक की तुरन्त जांच करते । फिर भी आपने जो जांच कराई है उसकी रिपोर्ट सरकार सदन में पेश करे ।

श्री अध्यक्ष : आपने तो यही कहा था ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह भी

Page No.32

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कहा था कि अभी चला जावे और वे जाने को तैयार हैं। इसके बारे में अध्यक्ष महोदय को भी पता है। गवर्नमेंट की तरफ से उनको यह अवसर दिया गया था कि वे साथ जा सकते हैं और उसी रोज़ भी चैकिंग किया जा सकता है। इसके बारे में इन्कारी की बात नहीं थी। दूसरे, जाना पसन्द नहीं किया। तीसरी बात ?

श्री भैरोंसिंह : ऐसा अवसर कब दिया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह माननीय अध्यक्ष की जानकारी में है। मैं स्पष्ट कर दूं कि सिर्फ उन्हीं अधिकारियों से पूछ कर जवाब दे रहा हूं ऐसी बात नहीं है। इसके सम्बन्ध में जानकारी करने के लिये खास अधिकारियों को सेटेक्रेरियट के अकाउन्टस ऑफिसर को भेजा गया कि सारी, जाकर चैकिंग करें।

मैडिकल डिपार्टमेंट के लिए ऑडिट पार्टी को भेजा गया और उस आडिट पार्टी ने वहां का चैकिंग किया। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अन्दर जाइन्ट डाइरेक्टर और अकाउन्ट्स आफिसर्स गए और उन्होंने वहां जाकर चैकिंग किया। डवेलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट में ऑडिट की इन्सपेक्टिंग पार्टी को भेजा और उसने जाकर चैकिंग किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने केवल उनसे पूछ कर ही, यहां जवाब पेश किया है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : जब माननीय सदस्य ने एडजार्नमेंट मोशन उठाया था और उन्होंने कहा था कि अगर सरकार जांच के लिए तैयार है तो मैं उनके साथ चल सकता हूं तो उसी समय क्यों नहीं गये।

श्री अध्यक्ष : देखिये, यह कोई बहस का विषय नहीं है।

श्री किशनलाल शाह (नावां): On a point of order. Sir, सरकार ने जो यह जांच करवाई तो उसकी रिपोर्ट सदन के सामने रखी जानी चाहिए क्योंकि यह आरोप प्रत्यारोप हैं और अभी थोड़े दिन पहले भी यही प्रश्न उठा था कि यह सदन की प्रतिष्ठा का सवाल है, कि इस प्रकार के आरोप लगाये जाते हैं और यह सब जगह आम चर्चा हैं और सब जगह ऐसे ट्रान्जेक्शन्स होते हैं और सरकार बदतमीज़ और बदमाशों को इस तरह से शील्ड करती है। तो··· I withdraw these word.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रकार के शब्द जो 'बदतमीज़' और 'बदमाश' प्रयोग किये हैं मैं इनके लिए सख्त एतराज़ करता हूँ।

श्री किशनलाल शाह : मेरी शायद फ्रेज्योलोजी को समझ नहीं सके···

श्री अध्यक्ष : आपकी फ्रैज्योलोजी ठीक नहीं थी।

श्री किशनलाल शाह : तो आई विड्रा माई वर्ड्स। पर अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है और ऑफिसरों को शील्ड किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि जिस रिपोर्ट के आधार पर माननीय मुख्य मन्त्रीजी जवाब दे रहे हैं उसको सदन की मेज पर रखें।

अध्यक्ष : आप सरकार से क्या आशा करते थे ?

श्री किशनलाल शाह : I don't want any thing from the Government. I want from the Chair. और वह यह है कि इस प्रकार की रिपोर्ट को इस तरह के वातावरण में सदन की मेज पर प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उस रोज की सारी रिपोर्ट को मैंने देखा है...

श्री किशनलाल शाह : इस प्रकार की रिपोर्ट....

श्री अध्यक्ष : कृपया आप बैठ जायें ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था कि सदन में इस प्रकार की परम्परा डालना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं होगा । जहां तक सदन के सदस्यों का सम्बन्ध है उनके बारे में कहा जाये तो ठीक है पर एक बात उपस्थित होती है और वह यह है कि जो यहां पर उपस्थित नहीं हैं, सरकारी कर्मचारी हैं और अगर उनके लिए सदन में यह परम्परा है कि हम वेगली वाइड एलीगेशन्स उनके ऊपर लगाते चले जायें तो यह ठीक नहीं है । उस रोज़ भी माननीय सदस्य द्वारा कुछ विभागों के नाम दिये गये पर पर्टिक्युलर आइटम के बारे में कहा जाता तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहता और उसमें जांच करने में भी सहूलियत रहती । जैसा कहा गया कि ३१ तारीख को ऐसा होता है । I will oppose this thing and I will protest against it कि यह कह देना ठीक बात नहीं होती है । इसी तरह से लोगों को डीमोरेलाइज़ करें और लोगों पर असर हो ।

श्री किशनलाल शाह : मैं चाहता हूं कि सरकार उस रिपोर्ट को सदन की मेज़ पर क्यों नहीं रखती जिसके आधार पर यहां जवाब दिया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष : आपने जो रिपोर्ट के बारे में कहा है वह यह था कि सरकार को बाध्य किया जाये रिपोर्ट रखने पर, ऐसा आपने कहा था ?

श्री किशनलाल शाह : दूसरी बात यह है अध्यक्ष महोदय कि जो कुछ यहां पर आरोप लगाये जाते है वह जिम्मेदारी के साथ लगाये जाते हैं और उन पर ध्यान नहीं दिया जायें तो फिर सदन की प्रतिष्ठा भी अंधेरे में हो जाती है । सरकारी ऑफिसरों की प्रतिष्ठा को रखने के लिए मैं आवश्यक समझता हूँ । इस बात को स्पष्ट करने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न रिपोर्ट का नहीं है । सदन के समक्ष कुछ बातें कहीं और उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जानकारी मेरे पास आई है तो इसकी जांच होनी चाहिए । इस पर मैंने उनसे कहा कि आप स्पष्ट रूप में बता दीजिए और इस पर उन्होंने चार विभागों के नाम लिए और उन विभागों की जांच के लिए सरकार उसी समय तैयार हो गई और उनकी जांच के लिए ऑफिसर को मौके पर भेज दिया ।

श्री भैरोंसिंह: अब थोड़ा सा मैं और अर्ज़ कर दूं....

श्री किशनलाल शाह: अध्यक्ष महोदय रिपोर्ट सदन की मेज़ पर रखी जाये और उससे मालूम हो जायेगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी जो अपना बयान देते हैं वह उसके अनुसार ही दे रहे हैं या फिर रिपोर्ट में कुछ है और उसके प्रतिकूल उसका उत्तर दे रहे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: अध्यक्ष महोदय, मैं शब्दों का सख्त एतराज करता हूँ। न तो मैं यहां पर किसी को शील्ड करने के लिए खड़ा हुआ हूं अगर किसी ने गलती की हुई होती तो मैं स्पष्ट रूप से कह देता। क्योंकि यह प्रश्न उठा है और अगर अधिकारी दोषी होते तो मैं स्वयं स्वीकार कर लेता परन्तु कोई दोषी है नहीं और फिर भी कहा जाये तो इसको मैं उचित नहीं समझता।

श्री भैरोंसिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा और स्पष्टीकरण कर दूँ। मैंने ४ तारीख को एक एडजार्नमेंट मोशन मूव किया था। ११ बजे जो मंत्री महोदय उपस्थित थे मैंने एक एडजार्नमेंट मोशन की एक प्रतिलिपि उनको दे दी थी। सवा बारह बजे जिस समय प्रश्नोत्तर का समय खत्म हुआ तो उस समय मैंने मांग की कि मेरे एडजार्नमेंट मोशन के बारे में सरकार को क्या कहना है और मैंने कहा था कि यदि इसी समय चला जाये तो कुछ डिपार्टमेन्ट्स में मैं रैड हेन्डेड पकड़वा सकता हूँ। उस समय मंत्री महोदय की ओर से यही आश्वासन दिया गया कि सरकार इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी। इसके बाद अध्यक्ष महोदय, मुझे २॥ बजे सूचना मिली कि लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट के जो सेक्रेटरी हैं उनको बुलाया गया है और इसकी जांच करने के लिए उनको डेप्यूट किया जा रहा है। मुझे उस समय बुलाया गया और उनसे मेरी बातचीत हुई और मैंने उनको कुछ बातें बताई और मैंने उन सेक्रेटरी साहब को कह दिया था कि इस समय सदन में पुलिस की डिबेट चल रही है और यदि आप आवश्यकता समझें तो मैं चल सकता हूं। लेकिन थोड़े ही समय के पश्चात कहा गया कि आप साथ में जाना चाहें तो चल सकते हैं। मैंने सेक्रेटरी को उस समय कहा था कि आप इन स्थानों पर चले जायें और यदि कोई चीज़ आपको नहीं मिलती है तो आप मुझे टेलीफोन पर कह दें और इस बात की गवाही के लिए माननीय राजस्व मंत्री जी से नहीं तो सेक्रेटरी साहब से पूछ लीजिए। मैंने उनसे कहा था कि आप मुझे टेलीफोन कर दें अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है तो या तो मैं स्वयं ही वहां पहुंच जाऊंगा या फिर मैं आपको बता दूंगा। परन्तु मैं आज तक इन्तजार कर कर रहा हूं कि उस जांच का रिज़ल्ट क्या निकला है, जांच में कुछ कमियां पाई गई हैं या नहीं। एक बिल्टी भरतपुर के नाम कर दी है और सामान अभी तक नहीं मिला है और उस बिल्टी के ऊपर पेमेन्ट हुआ है। फर्म को ऑर्डर दे दिया गया है और दूसरी जगह माल भेज दिया। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पेमेन्ट करना था। पेमेन्ट के बारे में उन्होंने पहले से कोई व्यवस्था कर रखी थी, ऐसी बातें जरूर मालूम हुई हैं। अब माननीय मंत्री महोदय उसको सदन में रखें तो मालूम हो जायेगा कि किस प्रकार से जांच हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यहां पर टेलीफोन की व्यवस्था है, यहां पर सरकारी ऑफिसर्स भी रहते हैं और जिनके खिलाफ़ कहा जाये तो यह सम्भव नहीं है, कि सवा ग्यारह बजे उनको सूचना नहीं

(श्री भैरोंसिंह)

मिली हो कि विधान सभा के अन्दर इस प्रकार के आरोप लगाये गये हैं और जांच होने वाली है। इस प्रकार की सूचना करीब करीब सभी को मिल गई होगी। फिर ६-७ बजे आप जांच करें तो मैं कह सकता हूं कि जयपुर में रात को किस तरह से दौड़ लगाई गई। जयपुर के पास सांगानेर के एस० डी० ओ० के ऑफिस में प्लाउज़ रात को भेजे गये। वहां विभागों में केवल ऑफिसर्स गए और उन्होंने रजिस्टर्स देखे। मैंने कहा था कि स्टाक का फिजिकल वैरीफिकेशन हो। पार्टी ने केवल रजिस्टर्स देखे और सामान को नहीं देखा, कि सामान है भी या नहीं। जो कुछ देखा इसके लिए मेरे सामने इस बात का संदेह है कि वह अलमारियां जयपुर ईस्ट की हों या वैस्ट की हों लेकिन वह अलमारियां अब भी पड़ी हैं वह गोदरेज की अलमारियां अब भी पड़ी हैं। उनको दूसरी जगह भेजकर रिपोर्ट को गोलमाल करने की कोशीश की जा रही है। इस आधार पर कह दिया जाये कि वहां पर कुछ भी नहीं पकड़ा गया। तो जिस समय मैंने यह चार्ज लगाया था उसी समय सरकार साथ चलती तो इसके बारे में दूसरों को सूचना मिलती तो उसके पहले एक या दो विभाग जहां भी पहुँच सकते थे वहां इस तरह की बात पकड़ी जा सकती थी। अधिकारियों को सूचना मिल जाये और यह बताया जाये कि कोई सामान इधर उधर नहीं होता यह बिल्कुल सम्भव नहीं है। मंत्री महोदय ने कहा कि यह एलीगेशन्स बेगड हैं। पर मैं अगर किसी सरकारी अधिकारी के नाम को लेकर कहता तो कहा जा सकता था। इस कारण से उसके ऊपर चाहे जिस प्रकार का इल्ज़ाम लगाया जा सकता है लेकिन मैं कह सकता हूं कि किसी व्यक्तिगत सरकारी अधिकारी को दोष देने का प्रश्न नहीं है बल्कि सरकार के खुद के ऊपर साल के आखिरी दिन को पर्चेज की जाती है और पेमेन्ट, अकॉउन्ट्स वगैरा में गड़बड़ी होती है, साठ गांठ होती है उन सब बातों को लेकर दोष लगाया जाय तो सरकार पर्सन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कि ऑफिसर्स को किस तरह से प्रोटेक्ट करती है, अपने प्रति उनकी सिम्पेथी गेन करने के लिए सदन के माननीय सदस्यों को वाइल्ड और झूठे एलिगेशन लगाने की बात कहे तो मैं कहूंगा कि सरकार खुद सरकारी अधिकारियों को बचाने के लिए वाइल्ड और झूठी बात करती है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : (मुख्य मंत्री): एक बात केटेगोरिकली कही गई, कि अलमारियें जयपुर ईस्ट में पड़ी हैं। इस बारे में मैं स्ट्रैन्थ के साथ कहना चाहता हूं कि उन अालमारियों के लिए एक पैसा भी नहीं दिया गया फिर भी कह दिया गया कि गोदरेज वाले को पैसे दे दिये। सब के बारे में जांच कराली गई है, ऐसा कोई सामान नहीं पाया गया जिसके लिये पेमेन्ट कर दिया हो और सामान मौजूद नहीं हो। जब एक बात केटेगोरिकली कह दी जाती है, तो चाहे विरोधी पक्ष ही क्यों न हो जब फेक्ट्स उनके सामने रख दिये जाते हैं, तो उनको विश्वास करना चाहिये। इसमें किसी को प्रोटेक्ट करने की बात नहीं है। लेकिन कहीं अवहेलना नहीं हुई है तो यह कैसे कहा जाय कि अवहेलना हुई। जहां कोई गलती नहीं पाई गई तो यह कैसे कहा जाय कि गलती पाई गई। जहां गलती नहीं पाई गई है, उसके लिये नहीं पाई गई ही कहा जायगा। जैसे आपने कह दिया कि २ घंटों में सारी चीजें स्टॉक में आ

Page No.36

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जायेगी और रजिस्टर्स में जमा करली जायेगी मैं समझता हूं दो घंटे के अर्से में ये सारी चीजें हो नहीं सकतीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार जयपुर): On a point of information, Sir, यहां फिजीकल वेरिफिकेशन की बात कही गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो चैकिंग हुआ है, वह फिजीकल वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं? सारी चीजें वहां पर मौजूद हैं या नहीं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : फिजीकल वेरिफिकेशन के आधार पर ही तो बताया है।

श्री भैरोंसिंह : सांगानेर बी.डी.ओ., के वहां प्लाउज़ की जांच हुई या नहीं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जांच करली गई है। निश्चय तौर से पूछा है तो जानकारी करनी होगी।

श्री भैरोंसिंह : जिस दिन जांच हुई, उस दिन एग्रीकल्चर इन्जीनियर, लाल बोर्ड पर जिस पर लिखा हुआ था, उस प्रकार की गाडी में प्लाउज गये हैं।

श्री अर्जुनदास : (अजमेर पश्चिम) It means that the Hon'ble Chief Minister is himself not certain about things.

श्री अध्यक्ष : मौके पर जाकर फिजीकल वेरिफिकेशन हुआ है, यह स्पष्ट कहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : सांगानेर में रजिस्टर देखा है?

श्री अध्यक्ष : ऐसी संभावना थी तो आप साथ चले जाते।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जहां तक ब्लॉक्स का सवाल है, फाइनेन्शियल ईयर खत्म होने के पहले ८ पार्टीज़ पहले से ही मुकर्रर करदी गई थी अलग अलग जगहों पर इसलिये कि फिजीकल वेरिफिकेशन और दूसरा वेरिफिकेशन करें।

श्री भैरोंसिंह : आठ पार्टीज़ पहले से मुकर्रर थी लेकिन क्या मेरे कहने के बाद उन्होंने फिजीकल वेरिफिकेशन किया है?

श्री अध्यक्ष : फिजीकल वेरिफिकेशन किया है।

श्री भैरोंसिंह : जयपुर इन्स्पेक्टोरेट में ८ आठ बजे तक कोई आदमी नहीं था।

श्री अध्यक्ष : आपने प्रश्न उठाया था कि ३० और ३१ तारीख को जिनका पेमेन्ट हुआ है, वे चीजें स्टोर में नहीं पहुंची हैं। जिस चीज़ के बारे में आपने कहा उसकी जानकारी की तो सारी चीजें वहां पर मौजूद मिली।

श्री भैरोंसिंह : स्पष्ट कह दें सांगानेर में पाई गई या नहीं?

श्री अध्यक्ष : जिनका पेमेंट पिछले दो दिनों में हुआ उनकी बात थी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं एक लाइन आपके सामने पढ़ दूं: Stores and articles purchased during the latter half of March, 1959 were hysically checked..."

श्री भैरोंसिंह : किस जगह ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सांगानेर ब्लॉक में।

श्री भैरोंसिंह : क्लाऊज के बारे में क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : सारी चीजें देखी गई हैं। ब्लॉक्स का तो लैप्स नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह : लैप्स नहीं होता तो श्री ए.पी दीवान ने खुद ने नोट लगाया है ३१ तारीख को जो कागज़ दिये गये वे नोट लगाकर दिये गये हैं। मुख्य मन्त्रीजी को मालूम है, जांच करलें।

श्री अध्यक्ष : इससे कोई मतलब नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी) : यह प्रश्न ऐसा था जिसके कारण सारे हिन्दुस्तान में राजस्थान सरकार काफी बदनाम हुई है और इसका असर विधान सभा के सदस्यों पर भी हुआ। यह आखिर करेप्शन का मामला था। जिस समय विधान सभा में इस बारे में कहा गया उस समय मन्त्रीजी का फर्ज था कि सारे माननीय सदस्यों से कहते कि कोई भी चल सकता है।

श्री अध्यक्ष : यह कह दिया गया था उस समय।

श्री भैरोंसिंह : तीन घन्टे बाद कहा था।

श्री अध्यक्ष : आपका एलिगेशन था कि चीजें नहीं पहुँची हैं।

श्री भैरोंसिंह : शहर से ही तो लेजानी थी।

श्री अध्यक्ष : अब इस पर बहस नहीं होगी।

श्री मुरलीधर व्यास : तीन घन्टे के बाद भी जाते तो अच्छा रहता। सरकार को भी सतर्क रहना चाहिये...

श्री अध्यक्ष : अब इस पर बहस नहीं होगी।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : जिन्होंने फर्जी कार्यवाही की है वे तो सचेत थे। तीन घंटे क्या एक घंटे में भी कर सकते थे।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज़ बिल।

श्री किशनलाल शाह : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो कुछ माननीय सदस्य के लिये कहा है वह माननीय सदस्य का अपमान है। यह ब्रीच ऑफ प्रिवलेज का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आपको अलग से मोशन देना है तो दीजिये।

श्री मोहरसिंह (चूरू): मैंने चार दिन पहले एक एडजोर्नमेंट मोशन दिया था उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : मैंने उसे अस्वीकार कर दिया था।

श्री मुरलीधर व्यास : अस्वीकार करने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी ने कहा था कि नकल आयेगी तभी इसका उत्तर दिया जा सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास : नकल मांगी गई या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : नकल आने में टाइम लगता है।

श्री मुरलीधर व्यास : २४ घंटों में मिल सकती है।

श्री अध्यक्ष : नहीं मिलती है। उन्होंने कागज़ बताये हैं।

१२.२० म० प०

विधायी कार्य

राजस्थान नगरपालिका विधेयक १६५७

(अग्रेतर खण्डशः विचार विमर्श)

श्री अध्यक्ष: राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज़ बिल। क्लॉज़ २११।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २११ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २११ विधेयक का अंग बना।

क्लाज २१२

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : On a point of order, Sir, कल जो अमेंडमेंट्स दिये थे, वे अब तक सर्क्यूलेट क्यों नहीं हुये ?

श्री अध्यक्ष : कल वाले अमेंडमेंट बहुत लेट हो गये थे, इसलिये सर्क्यूलेट नहीं हो सके।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरा अमेंडमेंट इस प्रकार है: In part (c) of sub-clause (1), insert 'or pulled down' after the words 'broken into or through.'

यह लैंग्वेज के करेक्शन के बारे में है इसलिए इसे एक्सेप्ट कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २१२ में जो संशोधन मंत्री महोदय ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ २१२ स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २१२, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

क्लॉज़ २१३ व २१४।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मैं क्लॉज़ २१३ पर बोल रहा हूं। क्लॉज़ २१३ की सब क्लॉजेज़ ४ हैं उसके अन्दर हैं :

"An appeal shall lie from the order of the chairman under sub-sec. (3) to the Commissioner in the case of a

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

city and to the Collector in case of any other municipalty and may be filed within thirty days of the order appealed from exclusive of the time requisite for obtaining a copy thereof."

इसमें जो प्रावधान किया गया है । जहां बिल्डिंग तोड़ने का प्रश्न है, वहां पर कलेक्टर भी न जाय । तो यह छोटा सा मसला है, इसमें कमिश्नर कलेक्टर दोनों कर लिये गये हैं । मैं समझता हूं कि दोनों के बजाय कलेक्टर कर दिया जाय, जिस प्रकार पहले करते आ रहे हैं, उसी प्रकार कलेक्टर कर दिया जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कलेक्टर कर दिया जाय यही ना ? मुझे इसमें आपत्ति नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : दोनों जगह कलेक्टर करा जाय ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सारे शब्दों के बजाय कलेक्टर कर दिया जाय to the Commissioner in the case of a city and to the Collector in the case of any other municipality... केवल कलेक्टर कर दिया जाय तो ठीक है ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): कलेक्टर की जगह डिस्ट्रिक्ट जज कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा । कलेक्टर के पास काफी काम होता है ।

श्री अध्यक्ष : इसमें कई और दिक्कतें हो जायेंगी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : पहले भी कलेक्टर कर दिया है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २१३ के जो उप-क्लॉज़ ४ में जो संशोधन प्रस्तुत हुआ है, उसे स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ २१३ स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २१३ संशोधित रूप में विधेयक की अंग बना ।

क्लॉज़ २१४, २१५, २१६ । प्रश्न यह है कि ये क्लॉजेज़ स्वीकार की जांय ।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ २१४, २१५ व २१६ विधेयक की अंग बना ।

क्लॉज़ २१७

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरे अमेंडमेंट हैं, वे मीनिंग क्लीअर करने के लिए है, कोई मेटिरियल अमेंडमेंट नहीं है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २१७ हैं, इसमें लिखा है : 'If any building, by reason of dilapidation, neglect,abondonment or desease or

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

its remaining untenante and thereby. इसमें जो ए. बी. सी में किया है : becoming a resort of idle and disorderly persons or of persons who have no ostensible means of subsistence or who cannot give a satisfactory account of themselves or...

यह म्युनिसिपैलिटी को देखने की बात है, यह पुलिस को देखने की बात है। इसमें लिखा है कि कोई आदमी आइडल हो, आइडल का हिन्दी में अनुवाद करें तो अनुवाद है सुस्ती। कोई आदमी सुस्त है तो म्युनिसिपल बोर्ड पर कब्जा करता है otherwise no means of subsistance... किसी को महसूस हो तो उस स्थिति के अन्दर वह उस मकान को बनवा लेगा, तुड़वा कर बनवा लेगा और म्युनिसिपैलिटी और पुलिस के फंक्शन्स के अन्दर यह नहीं रहेगा। इसमें उप धारा १ जोड़ी है. बिल्डिंग्स इसके अन्दर किसी प्रकार नहीं आती है। इसका जो सब क्लॉज १ है, उससे जो म्युनिसिपैलिटी का पर्पज है, वह किसी प्रकार सर्व नहीं होता है। इसलिए गवर्नमेंट इसे रिमूव कर दे, इसको डिलीट कर दे तो ठीक हो सकता है। इसका बी. है :

Coming into use for any insanitary or immoral purposes.

इसमें फिर एक बात है कि ऐसे मकानों को ढूंढ़ना शुरू किया तो बहुत से मिलेंगे। इस प्रकार के इन्सेनोटेशन के मकानों को तोड़ना शुरू किया तो कोई अंत नहीं रहेगा और एक तरह का झगड़ा पैदा हो जायगा। इसलिए यह धारा अनावश्यक है, इसका मैं विरोध करता हूं इसको अविलम्ब हटाया जाना चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : इसके साथ और जुड़ा है, आप सी पार्ट के आगे पढ़िये :

"is open to objection that it is a nuisance or so unwholesome or unsightly as to be a source of discomfort, inconvenience or annoyance to the neighbourhood or to persons passing by such building, the board if it considers that such objecton cannot, under any other provisions of this Act, be otherwise removed . . .

ऐसी चीजें रिमूव नहीं होती हैं उनके लिए है। जो न्यूसेन्स होगा नेबरहूड के लिए, उसके लिए प्रोविजन रखा गया है। इमरजेन्सी पर्पज़ के लिए प्रोविजन रखा गया है। यह नहीं है कि इसे हर रोज काम में लेंगे। मैं समझता हूं कि यह जैसा है वैसा ही इसे पास कर देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २१७ में जो संशोधन मंत्री महोदय ने रखा है, उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

(संशोधन स्वीकार किया गया)

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ २१७ स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २१७ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: (जौहरी बजार जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस पर मैं बोलूंगा। इस बिल की धारा २१८ है, वह इस बात से सम्बन्ध रखती है Building or room in building unfit for human habitation. अध्यक्ष महोदय इस धारा में यह व्यवस्था की हैं, कि कोई भी रहने का मकान, जो रहने लायक नहीं है और जिसके बारे में नगर पालिका के अधिकारी इस बात का विचार रखते हैं, कि यह मकान रहने के लायक नहीं है तो उस मकान मालिक को एक नोटिस जारी करके उस मकान में रहने की पाबन्दी कर सकते हैं और इस प्रकार भी इसमें प्राबीजन होगा कि वह व्यक्ति उस मकान में नहीं रह सकेगा क्योंकि वह मकान रहने लायक नहीं है और सम्भवतः उसे तुड़वाया जा सकेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जितनी कमी थी इसमें और कर दी है....

श्री अध्यक्ष : आप निवेदन करते जाइये,

(गण पूरक घंटी के पश्चात् पुनः)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि अगर किसी कारण से नगरपालिका को यह जंच जाय कि इस प्रकार का मकान रहने के लायक नहीं है, तो उसके बारे में इसमें व्यवस्था की है। इसके सब-क्लॉज़ दो में लिखा है कि म्युनिसिपल बोर्ड जो भी इस प्रकार की आज्ञा देगा, उस आज्ञा के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति कलेक्टर या कमिश्नर को अपील कर सकेगा और वह अपील अन्तिम रहेगी, उसके खिलाफ कोई अदालत मे दावा नहीं किया जा सकता है। जहां तक कलेक्टर और कमिश्नर को अपील का ताल्लुक है, मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी ने जिस प्रकार अन्य क्लॉजेज़ कमिश्नर और कलेक्टर को अपील करने के लिए स्वीकार किया है, सम्भवतः इस क्लॉज़ में भी स्वीकार कर लेंगे लेकिन जहां तक दूसरी बात का ताल्लुक है मैं यह समझता हूं और मैं मान सकता हूँ कि अगर कोई मकान वास्तव में टूटी फूटी हालत में है, कोई मकान रहने के लायक नहीं हैं तो नगर पालिका को अधिकार होना चाहिये। नगर पालिका को अधिकार उस बात का हो कि नोटिस देने के बाद जब संतोष हो जाय कि मकान रहने के काबिल नहीं है, तो उस मकान को तुड़वा दिया जाय या मकान में रहने की मनाई कर दी जाय। परन्तु अनुभव बताते हैं और इस प्रकार के उदाहरण हुए हैं, जिनके आधार पर यह कह सकता हूं कि इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन करने का अधिकार म्युनिसिपल बोर्ड को दिया है, जो अधिकार दिया है, उसका दुरुपयोग किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिए बताता हूँ कि जयपुर शहर का जो घी वालों का रास्ता है उसके अन्दर इस प्रकार की घटना हुई थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी मकान मालिक का मकान था उसने वह मकान दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, जिस व्यक्ति को बेचा, उस व्यक्ति का एक रिस्तेदार नगरपालिका में कर्मचारी था, सेनीटरी इन्स्पेक्टर था। वह व्यक्ति मकान को खाली कराना चाहता था लेकिन मकान खाली नहीं हो सकता था क्योंकि टिनेन्ट प्राटेक्शन कानून बना हुआ है, उसका इजेक्टमेंट नहीं हो सकता, मकान खाली नहीं करवा सकता। उस व्यक्ति ने विचार

Page No.42

(श्री रतनचन्द्र अग्रवाल)

किया कि दूसरा रास्ता नहीं हो सकता । सिवाय इसके कि म्युनिसिपल बोर्ड को दर्ख्वास्त दी जाय कि मकान गिर जायगा, मकान टूटी फूटी हालत में है, ह्यूमन हेबीटेशन के काबिल नहीं है । म्युनिसिपल बोर्ड ने दर्ख्वास्त, पर आज्ञा दी कि इस मकान को गिर दिया जाय. माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नगर–पालिका में दरख्वास्त देता है कि मेरा मकान रहने के काबिल नहीं है, गिरा दिया जाय, इसके बाद उसका एक बन्धु नगरपालिका में था, उसने उस दिन जब कि शहर में भंगियों की हड़ताल थी वह नगरपालिका का कर्मचारी ५० भंगियों को ले कर वहां पर पहुंचता है और उस मकान में रहने वालों के कपड़े बिस्तर, सामान वगैरह फिकवा देता है और कमरों के आगे आने जाने के रास्ते, जो रोस थे, बालकोनी थी उनको तुड़वा देता है और मकान की ऐसी हालत कर दी जाती है कि मकान में वे लोग रह नहीं सकते और इस तरह मकान खाली करने के लिए उनको मज़बूर किया जाता है । तो इस तरह मज़बूर किया जाय कि खाली कराना है और इसलिए खाली कराना है कि उसका भाई, रिश्तेदार है म्युनिसिपैलिटी में कर्मचारी है, यह तो एक यहां की एक घटना है, इस प्रकार की अनेकों घटनाएं हो सकती हैं । तो इस प्रकार का अधिकार देंगे तो नगरपालिकाएं इस प्रकार के अधिकारों का दुरुपयोग करेंगी । इस प्रकार का प्रोवज़न रखा कर इसके आगे अपील करने पर पाबन्दी लगाई है उसका मैं सबसे ज्यादा विरोध करता हूं । आगे इस प्रकार की पाबन्दी लगाई है कि इस तरह का ऑर्डर नगरपालिका कर सकती है, उसकी कोई अपील नहीं हो सकती । कॉमन लॉ कोर्ट्स हैं जहां हर आदमी न्याय हॉसिल करने के लिए इन्जंक्शन का ऑर्डर निकलवा सकता है, तो इसके लिए पाबन्दी लगा कर उसके न्याय प्राप्त करने के रास्ते को क्यों बन्द करते हैं ? जहां तक कलेक्टर का ताल्लुक मकान को तुड़वाने या न रहने देने के बारे में, तो इसमें यह होगा कि कोई सरकार का अधिकारी इसमें इन्ट्रेस्टेड होगा तो हो सकता है कि कलेक्टर ऑर्डर उन्हीं के अनुसार हो । लेकिन सीविल कोर्ट्स हैं, जुडिशियरी है, ये हाई कोर्ट के अन्डर में हैं, जहां तक साधारण आम जनता का सम्बन्ध है उसका नगरपालिकाओं के अधिकारियों के न्याय में, कलेक्टर के न्याय में या एग्ज़ीक्युटिव मजिस्ट्रेसी में विश्वास नहीं रह गया है । तो उस आम जनता के लिये जुडिशियल कोर्ट्स के दरवाजे खुले रखिये । पुलिस अत्याचारों के बारे में सरकार का ध्यान इस सदन में आकर्षित किया गया है, इसमें जुडिशियरी को अलग करना है, एग्ज़ीक्युटिव मजिस्ट्रेसी में लोगों का विश्वास नहीं रहा है, ऐसी जनता में भावना है और आप कानून में दो लाइन डाल देते हैं कि इस प्रकार के ऑर्डर पास होने पर कोर्ट में चैलेंज नहीं किये जा सकते । विदाउट जुरिस्डिक्शन हो तो चेलेंज़ कर सकते है कि यह ऑर्डर इल्लिगल कर दिया जाय, मुंशिफ की कोर्ट में, सीविल कोर्ट में दावा दायर किया जा सकता है तो जिस आदमी को आपकी एग्जीक्युटिव में विश्वास नहीं रहा उसको कैसे पाबन्द करते हैं कि, वह चैलेंज नहीं कर सकता । कमिश्नर की जगह कलेक्टर सब्स्टीट्यूट कर दें, जहां तक आम जनता का ताल्लुक है किन्हीं को मकानों को डिमोलिश कराने के पॉवर

Page No.43

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

दीजिये पर हर नागरिक को अधिकार दीजिये की दीवानी अदालत में जा कर दावा कर सके और इन्जेक्शन का ऑर्डर करवा सके, नल एन्ड वोइड ऑर्डर हो तो सिविल कोर्ट चैलेंज कर सके।

मैं मन्त्री महोदय से अन्त में फिर निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के मेरे सुझाव को वे स्वीकार करें।

श्री भैरोंसिंह : मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : किसका ?

श्री भैरोंसिंह : इस क्लॉज़ का।

श्री नाथूराम मिर्धा : सारे का ?

श्री भैरोंसिंह : अधूरी का।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी अभी सदन में धारा २१७ पास की है अब धारा २१८ पर वाद विवाद चल रहा है। मैं ऐसा समझता हूं कि जिस प्रसंग में इस धारा पर विचार किया जाय यदि उसमें धारा २१७ को सामने रख कर विचार किया जाय तो ऐसा महसूस होगा कि धारा २१८ की कोई आवश्यकता नहीं। यह कहा जा सकता है कि दोनों धाराओं में अन्तर है, अन्तर है पर दोनों की मंशा एक है। यदि कोई फिल्दी बिल्डिंग है तो म्युनिसिपैलिटी भी ऐसा निर्णय ले सकती है, जिसके कारण उसके रहने वालों को कोई नुकसान नहीं हो और २१८ के अनुसार व्यवस्था होगी कि म्युनिसिपैलिटी की निगाह में किसी आदमी का किसी मकान में रहना उपयुक्त नहीं है तो म्युनिसिपल बोर्ड ऑर्डर देगा कि अमुक मकान में अमुक कमी है, या तो अमुक समय में अमुक कमी को सुधारा जाय, पूरा किया जाय और उस समय तक पूरी नहीं हो तो उस आदमी को पाबन्द किया जाय कि वह उसका उपयोग न करें। माननीय अध्यक्ष, वैसे दिखने में यह अधिकार एक छोटा सा अधिकार है और ऐसा कहा जा सकता है कि नगरपालिकाओं को ऐसे अधिकार देने आवश्यक हैं, पर मैं कहता हूं कि यदि इस प्रकार के अधिकार नगरपालिकाओं को मिले तो आज कल जैसी हालत नगरपालिकाओं की है, जिस प्रकार गुटबन्दी का बोलबाला नगरपालिकाओं में है, वहां इस बात की कल्पना करना भी मुमकिन होगा कि व्यक्तियों को परेशान करने के लिए भी इन अधिकारों का उपयोग किया जा सकता है।

जयपुर का एक मशहूर उदाहरण जिससे मन्त्री महोदय अच्छी तरह से परिचित हैं, इस धारा के अन्तर्गत तो नहीं, ऐसी धाराओं के अन्तर्गत जयपुर नगरपालिका को अधिकार दे रखा था उसका कैसा दुरुपयोग हुआ यह मन्त्री महोदय अच्छी तरह जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय, केवल यह कह देना कि मकान में रहना लाभ दायक नहीं, इतना परिवर्तन कराना अनिवार्य है, यह अधिकार देना बहुत आपत्तिजनक हो सकता है। एक आदमी पक्के मकान में रहता है आमदनी की कमी के कारण, वह उस मकान की उतनी मरम्मत नहीं करवा सकता जितनी कि टिनेन्ट्स चाहे तो म्युनिसिपैलिटी चाहे। उसको नोटिस से पाबन्द किया जायगा कि

Page No.44

(श्री भैरोंसिंह)

यदि इतनी नालियां, इतने आलमीराज, इतने मकानों की सफेदी नहीं कराई, फलश का ताहरत नहीं बनाया, टूंटी नहीं लगवाई तो नगरपालिका हुक्म दे सकती है कि अमुक मकान में अमुक प्रकार का परिवर्तन अमुक तारीख तक निश्चित रूप से हो जाना चाहिये, नहीं तो मकानसे बाहर निकाल दिये जायेंगे। यह देखने में बड़ा सुन्दर लगता है, पर मकान मालिक के लिये इस प्रकार की आज्ञा चाहे नगरपालिका दे, किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। आज इस राजनैतिक दलदल में पार्टीबाज़ी चलती है और इस प्रकार के अधिकारों से एक दूसरे को नुकसान पहुँचाया जा सकता है।

चौकड़ी तोपखाना देश में, एक व्यक्ति ने एक नोहरे में आरा मशीन लगा ली, कानून के अनुसार आरा मशीन रहने के मकानों से ३० गज की दूरी पर लगानी चाहिये पर उसने ३ गज की दूरी पर आरा मशीन लगाई तो आस पास के आदमियों ने शिकायत की कि ३० गज की दूरी पर आरा मशीन लगानी चाहिये। मुझे अफसोस इस बात का है कि जब उसकी दरख्वास्त सरकार के सामने आती है, तो सरकार उसकी जांच करती है। सरकार के उप मन्त्री ने जांच की और लिख दिया कि यह ३० गज की दूरी पर है। या तो यों कहिये की तीन के आगे साइफर लग गया है या यों कहिये कि उनकी बुद्धि पर किसी प्रकार का साइफर लग गया है। आज भी वह मशीन ३ गज की दूरी लगी हुई है, आप जा कर देखना चाहें देख सकते हैं और कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि यह ३० गज की दूरी पर है। माननीय मन्त्री महोदय भी चले गये और वे भी इसका मौका देख कर आये हैं और मैं समझता हूं कि वे भी इस बात से सहमत होंगे कि वह मशीन ३० गज की दूरी पर नहीं लगी हुई है बल्कि तीन गज की दूरी पर ही है। अब प्रश्न यह होता है कि यह एक प्रकार की राजनैतिक चालबाजी थी। किसी राजनैतिक कार्यकर्ता ने ही यह मशीन लगाई। उसने तीन गज की जगह ३० गज की दूरी करके यह मशीन लगाई और जब लोगों ने शिकायत की तो उनकी कोई सुनाई नहीं हुई। इसका नतीजा यह हुआ कि जिस समय वर्षा हुई उस समय में वहां पर पास के मकान मालिक की छत गिर गई। मगर जहां पर इस प्रकार की पार्टीबाजी का प्रश्न आता है, तो अधिकांश बातों में इस प्रकार का दृष्टिकोण रखते हैं कि वह व्यक्ति कौन है, उनके साथ किस प्रकार का सम्बन्ध है, अपने दल से उसका कैसा सम्बन्ध है इन सब बातों को सामने रख कर हमारी सरकार किस प्रकार के निर्णय पर पहुँचती है। जहां पर सरकार का धैर्य इस प्रकार का रहा है वहां आप सोच सकते हैं कि नगरपालिकाओं के चुनावों में तो बहुत ही दल बन्दी होती है। जिस समय इलेक्शन होता है उस समय से ले कर दूसरे इलेक्शन तक जो भी म्युनिसिपैलिटी का सदस्य होता है वह दूसरों को दबाने की कोशिश करता है और यह सोचता रहता है कि वह सदस्य सदा के लिये बना रहे। मगर यह मैं कहूँगा कि दलबन्दी जरूर होती है और आपसी मनमुटाव पैदा हो जाता है इसलिये यह नहीं हो सकता कि वह सही रूप से एक्शन ले। मैं यह नहीं कह सकता कि सभी प्रकार के मामलों में सरकार इसी प्रकार से एक्शन लेगी और इसी प्रकार

(श्री भैरोंसिंह)

की भावना से काम करेगी लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि अधिकांश में इसी प्रकार से और इसी बात को ध्यान में रख कर निर्णय लिया जाता है। जब इस प्रकार की भावना से सरकार काम करेगी तो इससे जो नुकसान होगा वह किसी अमीर आदमी को नहीं होगा। यह तो गरीब आदमी को ही होगा कोई भी व्यक्ति गरीब आदमी का मकान किराये पर ले लेगा और उसके बाद में वह कहेगा कि तुम इसकी मरम्मत कराओ। मगर वह गरीब उसकी मरम्मत नहीं करा सकेगा तो उस गरीब पर ही इसका दुरुपयोग होगा। यह भी हो सकता है कि अगर कोई शख्स नगरपालिका के अधिकारियों से या सदस्यों से मिलकर किसी के मकान पर अपना अधिकार करना चाहे तो उस मकान पर अधिकार कर सकता है सरकार ने जैसा कहा है, वे किसी समय में बाहर निकाले जा सकते हैं। अगर किसी आदमी को जो बहुत गरीब है वर्क चार्ज से काम करता है बिल्कुल लो इनकम है। ऐसे व्यक्ति का कोई मकान किराये ले लेता है और उसके बाद में यह कहे कि फलां तारीख को मरम्मत कराले। वह उस मकान की मरम्मत नहीं करा सकता है वह जो किराये पर लेता है मन चाहे ढंग से बारियें आदि निकाल लेता है और उस व्यक्ति को बाहर निकाल देगा। इससे आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। आप उसको कितना कमिशन देंगे, उसके लिये इसमें कोई प्रावधान नहीं हैं। वह व्यक्ति जिसको आप निकालेंगे वह कहां पर जावेगा। इसके लिये आपका इसमें कोई प्रावधान नहीं हैं। मैं यह कहूँगा कि सरकार को चाहिये कि किसी को भी वह मकान से निकाले उससे पहले उसको कर्ज के रूप में कुछ रुपये दे या तकावी के रूप में कुछ रुपये दे ताकि वह उसकी मरम्मत करा सके। उसको लोन दो या उसको तकावी दो, उसकी गरीबी को दूर करो और तब फिर आप देखिये कि वह डैलीब्रेटली उसकी मरम्मत नहीं कराना चाहता है तो उसको इस प्रकार की धमकी दी जावे कि अमुक समय में मकान को तैयार कराना होगा और अगर वह मकान को तैयार नहीं करा सकता है तो उसके साथ किसी प्रकार की रियायत नहीं होनी चाहिये। मैं यह कहूंगा कि उस बेचारे गरीब के पास किसी प्रकार की आमदनी का ज़रिया नहीं उसको आप रुपया देते नहीं और फिर उस पर भी आप यह करते हैं कि उसको बाहर निकाल देंगे। अगर किसी आदमी को बगैर किसी प्रकार के दूसरी जगह रहने के प्रबन्ध के ही बाहर निकाल दिया जाए तो मैं समझता, हूं कि मानवता के नाते यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा और उस व्यक्ति के साथ न्याय नहीं होगा। जब सरकार इस प्रकार की धारा रखती है तो सरकार को इसके साथ साथ यह भी रखना चाहिये कि जिसकी गरीबी हालत है तो उसको सबसिडी देकर उसका मकान बनवाए। अगर उस पर भी वह मकान को ठीक नहीं कराता है तो ऐसा होना चाहिये लेकिन जब तक सरकार उसको सब्सिडी न दे और उसको बाहर निकाल देती है और उसके रहने की व्यवस्था नहीं करती है तो मैं समझता हूँ कि यह सरासर अन्याय होगा। जयपुर में मकानों की जो समस्या है. उसको हम अच्छी तरह से जानते हैं और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अगर आप किसी को बाहर निकाल देंगे तो गरीबों को किसी प्रकार से मकान नहीं मिलेगा और लोग जिस तरह से कलकत्ता और बम्बई में फुट पाथ पर गर्मी में बरसात में और सर्दी में अपना जीवन बसर करते हैं

Page No.46

(श्री भैरोंसिंह)

उसी तरह से राजस्थान में और राजस्थान की राजधानी में लोग अपना जीवन बसर करेंगे। अपना जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य करेंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस पर प्रकाश डालें। कोई पुरानी बिल्डिंग है उसके बारे में २१७ धारा में प्रावधान रखा है। उसमें एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उसकी कोई अपील नहीं होगी। अगर किसी के पास कलेक्टर या कमिश्नर के पास अपील करने लिए पैसा होगा तो वह उस पैसे को मकान की मरम्मत में ही लगाएगा। अगर उसको अपील करने या वकील करके मुकदमा जीतने के लिए पैसा होगा तो मैं यह समझता हूं, कि कोई भी आदमी मकान से निकलने को तैयार नहीं होगा। इसलिए वही लोग मरेंगे जो गरीब होंगे और जिनके पास वकील और अपील में पैसा लगाने के लिये नहीं होगा और न उनके पास गाड़ी में बैठ कर कलेक्टर या कमिश्नर के यहां पर जाने की हैसियत होगी। इसलिये गरीबों पर ही इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज़ की और (२) सब क्लॉज़ की आवश्यकता नहीं है। अगर सरकार इसको इसी रूप में रखना चाहती है, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इसका असर गरीब आदमियों पर होगा। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सदन इसको सोचेगा और इसको बन्द करेंगे ताकि किसी प्रकार की ज्यादती गरीबों के साथ न हो।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : माननीय अध्यक्ष, पूरी धारा को हटाने के सम्बन्ध में मैं बोल रहा हूं मैं पूरी धारा के खिलाफत में हूं। कारण की बोर्ड पर यह छोड़ा जावे कि मकान किस तरह का है और किस तरह से जांच करके साबित करें। इसमें सबसे बड़ी बात मैं समझता हूं कि यह आवेगी कि राजनैतिक कारणों को लेकर बहुत सी बातें होंगी। बहुत सी बातें हमारे सामने इस प्रकार की राजनैतिक घटनाओं को लेकर आई हैं, जिसकी हम मिसाल दे सकते हैं। जिसके बारे में, मैं समझता हूं, कि माननीय सदस्य खुद वहां पर गये हैं, और उसको देख कर आये हैं। जिस घटना का उल्लेख अभी माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंह ने किया वहां पर मैं भी जाकर आया हूं। वहां पर मशीन ३० गज़ के फासले पर नहीं लगी हुई है वहां पर ३ गज के फासले पर है और पड़ौसी के मकान की छत फट गई है। मगर उसके केस में पक्षपात किया है। यह पक्षपात चाहे वह व्यक्ति कांग्रेस का कार्यकर्ता हो या कांग्रेस पार्टी का हो या किसी प्रकार का बदला लेने की भावना से किया गया हो, यह नहीं कह सकता लेकिन इस तरह से कोई भी मकान को कोई भी ले सकता है और यह कह सकता है कि यह रहने के लायक नहीं। मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार के नियमों से स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ेगी। मैं समझता हूं, कि माननीय मंत्री महोदय को इसको हटाने में इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आवेगी। यदि वे इसमें दो तीन, चीजों की मनाई कर सकें या उनको छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। मगर सरकार किसी को मकान छुड़ाना चाहें तो उससे पहले उसको ऐसे साधन जरूर उस व्यक्ति को दिये जावें ताकि वह अपने मकान को ठीक ढंग से दुरुस्त करवा सके। ऐसा अमुमन होता है, कि वह कोई भी व्यक्ति किसी भी गरीब आदमी

(श्री मदनसिंह)

के मकान में पहले जाकर किराये पर रह जाता है। मगर रहने के बाद में चूंकि उसकी आशाएं बहुत होती हैं और उनको वह मकान मालिक जो गरीब होता है पूरी नहीं कर सकता तो इस पर इस प्रकार का वाद पैदा हो सकता है। मैं समझता हूं कि कुछ न कुछ तो किसी भी मकान में खामी कोई भी रहने वाला बता ही सकता है। आज माननीय मंत्री महोदय जिस मकान में रहते हैं उसमें भी कुछ न कुछ नुक्श तो बताते ही हैं और उसके अनुसार मकानों में हेरफेर होते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि इस धारा को उड़ा दिया जावे तो म्युनिसिपैलिटी के चुनावों में जो आपसी दुश्मनी पैदा हो जाती है वह मिटेगी और किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मैं समझता हूं कि जो धारा २१७ है, उसमें जो प्रावधान है, उसके अनुसार कोई मकान ठीक नहीं हो तो उस पर जुर्माना किया जा सकता है। उसके अन्दर इस प्रकार भी रखा जा सकता है या भिन्न भिन्न तरीकों से भी रखा जा सकता है जहां तक धारा २१८ का सम्बन्ध है वह साफ नहीं है इसमें दिक्कत खड़ी हो सकती है अगर उसके साथ साथ धारा २१८ को हटा दिया जायगा तो जो केपिटिलिस्ट हैं जिसका बहुत बड़ा मकान है जिसमें बीस पच्चीस परिवार रहते हैं उनके लिए व्यवस्था नहीं करता ऐसी स्थिति मालूम पड़ जाय कि यह मकान गिरने वाला है म्युनिसिपैलिटी को इतना अधिकार हो कि जहां पर इस प्रकार का मकान हो वहां यदि पांच रुपये जुर्माना कर दिया जाता है और दूसरे दिन वह मकान गिर जाता है वैसी हालत में उसमे रहने वाले सैकड़ों आदमी मर जाय उस परिस्थिति का जिम्मेदार कौन होगा। इस प्रकार के अधिकार हम इसमें रखते हैं तो यह उनकी रक्षा के लिये हैं। या उसके लिये रोका जाना कि इस मकान के अन्दर कोई न रहे इस प्रकार का रखना धारा में उचित है। ऐसा इन धाराओं में न रखा जायगा कोई भी परिवार किसी भी समय मौत के घाट उतर सकते हैं। इसमें अमीर गरीब का सवाल नहीं है। अमीर का मकान होगा तो वह देखेगा कि मकान की मरम्मत में क्यों रुपया खर्च किया जाय वैसी हालत में उसमें रहने वाले मौत के शिकार हो सकते हैं केवल केपिटिलिस्टिक मनोवृत्ति के कारण।

दूसरा एक और ऐसा हो सकता है जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा कोई मकान ठीक नहीं है उस मकान का पड़ोसी है वह देखता है कि इसको अपने कब्जे में करना है तो इस धारा के अन्तर्गत वह उस पर प्रभाव डाल सकता है। इस संबन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं इन दोनों क्लॉजेज़ के संबंध में सरकार की नीति स्पष्ट है वैसी हालत में इसका प्रतिकूल प्रभाव न गरीबों पर पड़ने वाला है और न अनुकूल प्रभाव अमीरों पर पड़ने वाला है दोनों बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम सोचें। बीकानेर के अन्दर और जयपुर के अन्दर आपने देखा है मकान एक दूसरे से लगे हुए बनते हैं, एक मकान अगर खराब होता है, तो उसका असर उसके पास के दूसरे मकानों पर भी पड़ता है और उससे नुकसान भी पहुँच सकता है, वैसी हालत में यह भी होता है कि एक मकान अच्छा है और दूसरे आदमी के पास बहुत पैसा है

(श्री मुरलीधर व्यास)

और उस मकान को लेना चाहता है और जिस नगरपालिका में यह बात चलती है उसमें बहुत कुछ स्थानीय लोगों का संबंध होने के कारण यहां का निर्णय जो है वह व्यक्तिवाद पर आधारित रहता है। ऐसा अधिकांश में होता है। ऐसी हालत में इस प्रकार के अधिकार रखते हैं तो दोनों को नुकसान होगा। दोनों को किसी प्रकार का लाभ मिल सके, ऐसा प्रावधान रखें या इसको डेफर कर दिया जाय ताकि इस पर कम से कम विचार हो, इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मैंने ये बातें रखी हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २१८ में जो व्यवस्था की गई है उसे देखने से ऐसा लगता है कि यह बहुत अच्छी धारा है। लेकिन इससे किस प्रकार निर्दोष लोगों के साथ ज्यादती की जा सकती है यह बहुत संभव है। हम जब इस बात को देखते हैं तो हमें मालूम है कि इस प्रकार की कार्यवाहियां हमेशा होती रहती हैं और इस प्रकार की कार्यवाही से कई लोगों को नुकसान हो जाता है। जिस दल का चेयरमैन होगा वह अपने पद को कायम रखने के लिए, एक प्रतिनिधि को खुश करने के लिये नाजायज़ तरीके से ऑर्डर निकाल सकता है और किसी व्यक्ति को मकान से निकालने की कोशिश करता है इस प्रकार के ऑर्डर्स निकालना कम से कम जैसा कि लास्ट लाईन में रखा गया है वह दूसरी किसी अदालत में पुकार नहीं कर सकता उसके खिलाफ स्टेऑर्डर नहीं ला सकता। सिविल कोर्ट में जो जाने का रास्ता है उसको भी आप रखना नहीं चाहते वैसी हालत में जो इस प्रकार के प्रावधान को रखा गया है उसको हटाया जाना चाहिये क्योंकि हम देखते हैं कि नगरपालिका अपनी सुविधा की दृष्टि से काम करती है, किसी के ऑब्जेक्शन हों उसके बावजूद भी वह अपना निर्णय देगी। मान लीजिये जिस व्यक्ति का मकान गिरता है वह बोर्ड को समझाने में किसी प्रकार से असफल रहता है तो उस तरह से एक तरफा ही कार्यवाही होगी। उसके लिये आप कह सकते हैं कि इसमें अपील का प्रोविजन है लेकिन जब तक वह अपील के लिये जायेगा वह परेशान हो जायगा। वैसी हालत में सिविल कोर्ट में जाने का अधिकार मिलना चाहिये, इसलिये यह लाइन "and shall not be liable to be questioned in any court"

रिमूव कर देनी चाहिये। आज हम देखते हैं कि इस प्रजातन्त्र के युग के अन्दर जब कि हर आदमी के लिये न्यायालय के दरवाजे खुले हुए हैं, किसी भी आदमी को अधिकार है कि वह हाईकोर्ट में जाकर न्याय प्राप्त कर सकता है वहां हम इस एक्ट में पाबन्दी करते हैं, यह उचित नहीं है। आज आप नगरपालिकाओं को जाने दीजिये आज तो। हम यह देखते हैं कि जातीय चुनाव भी जो होते हैं उनमें भी लोग अदालतों में चले जाते हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर बता सकता हूं कि जातीय संस्थाओं में भी किसी प्रकार की चुनाव सम्बन्धी गड़बड़ी या कोई कार्यवाही होती है तो सिविल कोर्ट में जाते हैं। जब कि आज कोर्टस सब लोगों के लिये खुले हुए हैं वहां पर आप इस प्रकार की स्थिति में पाबन्द कर देते हैं और केवल कलेक्टर को अधिकार दिये हैं यह बात करते हैं तो जहां कलेक्टर महोदय के पास पहले से बहुत ज्यादा काम है उसके पास एक काम

(श्री दयाकृष्ण विजय)

नहीं, डवेलपमेंट के काम, इर्रिगेशन के काम और भी जुडिशियल फंक्शन्स और रेवेन्यू के जो केसेज़ भी होते हैं उनसे वह पहले से ही ओवर क्राउडेड है, उन पर यह बोझ और डाल देना मैं समझता हूं उचित नहीं है। कलेक्टरेट का मुझे अनुभव है कि एक एक केस में दो दो और तीन, तीन साल लग जाते हैं लेकिन निर्णय नहीं हो पाता। कम से कम सिविल कोर्ट में जाकर स्टे ऑर्डर ले लेता है तो एक तरह से वह निश्चिन्त हो सकता है कि कोर्ट में वह आगे अपने आप लड़ता रहेगा, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसमें जो अन्तिम लाइन है उसको निकाल देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय क्लॉज़ २१७ हम पास कर चुके हैं जो फिलदी बिल्डिंग के बारे में है। क्लॉज़ २१८ में उन बिल्डिंग्ज का हवाला है जो अनफिट फॉर ह्युमेन हेबीटेशन, जो मनुष्य के निवासी के योग्य नहीं है। वे बिल्डिंग कौन कौन सी हो सकती हैं जो ऐसी बिल्डिंगज़ हों, जो गिरने की हालत में हों। मेरा पांच साल का अनुभव है, मुझे कई बार म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से नोटिस दिलवा कर उनको ठीक करवाना पड़ा और कई जगह तो ऐसा भी करना पड़ा है कि मकान गिराने पड़े हैं। इस क्लॉज़ को अगर हम निकाल देते हैं तो उसका क्या नतीजा होगा, यह हमें सोचना चाहिये। मान लीजिये एक मकान है जिसमें काफी किरायेदार रहते हैं और मकान काफी जीर्ण हालत में है और मकान-मालिक उसकी दुरस्ती नहीं कराना चाहता तो उसका नतीजा क्या होगा? वह मकान गिरेगा और उसमें जो आदमी रहते हैं वे आदमी मर जायेंगे। इसी बात को रोकने के लिये यह प्रोविज़न रखा गया है। इस प्रकार का प्रोविज़न टाउन म्यूनिसिपैलिटीज़ एक्ट और जयपुर म्यूनिसिपल एक्ट में मौजूद है। मैं समझता हूं यह रहना आवश्यक है।

श्री मदनसिंह : (दांतारामगढ़) : गिरने योग्य ही शब्द रख दें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (मन्त्री स्वायत्त शासन) : इसकी मन्शा ही यह है।

श्री मदनसिंह : अरट फॉर क्लेरिफिकेशन सर, मैं यह जानना चाहता हूं कि मकान-मालिक जिसका मकान ऐसी हालत में है वह खुद ही नहीं चाहेगा कि उसका किसी प्रकार से नुकसान हो। आपने इसमें रखा है वह बहुत वाइड टर्म है! ऐसा भी देखने में आया है कि ह्युमेन के रहने लायक मकान हो। ऐसे ऐसे आदमी भी हैं जो बहुत ही गन्दी जगह में रहते हैं। उसके अलावा ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अच्छी अच्छी बिल्डिंग से नफरत करते हैं। अपने इस हाउस में बैठे हुए हैं ऐसे लोग भी हैं जो इसको भी पसन्द नहीं करते। इसमें आपने बहुत वाइड टर्म रख दिया है। ज्यादातर खादी-भंडार वाले जो लोग हैं वे किस मकान में रहते हैं, पूरी तरह से एडीशन ऑलटरेशन चाहते हैं हालांकि उनमें भी ह्युमेन बीइंग रहते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं अर्ज करूं यह मनुष्य की मर्जी पर नहीं है। यहां जो रखा गया है वह केवल उन मकानों के लिये रखा गया है जो गिरने की हालत में हों।

श्री मदनसिंह: इसमें लिख दीजिये जो गिराउ हो।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसकी मन्शा ही यह है इसके अलावा और कोई मन्शा नहीं है।

१ म० प०

तो गिराऊ मकान के लिए प्रोविजन न रखें तो मुश्किल हो जावेगी।

यह जरूर है यह अपील का जो प्रोविज़न है इसमें और जगह हमने कलेक्टर को पावर दी है तो इसमें कलेक्टर को कर दें तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

आपका कहना है सिविल कोर्ट का। उसमें सिविल कोर्ट में भी जाना चाहें तो इसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री मदनसिंह : ऐसा है, तो बहुत ठीक है। पर गिरानेवाला शब्द आप जरूर रखिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं अर्ज करू कि इसका अर्थ इसके सिवाय और कोई नहीं है। 'unfit for human habitation.' इसका मतलब यही है।

श्री मदनसिंह : कैसे नहीं है। यह ह्यूमन टर्म इतनी बड़ी है कि कई नफीस जगह में रहनेवाले लोग ऐसे भी हैं कि अच्छी जगह को भी वे अपने लिए ठीक नहीं मानते और कह देते हैं कि यह फिट नहीं है। इसलिये एक ही शब्द रख दिया जावे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यही मंशा है, और कोई मंशा इसकी नहीं है।

श्री मोहरसिंह : अगर किसी में वेनटीलेशन न हो तो उसके लिये भी कहा जा सकता है यह अनफिट है।

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : The request from this side is that the Hon'ble Minister says that he means with the buildings which are dangerous, then why don't you make it clear in this Clause? I think after the words. is unfit for human habitation, because of being in a delapidated condition, if you add these words, the meaning will be very clear and the defect will be cured.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इसे डेफर कर दीजिये।

श्री मदनसिंह : अगर सिविल कोर्ट की बात मान लेते हैं तो और भी अच्छा है।

श्री अध्यक्ष: सिविल कोर्ट की बात तो वे स्वीकार करते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I mean this may be deferred.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : सिविल कोर्ट का जूरिस्डिक्शन देदें तो हमें ऐतराज नहीं है। २१७ और २१८ में कोई अन्तर नहीं है। २१७ में मामूली सा अमेन्डमेन्ट करने में २१८ की यह सारी भावना आ सकती है। २१८ रखने से मकान तुड़वाने की मंशा है तो वह २१७ में ऑलरेडी है। इसलिये २१८ की आवश्यकता नहीं होगी। इस हिसाब से इसको डेफर कर दिया जावे और फिर इस पर विचार कर लिया जावे।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): इसमें क्या वे भी मकान आजावेंगे जो सरकारी हैं, अस्पताल के लिये है जिनमें डॉक्टर पड़िहार हैं। उसकी पट्टिया टूटी हुई हैं। यह सरकार पर भी लागू हो सकता है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : किसी को भी मारने की ईजाज़त नहीं दी जाती इसलिये कानून बनाया जाता है।

श्री अध्यक्ष : पर अब तो इसको डेफर कर दिया है।

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज २१६, २२० और २२१ को स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज २१६, २२० व २२१ विधेयक का अंग बना।

क्लॉज २२२

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज में व्यवस्था थी कि "The board on the report of the Director of Health, the Health Officer or the Local Medical Officer that the Cultivation of any description of crop, or the use of any kind of manure, or the irrigation of land, in any place within the limits of the municipality is injurious to the public health, may, with the previous sanction of the State Government, by public notice, regulate or prohibit the cultivation, use of manure, or irrigation so reported to be injurious:"

और इसमें एक प्रोवीजो और जोड़ दिया :

"Provided that when such cultivation or irrigation has been practised during the five years preceding the date of such public notice with such continuity as the ordinary course of husbandry admits of compensation shall be paid from the muncipal fund to all persons interested for any damage caused to them by absolute prohibition." इसमें यह पोजीशन है कि कहीं पर अगर फसल बोई जाती है म्यूनिसिपल एरिया में या कहीं पर भी सिंचाई की व्यवस्था है या कोई खाद्यान्न के बारे में चीज है तो म्यूनिसिपल बोर्ड राजस्थान सरकार की पूर्व अनुमति से उसके बारे में प्रतिबन्ध लगा सकता है और अगर यह काम पिछली पांच साल से लगातार हो रहा है तो उसके बारे में म्यूनिसिपल बोर्ड इस प्रकार का कोई एब्सोल्यूट प्रोहीबिशन करेगा तो इस पर कम्पेन्सेशन दिया जावेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक तो यह निवेदन करूंगा इसमें यह आवश्यक नहीं होना चाहिये कि डिस्ट्रिक्ट मैडिकल हैल्थ की रिपोर्ट आनी जरूरी हो और हैल्थ ऑफिसर की रिपोर्ट आए तो ही इस प्रकार का पजेशन हो। बोर्ड सुओ मोटो यदि आवश्यक समझे और उसकी नज़र में यह बात आई और जरूरी है तो इस प्रकार का कल्टीवेशन या इरिगेशन या मोरी को बोर्ड रोक सके तो यह पावर उसे दिये जाने चाहिये। इसके अलावा और दूसरी बात है। खाचरियावास हाउस के पास गोभी भी बोई जाती हैं। उसमें खाद में मैला भी डालते हैं और इस कारण बड़ी बदबू आती है और उस खाचरियावास हाउस में रहनेवाले माननीय सदस्य लोकल मैडिकल ऑफिसर के द्वारा यह रिपोर्ट करते

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हैं कि यहां पर इस प्रकार का कल्टीवेशन नहीं होना चाहिये । लोकल मैडिकल आफिसर इस प्रकार की रिपोर्ट म्यूनिसिपल बोर्ड को करता है और बोर्ड इस नतीजे पर पहुंचा कि बन्द होना चाहिये । पर वह बन्द नहीं कर सकता । इसलिये इसके बारे में राजस्थान सरकार को लिखा है कि यहां कल्टीवेशन गोभी की फसल का होता है और इसमें मैल को खाद दी जाती है जिसकी वजह से बदबू होती है तो यह कल्टीवेशन बन्द होना चाहिये । अब राजस्थान सरकार के मन में यह विचार खुदा न खास्ता आ जाय कि वहां पर सदन के एक माननीय सदस्य रहते हैं, विरोधी दल के सदस्य हैं, जनसंघ के आदमी हैं, विधान सभा में हमें बहुत परेशान करते हैं, अच्छा है उनका उस मैल से दिमाग खराब हो जाय और वे फिर परेशान करने काबिल न रह जावें तो इस इरादे से वह यह कह दे कि वह बन्द नहीं किया जावेगा । इस प्रकार का विचार पैदा हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जावेगी ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : आपने कर दिया ।

(हंसी)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और इसलिये मेरा यह प्रस्ताव है कि....

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : वे नहीं चाहेंगे कि उनका दिमाग ज्यादा इस तरह से हो ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (मंत्री स्वायत्त शासन) : आपने यह अच्छा किया कि पहले ही बता दिया ।

(हंसी)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि यह सैंक्शन के शब्द उठा दीजिये । इसमें सैंक्शन की आवश्यकता नहीं है । कोई मामला नहीं हो सकता कि जिसमें राजस्थान सरकार को ऐसी छोटी छोटी बात में दखल करने की जरूरत पड़े ।

हो सकता है जब कलब का मामला आ जावे । बड़े बड़े अधिकारी सरकार के उसमें इन्टरेस्ट रखते हैं । वहां की कल्टीवेशन बन्द की जावे और इस प्रकार का निर्णय म्युनिसिपल दे । तो बड़े से बड़ा अधिकारी सरकार को एप्रोच कर सकता है कि म्युनिसिपल बोर्ड इस प्रकार की रिकमन्डेशन करता है तो उसको सेंक्शन नहीं दी जानी चाहिये । मैं समझता हूं कि सरकार इस प्रकार का विचार रख कर कानून बनावे तो यह बात अच्छी नहीं । इसलिये इस प्रोविज़न का मैं विरोध करता हूं और निवेदन करूंगा कि जो स्वायत्त शासन संस्था कहलाती है, जो स्वयं अपना प्रबन्ध करती है और अगर वह जनता के स्वास्थ्य के हित में कोई इस तरह का कल्टीवेशन या इर्रिगेशन या और कोई बात बन्द करने का निर्णय लेती है तो इस तरह के छोटे छोटे मामलों में, मसलों में राजस्थान सरकार क्यों हस्तक्षेप करना चाहती है ? इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आज इस युग में जिसमें डेमोक्रेसी की दुहाई देते हैं तो मैं समझता हूं इन छोटी छोटी बातों में दखलन्दाजी न्यायोचित नहीं कही जा सकती । और इसलिए हम नगरपालिकाओं को छोड़ें, छोटे छोटे बोर्डों को छोड़ें, हम उनको अपने पैरों पर खड़े होने दें, वह गलतियां करेंगे और आगे बढ़ेंगे लेकिन कहां तक आप किसी को डंडा पकड़ा कर चलायेंगे । मुझे उम्मीद है कि मन्त्री महोदय इसको मानेंगे ।

Page No.53

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अब माननीय अध्यक्ष, इसका दूसरा पार्ट और है और वह दूसरा पार्ट है कम्पेन्सेशन के बारे में। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार का जो कल्टीवेशन पिछले पांच साल से हो रहा है तो उसके बारे में कोई कम्पेन्सेशन दिया जाये। आखिर आप यह कानून सन् १६५६ में पास कर रहे हैं और इसका मतलब यह हुआ कि सन् १६५४ के पहले इस प्रकार का कल्टीवेशन हो रहा है तो अधिकांश जगह पर हो सकता है इसके लिए बेशक प्रोहीबिशन किया जायेगा पर कम्पेन्सेशन का सवाल कहां आता है? हमने अपने संविधान को स्वीकार किया है और हमने ऐसा कहा है कि जहां कोई चीज रिज्यूम की जाती है जैसे जागीरों का रिज़म्पशन किया और हमने उनकी ज़मीनों को लिया, जमींदारी का एबोलीशन किया और हमने उनके अधिकारों को लिया और इस सब के लिए उन्हें कम्पन्सेशन दिया लेकिन कहीं पर कल्टीवेशन क्रॉप का किया जाये और उसके लिये प्रोहीबिशन आप करना चाहें तो उसके लिए भी कम्पन्सेशन देंगे, यह मेरी समझ में नहीं आया। आखिर हमारी सरकार प्रोहीबिशन तो करेगी कोई उनकी लैण्ड लेने तो नहीं जा रही है और जब कोई चीज़ उनसे ली नहीं जा रही है तो फिर कम्पन्सेशन किस बात का दिया जाये। अगर आप इस तरह से कम्पन्सेशन देने लगे तो क्या होगा कि ऐसे उदाहरण आ सकते हैं कि म्यूनिसिपैलिटीज़ के फण्ड्स से पैसे लेने के लिए चार सो बीसी कर सकते हैं। आज शहर के अन्दर कई बड़े बड़े प्लॉट्स हो सकते हैं और उन प्लॉट्स वाले अपने प्लॉट्स के अन्दर कल्टीवेशन दिखायेंगे और पटवारियों के कागजों से साबित करा देंगे कि यहां पांच साल पहले कल्टीवेशन हो रहा था। क्योंकि रेकॉर्ड से इस प्रकार की बात साबित कराना कोई असम्भव बात नहीं है। जिस प्रकार का रवैया हम आज देख रहे हैं उसमें कोई इस प्रकार की बात कराना असम्भव नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी सरकार का अगर सबसे ज्यादा गिरा हुआ कोई तबका है तो वह है पटवारियों का। तो जितने भी रेवेन्यू के लिटीगेशन हैं वे सब पटवारियों के कारण ही हैं और सारे के सारे राजस्व के मामले पटवारियों की कलम इधर उधर होने के कारण चलते हैं। ऐसी अवस्था में माननीय अध्यक्ष, ऐसे उदाहरण कम नहीं होंगे कि ऐसे लोग छिपे छिपे ऐसे काम करें और पटवारियों से मिल-कर रेकॉर्डों को बदलवाकर और कागज़ों को बदलवा कर ५ साल पहले का कल्टीवेशन दिखा देंगे और कम्पेन्सेशन के रूप में नगर-पालिका का रूपया ले लेंगे। अगर ऐसा प्रोहीबिशन म्यूनिसिपल बोर्ड करने जायेगा तो इस प्रकार का कम्पेन्सेशन दिया जायेगा ऐसा इसमें कहा गया है। मैं समझता हूं कि नगरपालिका जहां अपने बनाये हुए कानूनों के द्वारा कम्पलसरी टैक्सेशन किया, ऐसे ऑब्लीगेशन टैक्सेज़ लगाये, हाउस टैक्स के द्वारा, आक्ट्राई के द्वारा, चुंगी के द्वारा, प्रोफेशनल टैक्स के द्वारा, चमार, लुहार और दूसरे ऐसे ही आर्टीज़न्स पर टैक्स लगाये जायेंगे उस गरीब जनता के पैसे का जो फण्ड नगरपालिका ने बनाया है वह इस लिए नहीं बनाया है कि इस प्रकार के चारसो बीस करने वाले लोगों को वह पैसा मिले। मैं समझता हूं कि अगर आखिर गरीब जनता का जो टैक्स के रूप में पैसा इकट्ठा किया हुआ है, हमने नगरपालिकाओं का निर्माण किया है और उनकी व्यवस्था की है और राज्य सरकार

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जो नगरपालिकाओं को इतना लोन देती है, सबसीडी देती है, और ग्रान्ट-इन एड देती है और जिन नगरपालिकाओं की हालत सुधारने के लिए हम इतने सब के सब प्रयत्नशील हैं, एक तरफ हम इस जुटाव में हैं कि किस प्रकार से नगपालिकाओं की आर्थिक स्थिति अच्छी की जाये और दूसरी तरफ जो हम इस प्रकार से अपने प्रयत्नों से फण्ड इकट्ठा कर रहे हैं और जो उसका रिज़र्वायर बना रहे हैं और इस क्लॉज़ में जो हमने कम्पेन्सेशन का प्रावधान रखा है वह उस रिज़र्वायर में छेद कर देता है और जो कुछ इकट्ठा किया हुआ है वह सारा का सारा निकल जायेगा। इस प्रकार के प्रोविज़न के द्वारा जो आपने छेद किया है, लीकेज़ पैदा किया है वह कम्पेन्सेशन के रूप में किसी को नहीं दिया जाये। आप जनता के स्वास्थ्य के लिये कोई काम करने जा रहे हैं, किसी का एबसोल्यूट प्रोहीबिशन करना चाहेंगे, आप शराबबन्दी करना चाहेंगे और उसके लिए कह देंगे कि फलां ५ साल से पुराना पीनेवाला है और अब क्योंकि प्रोहीबिशन कर रहे हैं तो उसको कम्पेन्सेशन देंगे। क्या मज़ाक है? जो आदतें खराब हैं जो प्रकृति हमारे लिए अच्छी नहीं है, जो सार्वजनिक हित में नहीं है उनके लिए बिना किसी प्रकार का कम्पेन्सेशन दिए ही बन्द किया जा सकता है। मुझे तो यह मनोवृत्ति समझ में नहीं आती कि यह चीज़ क्यों घर कर गई है? जिसमें देखो हम कम्पेन्सेशन का प्रावधान करते आ रहे हैं। कोई भी पोलिटीकल वर्कर रहा है, वह कहता है कि मुझे कम्पेन्सेशन चाहिए, किसी की कोई वस्तु ली जाती है तो कम्पेन्सेशन चाहिए। हर चीज़ में कम्पेन्सेशन की बू घुस गई है। मैं समझता हूँ ऐसे आधारों पर यह प्रोविज़न करना उचित नहीं है। मैं चाहूँगा कि जिस व्यावहार के मुद्दे के साथ सारे सुझाव पर विचार किया है उन्हीं सारी भावनाओं के साथ जो सुझाव मैंने इस क्लॉज़ में रखे हैं उन पर मन्त्री महोदय विचार करेंगे और मैं आशा करूंगा कि वह इसे स्वीकार करेंगे।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूं कि मैंने कुछ शब्द माननीय सदस्यों को अर्ज किये थे और मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं, कि या तो अंग्रेजी नहीं आती है या अंग्रेजी आती भी है तो उसका सेन्स आगे जाकर पूरा नहीं होता है। इसमें है सर्टेन काइन्ड ऑफ़ कल्टीवेशन। यहां न तो कोई टट्टी का सवाल है और न मालूम किससे और किस तरह की कल्टीवेशन से खराबी होती है। सर्टेन काइन्ड ऑफ कल्टीवेशन तो यह बतायें कि यह कोई सर्प उग गये हैं जो उसको रोका जाये, उनको खायेंगे। आखिर अफीम भी पैदा होता है, वह भी नुकसानदायक नहीं होता कि जहां उसकी खेती होती है वहां आदमी मर जायेंगे। अगर किसी तरह की कोई खाद भी है तो भी वह पांच, सात रोज के बाद खत्म हो जाती है। फिर यह सर्टेन काइन्ड ऑफ कल्टीवेशन है क्या कौनसी है? अगर वह शहर के लिए खतरनाक है तो फिर वह गांव के लिए भी खतरनाक हो सकती है। इसलिए गवर्नमेंट का यह रूल बनाना कि राजस्थान के नगरों में ऐसी ऐसी कल्टीवेशन नहीं होनी चाहिये। पर इस तरह की चीज तो सभी जगह के लिए होनी चाहिये ताकि वह शहरों में रह जाये और गांवों में

Page No.55

(श्री मदनसिंह)

भी रह जाये । मुझे तो हिन्दुस्तान में ऐसी कोई जगह नजर नहीं आई कि जहां कोई कल्टीवेशन खराब हो । सबसे बुरा धतूरा है अगर उसकी कल्टीवेशन घर में भी होती है तो नुकसान नहीं होता है । तो यह या तो शब्द यों ही रखे गये हैं अन्यथा किस मन्योर के लिए होता कि ऐसी मेन्योर पटकने से स्वास्थ्य खराब होता है । नीम ट्री से नुकसान होता है या फिर किससे होता है, आम के पेड़ से होता है इसका क्लेरीफ़िकेशन हो जाये कि कौन सी कल्टीवेशन बन्द करना चाहते हैं तो फ़िर मैं आगे कुछ बोलूं ।

श्री अध्यक्ष : रावल श्री नरेन्द्रसिंह ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि यह जो प्रश्न इस समय आ रहा है, इस पर गौर करने लिए दोनों पहलू हैं, उनके ऊपर विचार करना निहायत आवश्यक है। यहां जयपुर नगर के अन्दर जिस समय महाराजा सवाई जयसिंह ने इस नगर का निर्माण किया था उस समय उन्होंने यह प्रश्न उठाया था कि यहां पर कोई भी चीज खेती के तरीके के ऊपर शहर के अन्दर नहीं बोई जाये, यहां हल काम में नहीं लाया जाये । यह सवाल कई वर्षों तक चला और कई वर्षों तक इसका परिपालन होता रहा । इसके बाद में जैसे बड़े बड़े तालाब जो शहर के पास हैं वहां भी हल नहीं चला कर फावड़ों से ही उस समय खेती हुआ करती थी । तो मेरा सिर्फ इसमें यही निवेदन है कि इसको बराबर रोकने के बाद कि म्यूनिसिपल एरिया के अन्दर कतई खेती का प्रावधान नहीं रहे इसमें बाज़वक्त ऐसी दिक्कत पेश आजायेगी जब म्यूनिसिपल एरिया बहुत बढ़ गया है । यहां शहर की दो तीन मील तक म्यूनिसिपैलिटी की हद है । गई दफा जिस समय हद निकालने की लाइनें निकाली गई थी तो एक एक मील का रेडियस शहर की म्यूनिसिपैलिटी का रखा गया था बाग बगीचे और बहुत सी चीजें म्युनिसिपैलिटीज़ की हद में आती हैं । उसका प्रावधान यह होना चाहिये कि सिर्फ गुंजान आबादी के अंदर खेती में विशेष रद्दी मेन्योर काम में न लिया जावे । लेकिन यह प्रोविज़ो साथ ही जरूर रहना चाहिये कि जैसे बाग़ बगीचे हैं वे बाज वक्त म्यूनिसिपैलिटी की हद में आजाते हैं, यहां जयपुर में ही नहीं प्रत्युत बाहर की दूसरी म्यूनिसिपैलिटीज़ की हद में भी होते हैं वहां यदि खेती या फलों के बगीचे का प्रबन्ध होता है तो यह विचारणीय बात अवश्य है । लेकिन इसका सवाल यहां और बाहर एक सा ही रहेगा या किसी तरह का प्रावधान होना आवश्यक है ? इसलिए जब यह दलील आवे तो उसको म्यूनिसिपल एरिया में बिल्कुल यह तय कर देना कि म्यूनिसिपल एरिया सारे में यह बात है, गुंजान आबादी के अलावा रखा जाना, ठीक नहीं रहेगा ।

(कई माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जनदास ।

श्री अर्जनदास (अजमेर-पश्चिम): While supporting the amendment moved by the Hon'ble Member from Jaipur, I think I should make one thing clear, that this proviso, as it

Page No.56

(श्री अर्जनदास)

stands, does not necessarily mean that the said cultivation should have been in existence since before 1951. Read the clause as it stands today. It means that if that particular land has been under cultivation or irrigation for a period of more than five years before the date on which that particular order is passed. Supposing the order is passed in 1962, then five years have to be counted from 1957. It can also be said that after the passing of this Bill and after its coming into force, somebody starts cultivation afresh and then the period of five years starts from that date. I think that position will be anamolous. Today you permit a particular person to cultivate certain kind of land or to put certain kind of manure, and after five years you prohibit it and then you should give him compensation. I understand payment of compensation under such circumstances ..

श्री अध्यक्ष : Yes, yes. Please continue.

श्री अर्जनदास : I think my purpose would not be served if the Hon'ble Minister is not listening...

श्री अध्यक्ष : He is listening to you.

श्री अर्जनदास : So I was saying, Sir, that payment of compensation under such circumstances will be highly inadvisable.

Another question that arises is at what rate do you propose to give compensation ? It is possible that two municipalities will be giving compensation at different rates. It is also possible that the same committee will be paying compensation to two persons at different rates. You have neither prescribed the rates nor the elements of the compensation and, as such, I am of the opinion that this proviso, as it stands, is full of greatest possible mischief. I don't think the Hon'ble Minister could possibly be thinking of laying down such mischievious clause here for which we may be sorry here after. Probably he has not paid attention to it and after this suggestion from this end of the House, I expect that the Hon'ble Minister would be able to appreciate the light in which we have brought this clause and he will agree with us that this clause need not be retained in the Bill. He will also agree with us to accept the amendment that this proviso be deleted from the Bill itself.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : अध्यक्ष महोदय, यह जो क्लॉज २२२ है मैं समझता हूं इसको मूलतः हटा दिया जाय तो बहुत अच्छा ही होगा। क्योंकि इस क्लॉज़ में सबसे बड़ी बात यह रही है कि सिंचाई और खाद के कारण यदि किसी प्रकार की गंदगी होती है और वहां के लोगों को नुकसान होता है तो उसको वहां से हटा दिया जायेगा और जो खेती का काम करता है

(श्री मुरलीधर व्यास)

उसको कम्पेन्सेशन मिलेगा । सबसे पहला सवाल यह है कि यदि सिंचाई के ज़रिये काम होता है या गंदगी के ज़रिये काम होता है तो उसके लिये डॉक्टर रिपोर्ट देंगे कि वहां जो चीज़ पैदा होगी वह हानिकारक होगी। मैं समझता हूं महात्मा गांधी वर्धा में जहां रहते थे उसके आस पास में जो मैला होता था ...

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) महात्मा गांधी अगर गंदगी में रहते थे, तो क्या हम भी गंदगी में रहें ?

श्री मुरलीधर व्यास : महात्मा गांधी तो कभी गंदगी में रहे नहीं । आपका दृष्टि-कोण बहुत बिगड़ा हुआ है । आपका यह दृष्टि-कोण मेरी समझ में नहीं आया लेकिन महात्मा गांधी गंदगी में रहते थे, यह बात कहना ठीक नहीं है । यह सवाल नहीं था । सवाल सबसे बड़ा यह है कि इस प्रकार का प्रावधान रहने से क्या होगा ? मैं समझता हूं जो पॉवर्स दी गई हैं उसका दुरूपयोग होगा । हर गांव में सिंचाई होती है, खाद रखी जाती है, खाद डाली जाती है वहां भी आबादी हो सकती है । आप खाद और सिंचाई के तरीके को नया रूप नहीं दे सकते । जहां तक खाद और फसल ठीक करने का सवाल है, गंदगी से ठीक होती है । यह भी क्लॉज २२२ में प्रोविज़न रखा है, कि कम्पेन्सेशन देकर हटाया जायेगा । लेकिन इसका दुरूपयोग होगा । बीकानेर नगरपालिका ने सारे शहर का गंदा पानी निकाल कर फसल के लिये उसे काम में लिया है और जिस ज़मीन पर साग-सब्जी की फसल इस गंदे पानी से होती है वह ज़मीन ठेके पर दी जाती है और जो सब्जी वहां पर पैदा होती है वह बेची जाती है। अगर आप इस तरह का पॉवर देंगे तो कोई कहेगा कि यह तो गंदगी है इसलिये यह बंद होना चाहिये इसका कम्पेसेशन देना चाहिये । इसका नतीज़ा यह होगा कि वहां पर फसल पैदा नहीं होगी। इसलिये यह जो दृष्टिकोण रखा है उससे लाभ होने वाला नहीं है। इस धारा को हटा दिया जाय तो दुरूपयोग नहीं होगा और इसकी आवश्यकता भी नहीं है इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि क्लॉज़ २२२ हटा दी जाय ।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : अध्यक्ष महोदय,. मैं दो बातें मंत्रीजी से गंभीरता से सोचने के लिए अर्ज़ कर रहा हूं । क्लॉज ६७ (२) का जब मैंने क्लेरिफिकेशन चाहा था कि जो काश्तकार म्युनिसिपल एरिया में रहता है और बाहर खेती करता है वह शहर में सामान लायेगा तो जो म्यूनिसिपल एरिया में रहता है और रोजी के लिये बाहर से सामान लाता है तो उससे टैक्स लिया जायगा !

दूसरी चीज़ जो है वह २२२ क्लॉज है और वह यह कि म्यूनिसिपल एरिया में यदि कोई खेती करेगा तो वह म्यूनिसिपल कमेटी या बोर्ड की मर्ज़ी से कर सकता है । मेरी समझ में नहीं आया कि, जो काश्तकार म्यूनिसिपल एरिया में रहनेवाला है या रहना चाहेगा उसके लिये यदि आपको रखना है तो एक क्लॉज़ रख दीजिये कि म्यूनिसिपल एरिया में कोई काश्तकार खेती नहीं कर सकता । इससे मकसद पूरा हो जायगा । उधर आप कहते हैं कि म्यूनिसिपल एरिया में खेती नहीं

श्री रामकरणसिंह)

कर सकता और ज़मीन लेना है तो इनकी ईज़ाजत से ले सकता है और दूसरी ओर यदि म्यूनिसिपल एरिया में खेती के लिये कोई चीज़ लायेगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा और खेती करेगा तो बोर्ड की मर्ज़ी से ही कर सकेगा। अगर कोई मैलाफाइडी से सोचेगा तो खेती करनेवाले को रोक सकता है तो मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर आपकी मंशा क्या है ? मैं यह अर्ज़ करूंगा कि इस एक्ट में प्रोविज़न कर दीजिये कि काश्तकार म्यूनिसिपल एरिया में रह नहीं सकता।

इतना मैं अर्ज़ करूंगा कि इसके ऊपर पूरी तरह से सोचें कि किस चीज़ के लिए किस प्रकार का प्रोविज़न करना जरूरी है।

श्री दयाकृष्ण विजयः (छबड़ा) अध्यक्ष महोदय........

श्री अध्यक्ष : काफी बहस हो चुकी है।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं थोड़ा कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपका कोई संशोधन है नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं थोड़े में कह देता हूं। इसमें अमेंडमेंट कर दिया जाय तो Omit 'on the report of the Director of Health......'

तो इसमें एक झगड़ा आ रहा है कि बोर्ड स्वयं को पावर्स हैं कि यदि कोई शिकायत करता है या एप्लीकेशन देता है तो उस पर विचार होना चाहिए। यह नहीं कि मेडीकल ऑफिसर की रिपोर्ट आये उस पर ही विचार करेंगे। कोई भी व्यक्ति एप्लीकेशन देता है तो उस पर विचार करना चाहिए। The Board on the report of Medical officer इसके बजाय जनता का कोई व्यक्ति एप्लीकेशन देता है, कुछ लोगों के हस्ताक्षर से देता है तो मेडीकल ऑफिसर को कहां तलाश करेगा, उसे कहां भिजवायेगा ? इसलिए हरएक आदमी को अधिकार दिया जाय कि वह अलग से एप्लीकेशन देता है तो उस पर विचार करें।

दूसरी बात थर्ड लाइन में है। "cultivation of any description of crop."

मेरी समझ में इस लाइन को हटा दीजिए। आपका मकसद है कि जो गन्दा पानी आता है, जिसे काश्तकार लोग अपने काम में लेते हैं गोभी वगैरह उगाने में वह पानी किसी के काम में आ जाय और गन्दे मैले को खाद के रूप में काम में लेता है तो आपको उस फसल में क्या तकलीफ है ? आपको तकलीफ गन्दे पानी से है। इसलिए इसकी जो तीसरी लाईन है उसको निकाल देंगे तो कोई तकलीफ नहीं रह जायगी। इसलिए मेरा जो संशोधन है उसे स्वीकार कर लेते हैं तो कोई तकलीफ नहीं रहती है।

श्री भैरोंसिंह : (श्रीमाधोपुर) माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि बहस काफी हो चुकी है।

श्री भैरोंसिंह : इस क्लॉज़ में काफी कॉम्प्लीकेशंन्स हैं। सब बातें सामने न हों तो कॉम्प्लीकेशंन्स ज्यादा हो सकते हैं।

Page No.59

श्री अध्यक्ष : बहुत संक्षेप में कह दीजिये ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय से, अर्ज करना चाहता हूं कि धारा २२२ की पहली लाइन लमें लिखा हुआ है :

"The board, on the report of the Director of Health, the Health officer or the Local Medical Officer...' तो तीन आदमियों की रिपोर्ट के ऊपर बोर्ड एक्शन ले सकता है । तो पहला प्रश्न तो यह आता है कि सर्टेन क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए कोई रिपोर्ट पेश करना चाहता है तो क्या यह सम्भव है कि हर नगरपालिका के लिए हैल्थ ऑफिसर, डाइरेक्टर ऑफ हैल्थ या लोकल मेडीकल ऑफिसर इस प्रकार की रिपोर्ट कर सकेगा ? मैं ऐसा समझता हूं कि राजस्थान में इस प्रकार की नगर पालिकायें भी हैं जहां न कोई लोकल मेडीकल ऑफिसर है, न हैल्थ ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है और न डाइरेक्टर ऑफ हैल्थ है । इस सारी स्थिति के अन्दर यदि इस प्रकार का प्रावधान रखेंगे तो कुछ नगरपालिकाओं के लिए डिस्क्रीशनेरी चीज़ होगी । इस धारा का मतलब यह है कि किसी प्रकार का खाद का प्रयोग, या सिंचाई का प्रयोग या किसी प्रकार की खेती करना पब्लिक के लिए इन्जुरियस हो, मान लीजिये कि आज खाद डाली तो वह आज इन्जुरियस है लेकिन दो दिन के बाद उसका कोई प्रभाव नहीं रहता है । ऐसी सूरत में अगर मेडीकल ऑफिसर, डाइरेक्टर ऑफ हैल्थ से रिपोर्ट पेश करवाई तो मैं समझता हूं कि जब तक रिपोर्ट पेश होगी, म्यूनिसिपल बोर्ड उस पर विचार करेगा तब तक वह इन्जुरियस इन्सटिंक्ट समाप्त हो जायेगी । ऐसी सूरत में सरकार को विचार करना है कि इस धारा को तीन भागों में बांटना होगा। एक तो मेन्यूरिंग के सम्बन्ध में होगा । यह म्यूनिसिपल बोर्ड के दायरे में आ जाय कि यदि इस प्रकार की खाद का प्रयोग किया जा रहा है जो इन्जुरियस हो, तो गवर्नमेंट की संक्शन के बिना खाद का प्रयोग बन्द कर सकती है । यह एक मार्ग है । इसी प्रकार सिंचाई का प्रश्न आता है । अगर सिंचाई अच्छे पानी से होती है या ऐसे पानी

१.३० म.प.

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष पदासीन)

से होती है । जिसमें इन्जुरियस इन्सटिंक्ट आते हैं और उसकी नेचर पर्मानेन्ट हो तो उसके लिए तो मेडीकल ऑफिसर की राय ले सकते हैं लेकिन इन्जुरियस इन्सटिंक्ट पर्मानेन्ट न होकर टेम्प्रेरी हैं तो टेम्प्रेरी होने की सूरत में उसे इन्जुरियस साबित करना चाहते हैं तो वह नहीं हो सकेगा । तो दो प्रश्नों को लेकर अलग करें, एक तो है खाद का प्रयोग करने का और दूसरा है सिंचाई के साधनों का प्रयोग करने का । अगर ये टेम्प्रेरी हों तो इनके प्रश्न को लेने की आवश्यकता नहीं है । अगर म्यूनिसिपल बोर्ड जनता के हित में नहीं समझता है तो प्रयोग को निषेधात्मक कार्यवाही से रोक सकता है, इस प्रकार का अधिकार होना चाहिए । जहां तक खेती का प्रश्न आता है, मैं समझता हूं इसमें यह साफ नहीं किया गया है कि किस प्रकार की खाद ज्यादा इन्जुरियस हो सकती है । मैं समझता हूं राजस्थान में कई प्रकार की खेती होती हैं, जब तक इन्जुरियस होने के कारण सामने नहीं आये कि किस प्रकार बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, इस प्रकार

Page No.60

(श्री भैरोंसिंह)

की बात स्पष्ट न हो, उस सूरत में खेती का प्रावधान कर देना किसी प्रकार उपयुक्त नहो है।

तीसरा प्रश्न आता है कम्पेन्सेशन देने के बारे में। कम्पेन्सेशन देने में हमने एब्सोल्यूट प्रोहीबिशन के पाइन्ट को सामने रखा है। आप कम्पेन्सेशन देने का प्रोवीजन लागू कर दें, खेती करने के पाइन्ट को लागू कर दें, तो जो हम कम्पेन्सेशन देंगे, मैं समझता हूं कि उसके कारण काश्तकार को नुकसान होता है। जिस खाद का उपयोग, पानी का उपयोग वह पांच वर्ष से करता रहा है, उससे उसकी आमदनी बढ़ती है लेकिन यह नगर पालिका के ध्यान में नही आई, इसलिए इनका उपयोग होता रहा और उसकी आमदनी बढ़ती रही, उस पर कोई कम्पेन्सेशन देने की बात नहीं है, लेकिन चूंकि इन कारणों से एब्सोल्यूट प्रोहीबिशन करते हैं और वह आदमी खेती नहीं कर सकता लेकिन उसका जो राइट एक्यूर होता है, उस राइट के एक्यूर होने की स्थिति के अन्दर उसे कम्पेन्सेशन देने का प्रावधान रखा है तो समझ में आ सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि ये चीजें हैं, ये चीजे अलग अलग हैं, इनको आपने एक साथ रखा है तो इसमें न कम्पेन्सेशन का प्रश्न साफ है, न नगरपालिका की कार्यवाही करने का तरीका साफ है। डाइरेक्टर ऑफ हैल्थ, हैल्थ ऑफिसर और मेडीकल ऑफिसर कार्यवाही कर सकता सकता है, यह बात जयपुर शहर में हो सकती है। विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी नगर पालिका हैं जहां डी. एम. एव. ओ नहीं है, वहां इसका किसी प्रकार प्रयोग नहीं हो सकता, वह इसलिए नहीं होता है, कि म्युनिसिपल बोर्ड का अधिकार नहीं है, मेडीकल ऑफिसर की रिपोर्ट आने के पश्चात् उसे ध्यान देना होता है। अब मान लीजिये कि किसी प्रकार की रिपोर्ट आई नगर पालिका को शिकायत होती है, उसके बावजूद भी मेडीकल ऑफिसर कह देता है, कि यह इन्जुरियस नहीं है। एक चीज में बदबू आ रही थी, उस बदबू से जनता परेशान थी। मेडिकल ऑफिसर को टेलीग्राम दिया कि वे इसको एग्ज़ामिन करने के लिए आये लेकिन जब तक वे आये बदबू गायब होजाती है। ऐसी स्थिति में टेम्प्रेरी पर्पजेज़ के लिए बोर्ड को अधिकार देना पड़ेगा। आपने इसमें जो भी प्रावधान रखा है, उसमें उस आदमी की रिपोर्ट पर एक्शन लें, वह मैं समझता हूं ज्यादा उपयुक्त होगा। किन्तु इस धारा में कोई संशोधन सरकार की ओर से नहीं आया है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो कुछ बातें सदन में रखी गई हैं उनके ऊपर ध्यान देते हुए जब तक कोई संशोधन मूव न किया जा सके संशोधन करने का मौका दें और संशोधन देने का मौका देने तक इसे डेफर कर दें तो ज्यादा उचित होगा।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, जो क्लॉज़ चल रहा है, उसके अन्दर कुछ इस प्रकार का स्पष्टीकरण खास तौर से नहीं आया, जिससे धारा को समझा जा सके। इसमें लिखा है कतिपय प्रकार की खेती का नियमन अथवा निषेध। वास्तव में यह जनता के स्वास्थ्य पर असर पड़ने के लिहाज़ से लिखा है तो इसमें साफ तौर से नाम आने चाहिए कि इस प्रकार की खेती से स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। इसका स्पष्टीकरण आना चाहिए। साथ साथ इसके म्युनिसिपैलिटी के अधीन जो शहर के अन्दर बसने वाली

(श्री मोहरसिंह)

बस्ती है, उसको बढ़ाने की सूरत में ज़मीन की आवश्यकता है, उस वक्त मुआवज़ा देकर ज़मीन को दूसरे कारणों से छुड़वाया जा सकता है । इसका भी स्पष्टीकरण हो । तीसरी बात यह है कि स्वास्थ्य के लिहाज़ से बात बताई है, मैं समझता हूं कि जो शहर के अन्दर स्वास्थ्य के लिए बुरी चीज़ है, वह खेती या वही चीज़ देहात के लिए स्वास्थ्य के लिए बुरी समझी जाय, यह बिल्कुल स्पष्ट चीज़ है । इसको भी स्पष्ट किया जाय । वैसे मैं समझता हूं कि इसको हटाने में किसी प्रकार की हानि नहीं होगी ।

श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ जैसा कि है, उसमें मैं समझता हूं कि किसी तरह के संशोधन की, या हेर फेर की आवश्यकता नहीं है । मेरे ख्याल में जो क्लॉज़ रखा गया है, वह बहुत ही हार्मलैस क्लॉज़ है । अब तक किसी बोर्ड के इतिहास में हमने इस सेक्शन का किसी तरह उपयोग नहीं देखा । हमारे राजस्थान टाउन म्युनिसिपैलिटी एक्ट में जो क्लॉज़ है, वैसा ही प्रोविज़न मौजूद है । म्युनिसिपैलिटी के पास इस प्रकार की पॉवर्स होना बहुत जरूरी है । मैं आपके सामने बीकानेर का उदाहरण रखना चाहता हूं । बीकानेर का जो गार्डन है, उसमें एक कुंआ है जहां शहर का गन्दा पानी आता है, उस पानी से दूब की सिंचाई होती है । उसके लिए मोहल्ले वाले तीन चार साल से मांग करते आ रहे हैं कि इसका पानी गन्दा पानी है, यह बहुत इन्जुरियस है इसलिये यह कुंआ यहां से हटा दिया जाना चाहिये, ऐसे केसेज़ भी पब्लिक ने कोट किये कि उसकी वजह से कई लोगों को टी. बी. हो गई । तो बोर्ड को इस प्रकार के पॉवर्स हों तो आवश्यकता पड़ने पर ऐसी परिस्थितियों में बोर्ड उन अधिकारों को काम में ले सकता है और पब्लिक की तन्दुरुस्ती को नुकसान हो उससे बचा सकता है । इसलिये यह जो प्रावधान रखा गया है वह बहुत ही आवश्यक है ।

बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि कम्पेन्सेन्शन का प्रावधान है वह अच्छा नहीं । जैसा कि क्लॉज़ में साफ़ है एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन होता है, गन्दे पानी से कल्टीवेशन होती है, पहले यह एरिया शहर से कुछ दूर था पर अब आबादी बढ़ जाने से शहर के बीच में वह एरिया आ गया है नज़दीक आ गया है तो हो सकता है कि आसपास के लोगों को एतराज हो और वे यह शिकायत करें कि उनकी तन्दुरुस्ती को इससे नुकसान होता है और हैल्थ ऑफिसर की रिपोर्ट हो कि वास्तव में इसके कारण स्वास्थ्य खराब होता है तो उसको हटाने का म्युनिसिपैलिटी को अधिकार होना चाहिये ।

इसलिये यह जो क्लॉज़ है वह आवश्यक है । यह इसी तरह रखी जानी चाहिये ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : इस क्लॉज़ को हटाने वाली बात है वह उपयुक्त नहीं है । क्यों कि इस प्रकार के क्लॉज़ को रखने की कई नगरपालिकाओं में आवश्यकता है । कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई धतूरे की खेती करने लगे, कभी धतूरा ही बो दे....

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : धतूरे की भी खेती होती है क्या ?

डॉ० बहादुरसिंह : धतूरे की खेती होती है और लोग व्यापार के लिये करते हैं । तो कोई धतूरा बो दे तो उसको रोकने

(डॉ० बहादुरसिंह)

के लिये बीज का व्यापार करने के लिये कोई बो दे....

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आयुर्वेद के लिये।

डॉ० बहादुरसिंह : जी हां, आयुर्वेद के लिये धतूरे का बीज बो देता है और कोई धतूरे के बीजों को खा कर मर जाता है।

श्री मदनसिंह : मरना होगा तो जंगल में जाकर मर जायगा, शहर में किस लिये आयेगा।

श्री उपाध्यक्ष : एक्साइजेबल आर्टीकल में तो नहीं आता।

डा० बहादुरसिंह : जी नहीं। शहर का गन्दा पानी है उससे उसकी सिंचाई होती है, खाद भी गन्दी होती है तो उसके कारण भी आसपास के नागरिकों को शिकायत हो सकती है, वे इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे। बजाय इसके कि सुगन्धित पौधे लगाये जायं, इस प्रकार की गन्दी हवा पैदा करना उचित नहीं होगा। वैसे ही शहरों का वातावरण दूषित होता है, तो शहरों के वातावरण को सुधारने के लिये इस प्रकार का प्रावधान रखना आवश्यक है। हैल्थ एडवाइज़र एडवाइज़ करें कि इस प्रकार की खेती को रोक दिया जाना चाहिये तो और भी वाइड पॉवर मिल जाने चाहिये। इसलिये इस क्लॉज़ को हटाने की आवश्यकता नहीं है उसी तरह रखना चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्लॉज़ प्रोहिबिटरी क्लॉज़ है और इमर्जेन्सीज़ के लिये है, हर रोज कहीं म्युनिसिपेलिटीज़ में काम में आता हो ऐसी बात नहीं है। टाउन म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट में यह क्लॉज़ मौजूद है पर मैं समझता हूं आज तक कहीं उसका उपयोग नहीं हुआ। पर इन्सानों की तन्दुरुस्ती को नुकसान देने वाली खेती होती हो और इस प्रकार का गन्दा पानी, गन्दी खाद दी जाती हो तो इस तरह का क्लॉज़ रखना आवश्यक हो जाता है।

श्री मदनसिंह : बोने वाला इन्सान नहीं है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पड़ौस में रहने वाले हैं वे भी इन्सान ही हैं, और आप एक इन्सान के फायदे के लिये कई इन्सानों को नुकसान पहुँचाना चहाते हैं।

श्री मोहरसिंह : यह खुलासा कर दीजिये कि इस प्रकार की खेती नहीं कर सकेंगे।

श्री मदनसिंह : किस तरह की खेती नुकसान देने वाली है वह बता दीजिये न।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मुझे बोलने दीजिये, नुकसान देने वाली है इसीलिये तो रखा है। कानून इसलिये रखा गया है कि अगर कोई खेती ऐसी हो कि वहां रहने वालों के स्वास्थ्य को खराब करती हो तो, या इस तरह का गन्दा पानी दिया जाता है, या गन्दा खाद दिया जाता है जैसे गन्दे नाले के पानी से खेती होती है, मैले का खाद दिया जाता है तो इस प्रकार की खेती को रोका जा सकता है। यह हिन्दुस्तान की सारी म्युनिसिपैलिटीज़ के कानूनों में है।

श्री मदनसिंह : इर्रिगेशन के अन्दर इस तरह का कानून बना दें कि इस तरह का गन्दा पानी सिंचाई के काम में नहीं लिया जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरी बात सुन लीजिये, मैंने आपकी बात को सुना है।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

कोई धतूरे की काश्त करता है....

श्री मदनसिंह : धतूरे की काश्त करता भी है क्या कोई ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर ।....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप बीच में बार बार खड़े होते हैं तो आप बोलेंगे उस समय में भी खड़ा हो जाया करूंगा। तशरीफ रखिये मैं यही बात कह रहा हूं, कि किसी के हैल्थ के लिये नुकसान देने वाली खेती है उसको रोकने के लिये प्रोविज़न रखा है। मुझे इस वक्त इस तरह की काश्त की जानकारी नहीं है, हो सकता है इस तरह की कोई काश्त हो।

श्री मुरलीधर व्यास : जब आप नहीं जानते हैं तो इस प्रकार का कानून बना कर लोगों को क्यों दिक्कत में डालते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दिक्कत में नहीं डालते इस तरह तन्दुरुस्ती को नुकसान करने वाली चीज़ की काश्त करते है तो उसको रोकने का अधिकार दिया गया है...

श्री मदनसिंह : कुंए का पानी पीने से अगर कोई आदमी मर जाता है तो उस कुंए को बन्द कर दीजिये। गन्दा पानी, या मैले का खाद दिया जाता उसको बन्द कर दीजिये....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इन्हीं के लिये तो यह प्रोविज़न रखा है। दूसरे कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट की सेंक्शन नहीं होनी चाहिये। जो दलील दी गई कि गवर्नमेंट मिस्यूज़ कर सकती है, तो यह तो म्युनिसिपैलिटीज़ के लिये भी एप्लाई कर सकते हैं कि म्युनिसिपैलिटीज़ किसी को फ़ायदा किसी को नुकसान पहुँचाने के लिये ऐसा कर सकती हैं तो यह दलील तो पैदा नहीं होती। डाइरेक्टर मेडिकल एन्ड हैल्थ की राय ले कर बोर्ड सरकार के पास भेजेगा और अगर उसे नुकसान होता है तो यह गवर्नमेंट के पास जायेगा, क्योंकि कम्पेन्सेशन रखा है तो गवर्नमेंट की मंजूरी है। अब सवाल कम्पेन्सेशन का है, कम्पेन्सेशन काश्तकार को मिले या नहीं मिले, यह सोचने की बात है। नाले से काश्त करने का एक आदमी ने ५ साल का ठेका लिया, उसको ५ साल से पहले ही खेती करने से रोकते हैं तो उसको इससे नुकसान होता है, तो यह तो काश्तकारों के फायदे के लिये किया है, गरीब काश्तकार को फायदा मिलना ही चाहिये। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यह क्लॉज़ जैसा है वैसा ही पास कर देना चाहिये। इसमें किसी को नुकसान नहीं होने वाला है।

श्री उपाध्यक्ष: Clauses 222 and 223 have no amendments. So both are put to vote together.

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ २२२ और २२३....

श्री मदनसिंह : एक शब्द का खुलासा करना है। It will take only one minute:

उपाध्यक्ष : Only for one minute.

श्री मदनसिंह : Yes Sir, इसमें यह तय नहीं हुआ कि पानी मेन्योर देना ही बन्द किया जायगा या खेती करना ही बन्द कर दिया जायेगा। मैं मन्त्री महोदय से फिर निवेदन करूंगा कि, खेती बन्द न कर के जिन कारणों से तन्दुरुस्ती पर बुरा असर पड़ता है, उस गन्दे पानी को और खाद को ही बन्द करने का रखें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें 'और इर्रिगेशन' लिखा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २२२ और २२३ स्वीकार किये जांय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २२२ व २२३ विधेयक के अंग बने।

क्लॉज़ २२४

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अमेंडमेंट मूव नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २२४ स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २२४ विधेयक का अंग बना।

क्लॉज़ २२४ ए.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : I do not want to move it.

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज़ २२५।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : I am speaking on 225.

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक बहुत जरूरी निवेदन यह करना है।

"Where any land vested in the board or any public place is, without the permission in writing of the board, used as a halting place for any vehicle or animal or a place of encampment, the owner or a keeper of the vehicle ro animal or the person encamping as the case may be, shall be liable on conviction to a fine which mny extend to twenty rupees and in the case of a cotinuing breach to a further fine which may extend to five rupeees for every day after the date of the first conviction during which the offender is proved to have persisted in the commission of the offence."

इसके बारे में माननीय मंत्री महोदय से इतना ही निवेदन करूंगा, कि इसमें यह प्रोविजन होना चाहिये कि म्युनिसिपैलिटी के सार्वजनिक स्थान हैं, वहां पर गाड़ी खड़ी करे या कोई जानवर बांधे तो आपको पैसे वसूल करने का अधिकार होना चाहिये। मगर आपने वहां पर जुर्माना २०) रखा है और बाद में ५) प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना रखा है। मैं आपको यह निवेदन करना चाहूँगा और मैं समझता हूँ कि आप भी इस बात को महसूस करेंगे कि किसी व्यक्ति ने अपना ट्रक खड़ा कर दिया या लॉरी खड़ी कर दी या किसी ने प्ले माउथ, सी, एस, लैन्ड मास्टर आदि गाड़ियें खड़ी कर दी जो १५–१५ हजार और ४०–४० हजार की गाड़ियां हैं उन पर भी आपने यह २०) जुर्माना रखा है और किसी कुम्हार का गधा है जो ३६) का है उस पर भी आपने २०) जुर्माना रखा है। यह कहां तक वाजिब है कि १४–१४ हजार और ४०–४० हजार के ट्रकों पर भी २०) जुर्माना और ३६) के कुम्हार के गधे पर भी २० जुर्माना। आप दोनों चीज़ों को क्या एक ही आधार पर रखना चाहते हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): आपको मालूम होना चाहिये कि चोरी की सजा ३ साल की रखी है चाहे चोरी थोड़े रुपयों की हो चाहे ज्यादा की?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो मैं आपका यह मतलब समझूं कि आप इसके समर्थन में हैं। मैं यह निवेदन करूंगा, कि जहां तक एनिमल का सम्बन्ध है, उसको एक गाड़ी के साथ न रखें क्योंकि गाड़ी की कीमत ज्यादा है। आप यह न समझें कि मैं इसका समर्थन नहीं करता कि जुर्माना होना चाहिये, मैं यह कहूँगा कि आप उनसे कुछ पैसे ले लें और जितनी कीमत है उससे

Page No.65

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ज्यादा पैसे आप लेते हैं, तो वह कहां तक वाजिब होगा क्योंकि एक गधा है उसकी कीमत ३६) हो और आप उस पर ज्यादा रकम लेते हैं, तो वाजिब नहीं है। वह वकील करेगा और मारा मारा फिरेगा। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा, कि आप जानवरों को और गाड़ियों को एक ही आधार पर न रखें। आपके यहां गधे में एते माउथ और दूसरी गाड़ियां में कोई फर्क नहीं है। आप जरा इसको सोचें और जो डिफिकल्टीज़ हैं उनकी तरफ ध्यान दें। जिस समय ड्राफ्ट किया गया इन पर ध्यान नहीं दिया गया। आप सोचें कि कोई भी यहां से परबतसर के मेले में जाते हैं या कोई व्यक्ति परबतसर के मेले में जा रहे हैं, वे कहीं तो रात को अपना पड़ाव डालेंगे ही या कोई अकाल के कारण बंजारे एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं, तो उनके जानवरों को खिलाने के लिए वहां पर नहीं होने के कारण ही लोग दूसरी जगह चराई के लिए चले जाते हैं,तो ऐसी हालत में यदि वे जयपुर से गुज़रते हों और यहां रामलीला मैदान में रात को ठहर जावें तो इस कानून के अनुसार तो आप उनका चालान कर देंगे और बिना चारे के कारण उनके जानवर मर जावेंगे। आप उनके जानवरों को ले जावेंगे और उसके कारण बिना चराई के उनके जानवर तो अलग मर जावेंगे और अदालत में फिरते फिरते वे लोग मर जावेंगे। आप इस तरह से इस प्रकार की दवाई देते हैं कि न तो मर्ज ही रहे और न मरीज। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि आप इसमें इस प्रकार का प्रोविजन रख दें कि १० घन्टे या १२ घन्टे या २४ घन्टे ठहर सकते हैं, जब कि वे मेले में जा रहे हों या बंजारे इधर उधर जा रहे हों। इसमें इस प्रकार से एग्जेम्पशन कर दिया जाये तो लोगों को बहुत फायदा होगा। बस यही दो बातें आपके सामने रख कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं समझता हूं कि इसमें मोटर और जानवर में जो जुर्माना रखा है इसमें क्या फर्क पड़ता है वह जो जुर्माना रखा गया है। इसके लिए यह कोई जरूरी नहीं है कि मजिस्ट्रेट २०) ही हर एक पर जुर्माना करें। ३७९ में ३ साल की सज़ा रखी है मगर मजिस्ट्रेट किसी को जुर्माना करके ही छोड़ देता है। इसी तरह इसमें भी २०) तक जुर्माना रखा है। यह जरूरी नहीं है कि २०) सब पर जुर्माना करें। यह तो मजिस्ट्रेट के देखने की बात है और इसके बाद में पांच रुपये प्रतिदिन के हैं। इस तरह से एक महीने में १५०) हो जावेंगे। मैं समझता हूँ कि यह जुर्माना भी कोई कम नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : गरीब और अमीर में क्या फ़र्क है यह कानून में नहीं देखा जाता। कानून में वह नहीं देखा जाता कि यह गधा है या गाड़ी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह बात देखी जाती है कि अपराध कितना बड़ा है। मैं समझता हूँ कि यह तो बिल्कुल स्पष्ट है। अब प्रश्न यह रहता है कि टेम्प्रेरी जो लोग रहते हैं और अपने जानवरों को रखते हैं इनके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि ठेकेदार होते हैं और वे पैसे वसूल करके दे देते हैं? कई लोग मोड़ पर अपनी गाड़ी और जानवरों को खड़ा कर देते हैं। उनको मना किया जाता है तो भी वे मानते नहीं हैं। वे लोग समझते हैं कि म्यूनिसिपल बोर्ड कोई चालान नहीं करता है। इसलिए कानून तो बनाना ही पड़ता है। इसलिये मैं

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से यह क्लॉज़ रखा गया है उसी प्रकार से इसको पास कर दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : २२५ और २२६ ।

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ २२५ और २२६ स्वीकार किए जाए।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ २२५ और २२६ विधेयक की अंग बनीं ।

क्लॉज़ २२६ ए ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (मन्त्री स्वायत्त, शासन) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा छोटा सा अमेंडमेंट है । इसमें जो इधर उधर टट्टी करा देते हैं उसके बारे में प्रावधान नहीं था और एडवर्टाइजमेंट और नोटिसेज़ के ज़रिये किन्ही स्थानों को खराब नहीं करेंगे, इस तरह की बात रखी गई है। यह सीधा सा अमेंडमेंट है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २२६ ए, स्वीकार की जाए ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २२६ ए विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज २२७

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (मंत्री, स्वायत्त शासन): यह संशोधन लैंग्वेज़ करेक्शन के लिए है ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉजेज २२७ में जो संशोधन मंत्री महोदय ने रखा है उसे स्वीकार किया जाए ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २२७ संशोधित रूप से स्वीकार की जाये ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २२७ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज २२८ और २२६ . . .

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, २२६ क्लॉज पर मुझे बोलना है ।

इसमें जो प्रोविज़न है उनमें कमिश्नर की जगह कलेक्टर कर दिया जावे ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (मंत्री, स्वायत्त शासन) : यह कर दिया जावेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ २२६ की सब-क्लॉज ४ में रखा गया है उसको स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २२६ संशोधित रूप से स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २२६ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बनी ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ २२८, २३० और २३१ को स्वीकार किया जाए ।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज २२८, २३० और २३१ विधेयक की अंग बनी ।

(विराम)

क्लॉज़ २३२ ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (मंत्री, स्वायत्त शासन) : इसमें मेरा सब क्लॉज़ २ मैडिकल ऑफिसर के बजाय हैल्थ ऑफिसर करने का है और क्लॉज़ (डी) एक नया क्लॉज़ एड करने के लिए है । मैं समझता हूँ कि इसको सदन स्वीकार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज २३२ पर जो संशोधन श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज २३२ संशोधित रूप से स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २३२ संशोधित रूप से विधेयक का अंग बनी।

(विराम)

क्लॉज़ २३३।

२ म० प०

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (मन्त्री, स्वायत्त शासन) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि क्लॉज़ २३३ को ओमिट कर दिया जाय क्योंकि इसी प्रकार का प्रोविजन एनीमल डीजीज़ एक्ट में आगया है इसलिए यहां रखने की कोई आवश्यकता नहीं।

श्रीमदनसिंह (दांता रामगढ़) : पुलिस एक्ट में जितनी चीजें हैं वे भी सारी आने वाली हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह एक्ट तो एप्लाई करता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह कि क्लॉज़ २३३ को ओमिट किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २३३ को विलोपित किया गया।

(विराम)

क्लॉज २३४

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (मंत्री स्वायत्त शासन): उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २३४ के अन्दर जहाँ मेडिकल ऑफिसर है वहाँ मेडिकल एण्ड हैल्थ ऑफिसर का मेरा संशोधन है। यह केवल नाम की तब्दीली के लिए है। आशा है इसे स्वीकार किया जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २३४ उसी तरह की क्लॉज़ है जैसे कि क्लॉज़ २१७ और २१८, करीब करीब दोनों समान है। क्लॉज़ २१७ फिलदी बिल्डिंग के बारे में थी और क्लॉज़ २१८ उन बिल्डिंगस के बारे थी जो रहने के काबिल नहीं हैं और यह २३४ क्लॉज़ और जोड़ा है इसके अलावा २३५ में गवर्नमेन्ट को जनरल पॉवर और दिये गये हैं। ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री महोदय में इतना साहस नहीं हुआ कि सारे क्लॉजेज़ को एक ही स्थान पर रख दिया जाय। मेरा ऐसा कहना है। कि इन सारे प्रोविजन्स को एक ही क्लॉज़ में इनकार्पोरेट कर लिया जाय। यह मैं ड्राफ्टिंग की गलती कहूँ या जानबूझकर इस प्रकार का प्रोविजन रखा है ?

श्री उपाध्यक्ष : Do you agree to defer it Shri Badri Prasad ?

Page No.68

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आप डेफर करना चाहते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसको डेफर कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : इस धारा को डेफर किया जाता है। बोलना बाद में अधिक लाभ-प्रद होगा। अभी बोलने का कोई लाभ नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : What about 235, Sir ? That should also be deferred.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: Clause 235 that is also defferred. उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २३६ से २७१ तक जितने भी मेरे अमेन्डमेन्ट हैं उन सब को मूव समझ लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि २३६ पर जो संशोधन श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २३६ संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधित क्लॉज़ २३६ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २३६ ए० और बी० को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २३६ ए. और २३६ बी. संशोधित रूप से विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २३७ पर जो संशोधन श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २३७ संशोधित रूप से स्वीकार की जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधित क्लॉज़ २३७ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २३७ ए० और बी० को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २३७ ए०एवं २३७ बी० विधेयक का अंग बनी ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २३८ पर जो संशोधन माननीय मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २३८ संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २३८ संशोधित रूप से विधेयक का अंग बना।

(विराम)

प्रश्न यह कि क्लॉज़ २३६ से २४१ तक स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २३६, २४० और २४१

विधेयक का अंग बना।

(विराम)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह संशोधन रखा है कि क्लॉज़ २४२ से २४५ तक ओमिट कर दिये जाये। क्योंकि इसके लिये सेन्ट्रल एक्ट बन गया है। Prevention of Prostitution and Immoral Traffic Act.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, उस एक्ट में म्युनिसिपैलिटीज़ को किस हद तक पॉवर्स हैं ? Wether the Municipal Board exercises any power under that Act? If it is not so, and the powers are exercisable by the police, then that department is not going to take any cognizance of this problem and preventing prostitution and immoral traffic. इसलिये मैं समझता हूं कि नगरपालिकाओं को इस प्रकार के अधिकार होने चाहिये कि जहां प्रोस्टीट्यूशन के केन्द्र चलते हों उन सारे अनैतिक व्यापार के केन्द्रों को रोकने के लिये सक्रिय कदम उठा सके और पुलिस का मुंह ताकना न पड़े। म्युनिसिपैल बोर्ड द्वारा कार्यवाही कराई जा सकती है, इस प्रकार का आप प्रोविज़न रखें।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सं.कर) : उपाध्यक्ष महोदय, जब कि माननीय मन्त्री महोदय ने २४५ को ओमिट करने के लिये संशोधन रखा है लेकिन जहां हमने बोर्ड के फंक्शन्स तय किये हैं उसमें डिस्क्रिशनेरी पॉवर्स दी थी Maintaining destute homes, maternity centres etc...एक तरफ तो बोर्ड को पॉवर दी है कि इस प्रकार के लोगों के लिये बोर्ड व्यवस्था करेगा। वैसी हालत में आप इसको ओमिट करने का प्रस्ताव रखते हैं तो यह कन्ट्राडिक्टरी बात है। डिस्क्रिशनेरी ड्यूटीज़ में यह था।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि जब कि सैन्ट्रल गवर्नमेंट द्वारा इस प्रकार का कानून बन चुका है तो इस प्रकार का क्लॉज़ म्युनिसिपल कानून में जरूर रखना चाहिये। आपने जैसा कहा पुलिस ही इसको तय करेगी। पुलिस का जो आज का मोरल है उसमें दस रुपये देकर आप चाहो जो कुछ करवा सकते हैं। यह एक ऐसी चीज़ है जिसको म्युनिसिपल कानून में रखने से आपको दुख तो नहीं होना चाहिए। पुराने राजाओं को तो दुख हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या दुख हो सकता है अपने को सुन लेना चाहिये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो प्रोविज़न रखा है उसमें पब्लिक नोटिस द्वारा प्रोहिबिट करेंगे। नोटिफाई करने के बाद प्रोसीक्यूट करेंगे और आखिर वह होगा पुलिस द्वारा ही ऐसी हालत में जब कि ऑलरेडी इस प्रकार का एक्ट मौजूद है वैसी हालत में अगर हम यहां रख भी देते हैं तो वह बात वेलिड नहीं होगी। सेन्ट्रल गवर्नमेंट का जो कानून बना हुआ है उसमें ऐसा प्रोविज़न मौजूद है। इसमें रखने से यह होगा कि दुबारा नोटिफाई बोर्ड करे....

श्री मदनसिंह : आपने बिल्कुल सही फरमाया। पर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट बहुत बड़ी गवर्नमेन्ट है। वहां तो डेप्युटेशन ले जांय तो सेंक्शन भी ला सकते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया ऐसा का ऐसा प्रोविज़न नोटिफाई हो चुका है। बोर्ड दुबारा क्या नोटिफाई करेगा ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: On a point of information Sir, शहर के बाहर लाकर रख दिया तो क्या इसके लिये एक्ट में प्रोविज़न है। म्यूनिसिपल एरिया में उनको कहीं नहीं रखा जावेगा। शहर के बाहर निकाल दिया पर म्युनिसिपल एरिया तीन मील तक है उसमें रख दिया तो ? शहर से ले जाकर झोटवाड़ा में रख दिया तो ? झोटवाड़ा म्यूनिसिपल एरिया में है। That is also within the municipal limits and if we want that they should not remain within the municipal limits, then what is there to prevent ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रख कहां दिया ? उसमें भी रखने का प्रोविज़न नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है, अब चाहे गांव हो या शहर हो, कोई जगह हो सारे हिन्दुस्तान में जहां कहीं भी रखा जावेगा वहीं प्रोहीबिशन है It is illegal every where.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २४२, २४३, २४४, व २४५ ओमिट की जावें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २४२, २४३, २४४, और २४५ विलोपित की गई

क्लॉज़ २४६

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, इसके सब-क्लॉज़ ५ में सिर्फ लैंग्वेज़ करेक्शन के लिये मेरा अमेन्डमेन्ट है, इसको स्वीकार किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २४६ पर जो संशोधन मन्त्री महोदय ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २४६ संशोधित रूप से स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

(क्लॉज़ २४६ संशोधित रूप में विधेयक अंग बना।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २४७, २४८

Page No.71

(श्री उपाध्यक्ष)

और २४६ स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २४७, २४८ और २४६ विधेयक का अंग बनें।

(विराम)

क्लॉज़ २५०

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें भी कोई मैटीरियल अमेन्डमेंट नहीं है। मैंने यह मूव किया है :

(1) In subclause (1) omit 'sub section (1) of section 170 or' and "other" in part (a) of the proviso, and इसको स्वीकार किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ २५० पर मन्त्री महोदय ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २५० संशोधित रूप से स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २५० संशोधित रूप से विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज २५१.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्लॉज़ २५१ जो है इसमें व्यवस्था है कि "Whenever default is made by the owner of any building or land in the execution of any work required to be executed by him the occupier of such building or land may, with the approval of the Board, cause such work to be executed and the expenses thereof shall be paid to him by the owner, or the amount may be deducted out of the rent from time to time becoming due from him to such owner."

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जहां तक समझता हूं इसका सम्बन्ध भी कुछ कुछ उन क्लॉज़ के साथ है जिनके बारे में यह लिखा है कि अगर कोई बिल्डिंग ह्यूमन इन्हेबिटेशन के लिये फिट नहीं है तो म्यूनिसिपल बोर्ड आदेश देगा कि इस प्रकार का काम करवाईये। मकान मालिक अगर नहीं करावेगा तो किरायेदार कराएगा और उसमें जो पैसा लगेगा वह किराये में से काट लेगा। इसमें यह प्रोविज़न है। अब अगर म्यूनिसिपल बोर्ड ने यह कहा कि तुम इस मकान में फ्लश की टट्टी लगा दो, पाईप का फिटिंग कराओ, या इलेक्ट्रिसिटी लगाओ या यह कहे कि जो इम्प्रूवमेन्ट का काम ऑक्युपायर के लिये जरूरी है वह कराओ पर लैंड लॉर्ड मज़बूर हैं, इस पर अगर ओक्पायर म्युनिसिपल बोर्ड से मिल कर यहां ऑर्डर करा ले कि किराये में से इसका पैसा काट लेना तो क्या इस तरह के वर्क भी इस प्रोविज़न में आवेंगे ? तो इस तरह के क्या काम हो सकते हैं इनका पूरा ब्यौरा इसमें होना चाहिये नहीं तो ये और इसी तरह के कई दूसरे काम हैं और उनके बारे में ऑक्युपायर और म्यूनिसिपल

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बोर्ड मिल गये तो लैंड लॉर्ड के लिये मुसीबत पैदा हो जावेगी।

ऐसा कुछ प्रोविज़न ऑलरेडी ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट में है। इसमें सारा प्रोसीज़र लेड डाउन है। इस प्रोसीज़र के हिसाब से एक महीने का नोटिस देकर करा सकता है और वह रिपेयर करा सकता है और पैसा किराये में से काट सकता है। वह वाजिब था या नहीं और कोर्ट में केस कैसे चलना चाहिये यह सवाल सिविल कोर्ट के जूरिस्डिक्शन का है। पर इस प्रकार की जो व्यवस्था इसमें की गई है कि म्यूनिसिपल बोर्ड की पर्मिशन से काट लें यह व्यवस्था उचित नहीं है। यह जूरिस्डिक्शन कोर्ट का होना चाहिये। ह्यूमन इन्हेबिटेशन के नाम पर या ऐसी ही कुछ और बातों के नाम पर ऑक्युपायर भी लैंड लार्ड को तंग कर सकता है। यह ह्यूमन इनहैबिटेशन की टर्म बड़ी एम्बिगुअस है। इन्टेन्जिबुल भी नहीं है। कौन सा काम है ? इसमें लिखा है :

"whenever default is made by the the owner of any building or land in the execution of any work required to executed by him the occupier of such building of land may, with the approval of the Board, cause such work to be executed and... तो यह उन्हीं क्लॉज़ों के अन्तर्गत होगा तो २१७,२१८ में दूसरा प्रोसीज़र रखा है : I mean we are giving a right to the occupier to do all that. I would therefore request the Hon'ble Minister to defer that Section. Primarily with regard to section 250, I shall submit that it should be deferred or consideration.

श्री उपाध्यक्ष : It is deferred.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २५२, २५३ और २५४ तथा २५५ स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ २५२, २५३, २५४ एवं २५५ विधेयक का अंग बने।

(विराम)

क्लॉज २५६

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (मंत्री, स्वायत्त शासन) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें चेयरमैन के बाद वाईस चेयरमैन और हैल्थ ऑफिसर के बजाय मैडिकल ऑफीसर ऑफ हैल्थ रखा गया है इसको स्वीकार किया जावे। पूरा संशोधन इस प्रकार है :

"Insert "the Vice-Chairman" after "Chairman" and substitute "Health Officer" for "Medical Officer Health".

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय मन्त्री महोदय ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २५६ संशोधित रूप से स्वीकार की जावे।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

क्लॉज २५६ संशोधित रूप से विधेयक का अंग बना।

क्लॉज़ २५७

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a point of clarification Sir, क्लॉज़ २५७ में लिखा है।

"It shall be lawful for a person authorised under the provisions of section 255 or section 256 to make an entry for the purpose of inspection or of search, to open or cause to be opened a door, gate or other barrier–

(a) if e considers the opening thereof necessary for the purpose of such entry, inspection or search, and

(b) if the owner or occupier is absent, or being present refuses to open such door, gate or barrier."

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पर निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें हमने व्यवस्था की है कि म्युनिसिपल एक्ट की दृष्टि से अगर कहीं यह आवश्यक है कि कहीं पर हमें इन्सपेक्शन करना जरूरी है या खर्च करना जरूरी है मकान की या दुकान की तो मैं इस बात पर तो आपत्ति नहीं करता कि अगर कोई आदमी बिना ऑक्ट्राय पे किए हुए दुकान पर कोई सामान लाता है, तो उसकी तलाशी नहीं की जाये। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय सरचेज़ के बारे में जो प्रोमीज़र सिविल प्रोसीज़र कोड में दिया गया है आपने इसमें खुली छुट्टी दे दी है। आपने कहीं पर भी प्रतिबन्ध नहीं लगाया है। आप यह लिखते कि सायंकाल ६ बजे बाद रात्रि को किसी के घर में कोई भी नहीं घुस सकेगा। आपने क्लॉज़ २५७ के अन्दर कहीं पर भी यह प्रोविज़न नहीं किया है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि सनसैट के बाद, रात्रि होने के बाद, अंधेरा पड़ने के बाद कोई भी म्युनिसिपल कर्मचारी किसी भी पर्पज़ के लिए किसी के घर में नही घुस सकेगा....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसका क्लॉज २५५ में प्रोविजन है। क्लॉज़ २५५ के अन्दर जिनको ऑथोराइज़ किया गया है उन्हीं को इस क्लॉज़ २५७ के अन्दर ऑथोराइज किया गया है- It shall be lawful for the chairman, vice-chairman, executive officer or any officer authorised by the board in this behalf to enter, for any purpose of this Act or any rule or bye-law made thereunder between sunrise and sunset with such assistants as he may deem necessary into and upon any building or land". इसलिए कोई दिक्कत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : I think this solves the Problem.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २५७, २५८ और २५६ स्वीकार की जाये ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय इसके सब-क्लॉज़ (बी) के बारे में पूछना है if the owner or occupier is absent, or being present refuses to open such door, gate or barrier अगर वह आदमी एब्सेन्ट है, कहीं पर चला गया, कहीं यात्रा पर गया हुआ है तो आप

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कैसे अधिकार देते हैं, कि ताला तोड़कर घर में घुस जायें I think this is a very riduculous provision. आपने (श्री) सब–क्लॉज़ में लिख दिया if the owner or occupier is absent, or being present refuses to open such door, gate or barrier.

तो वह आदमी उसमें घुस सकेगा । कोई आदमी यात्रा पर गया हुआ है, कोई अपने काम कहीं पर लम्बे समय के लिए गया हुआ है, तो उसको कैसे मालूम हो कि म्युनिसिपल कर्मचारी उसके घर पर आने वाले हैं । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिए जो आपने लिखा है कि एबसेन्ट हो तो भी ताला तोड़कर घुस सकते हैं । हां, अगर कोई आदमी प्रज़ेन्ट हो और फिर सर्च देने के लिए मना करता हो तो आप ऐसा प्रोविज़न रख सकते हैं । तो या तो इसको ओमिट कर दिया जाये या फिर इसमें कुछ हेरफेर कर दी जाये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप देखिये क्लॉज़ २५५ के अन्दर जो प्रोविज़ो लगा रखा है ।

"Provided that except when herein otherwise provided, no building or land which may be occupied at the time shall be entered unless with the consent of the occupier thereof, without twenty four hours written notice thereof having been given to the said occupier:" ऑक्युपायर को २४ घन्टे का नोटिस देंगे और तब एन्टर करने का अधिकार होगा और हमने नोटिस सर्व किया और उसके बाद में भी गैरहाज़िर हो जाता है तो उस समय के लिए यह प्रोविज़न है कि ताला तोड़कर घुस सकते हैं । तो मेरे ख्याल से अब यह धारा २५७ साफ हो गई ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं समझता हूं कि this is not.

श्री उपाध्यक्ष : हां, यही है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं समझता हूं कि इन्टरप्रिटेशन के बारे में दिक्कत हो जायेगी । कोई आदमी रीज़नेबली नहीं मिला तो आप अखबार में छपवा दीजिए । आखिर आपको क्या करना है उस आदमी को लौट आने दीजिए या फिर उसके मकान को सील कर दीजिए । आखिर आप पब्लिक प्रोपर्टी के बारे में क्यों इन्टरफियर करते हैं । अगर एक आदमी ताला लगाकर कहीं चला गया सर्विस और सम्मन के बारे में और भी दूसरे प्रासीजर हो सकते हैं । अखबार के द्वारा सर्विस हो सकती है, फेमिली अडल्ट के ऊपर सर्विस हो सकती है । अगर वह आदमी एबसेन्ट है तो ऐसी एम्बीगुएटी पैदा न हो इसलिए आप उसके लिए ज्यादा प्रिकाशन्स लें । आपने शुरुआत में लिखा है It shall be lawful for a person authorised under the provisions of section 255 or section 256 to make an entry... जो आदमी २५५ में ऑथोराइज़ है वह ऑथोराइज़ कौन कौन है वह उसमें लिखा है । इसके अन्दर यह नहीं लिखा है- subject to the procedure as provided in section 255. यह लीगल लैंग्वेज़ का ताल्लुक है । जो आदमी २५५ के अन्दर ऑथोराइज़ है वह आदमी किसी के भी घर में जा सकता है । आप इस पर विचार कर लीजिए और सलाह ले लीजिए और इसमें

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जो यह प्रोविज़न है कि उसकी एब्सेन्स में ताला तोड़ा जा सकेगा, तो इस पर और विचार कर लेना चाहिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : २५५,२५६ और २५७ इन तीनों धाराओं को एक साथ कन्टीनुएशन में देखनी हैं। बोर्ड का चेयरमैन या वाइस चेयरमैन या फिर जिस ऑफिसर को भी ऑथरिटी दी गई है उसमें लिखा हुआ है कि नोटिस जरूर होगा। २५५ की ऑथोरिटी जरूरी है और ऑथोरिटी दी गई है तो उसके बिना एन्टर होने का राइट नहीं होगा। एन्ट्री तो ताला तोड़कर हो सकेगी। २५५ से यह क्लॉज़ गवर्न है। उसको नोटिस दिया जायेगा और फिर वह गैर हाज़िर हो जाये तो यह कार्यवाही की जा सकेगी। मैं समझता हूं इसको पहले भी काफ़ी डिसकस किया गया है और इसको पास कर देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २५७, २५८ और २५६ स्वीकार की जाये ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २५७, २५८ और २५६ विधेयक का अंग बने।

क्लॉज़ २६०

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो मेरा अमेन्डमेन्ट है वह सिर्फ लैंग्वेज के करेक्शन के लिए है और इसको स्वीकार किया जाना चाहिए। वह इस प्रकार है : In sub clause (1)-

(a) insert "all or any of" before "The municipal Boards" in line 1.

(b) substitute "the State" for "Rajasthan" in line 1, and (c) insert "thereof" after "members" in the last line.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ २६० पर प्रस्तुत हुआ उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a point of informastion Sir. २६० में लिखा है :

"The municipal boards in Rajasthan may combine to form an association to be called the Rajasthan State Municipal Boards Union provided that no such association shall be formed unless more than half the number of boards in the State severally pass...

श्री उपाध्यक्ष : When the question is being put to vote and half the question has been put to vote, no objection can be raised.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, पहले अमेन्डमेंट पर खड़ा हुआ और उसके साथ ही अमेन्डमेंट पेश होने के बाद यह अमेन्डेन्ड क्लॉज़ हमारे सामने आता है और अमेन्डमेंट के पहले इसका विरोध नहीं कर सकते थे।

श्री उपाध्यक्ष : It was read over to you even before I pointed out to the

Page No.76

(श्री उपाध्यक्ष)

House. There was an ample opportunity to raise the particular objection if any. I mean, you feel the procedural difficlty. I am putting it to vote then if a question is pointed, then we are committing a procedural irregularity. In future, I shall be caretul and liberl. I hope you will not object to it now.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I shall be careful in future...

श्री उपाध्यक्ष : No, I mean the Chair shall be careful and liberal to it.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २६० संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २६० संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ २६१, २६२, २६३, २६४, २६५ और २६६ स्वीकार की जायें ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २६१, २६२, २६३, २६४, २६५ और २६६ विधेयक के अंग बने।

क्लाज २६७

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा अमेन्डमेंट सिर्फ लैंग्वेज़ के करेक्शन के लिए है। नोटिस के बाद 'देयर ऑफ' होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ २६७ पर प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ २६७ स्वीकार की जाये।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २६७ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

क्लॉज़ २६८।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २६८ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २६८ विधेयक का अंग बना।

क्लॉज़ २६९।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा अमेन्डमेंट सिर्फ शब्द 'प्रीवियस' को ओमिट करने के बारे में है, इसे स्वीकार कर लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लाज़ २६९ में रखा गया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

Page No.77

(श्री उपाध्यक्ष)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २६६ संशोधित रूप में स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २६६ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

क्लॉज २७० व २७१

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २७० और २७१ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २७० और २७१ विधेयक के अंग बने।

क्लॉज २७२।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसका मीनिंग क्लीयर करने के लिये सिर्फ इतना अमेन्डमेंट किया गया हैं : (1) For sub-part (i) of part (d) substitute the following :-

"(i) under section 282 or section 283 or section 288"

दूसरा अमेन्डमेंट है : (2) In part (e) substitute "Ssction 232" for 'Sections 232 and 233"

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ २७२ में प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २७२ संशोधित रूप में स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २७२ संशोधित रूप से विधेयक का अंग बना।

क्लॉज २७३।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें जो अमेन्डमेंट है वह कोई मेटीरियल नहीं है। कुछ लैंग्वेज़ करेक्शन के लिये है। इसको स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ २७३ पर किया गया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २७३ संशोधित रूप में स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २७३ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

क्लॉज २७४।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

महोदय, इसमें 'प्रीवियस' वर्ड को ओमिट करने के लिये मेरा अमेन्डमेंट है इसे स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २७४ पर जो संशोधन है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २७४ संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २७४ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

क्लॉज २७५।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह अमेन्डमेंट भी महज़ सब क्लॉज़ (३) में लैंग्वेज़ ठीक करने के लिये रखा गया है। इसमें कोई खास बात नहीं है, इसलिये इसे स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ २७५ में रखा गया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २७५ संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २७५ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

क्लॉज २७६।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २७६ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २७६ विधेयक का अंग बना।

क्लॉज २७७।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, यह अमेन्डमेंट भी लैंग्वेज़ के करेक्शन के लिये है इसे स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ २७७ पर प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २७७ को संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २७७ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

क्लॉज २७८

श्री उपाध्यक्ष : Then I am coming to clauses 278 and 279.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २७६ पर तो बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २७८ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २७८ विधेयक का अंग बना।

क्लॉज २७६

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : क्लॉज़ २७६ में पॉवर्स ऑफ इन्सपेक्शन एन्ड सुपरविजन दी हुई है। इसमें लिखा है।

Any officer appointed or authorised by the State Government in this behalf by a general or special order shall have power–

इसकी सब-क्लॉज़ (२) है उसमें लिखा है: All or any of the powers given to such officer as may be appointed or authorised under sub-section (1) may be delegated by him to an officer subordinate to him not below the rank of a sub-divisional officer." इसमें हम यह क्लॉज़ लगा सकते हैं कि सब डिविज़नल ऑफिसर से ऊपर होगा और वही पॉवर्स डेलीगेट कर सकता है, एस. डी. ओ. को। इसका अर्थ यह है कि इससे ऊपर का कोई ऑफिसर होगा। अब यह प्रश्न होगा कि एस. डी. ओ. को अधिकार देना चाहिये या नहीं। एस. डी. ओ. का हैड क्वार्टर भी म्युनिसिपल बोर्ड के स्थान पर ही होगा और दोनों के बीच में कई बातों पर विवाद हो सकता है। सब-डिविज़नल ऑफिसर धौलपुर में और उसमें कई मामलों में प्रशासनिक या अन्य मामलों में झगड़ा हो सकता है। उस समय यदि उनको पॉवर्स हुए जैसा कि इन्सपेक्टिंग ऑफिसर को कई तरह के पॉवर्स दे रहे हैं, उसकी सिफारिश पर ही गवर्नमेंट बड़े से बड़ा एक्शन लेने को तैयार होगी। जैसा कि फतेहपुर म्युनिसिपल बोर्ड का अनुभव है। वहां के चेयरमैन और एस. डी. ओ. में झगड़ा चला, एक दूसरे की खिलाफ़त हुई। वहां का चेयरमैन मोटर ऑपरेटर होने के कारण एस. डी. ओ. उसके मुकद्दमों में जुर्माना करता है और म्युनिसिपैलिटी के मामलों में हस्तक्षेप करता है इसलिये कि उनका प्राइवेट झगड़ा था। इसलिये यदि कलेक्टर को यह अधिकार दिया जाय तो कलेक्टर की पोस्ट ऐसी है कि डाइरेक्टली म्युनिसिपैलिटी के झगड़े में नहीं आती। हमने कई स्थानों पर अपिलेट ऑथोरिटी कलेक्टर को माना है। कलेक्टर राजस्थान में २४ हैं बाकी स्थानों पर एस. डी. ओ. मिलेंगे। यदि उनको पॉवर्स दे दी तो कई स्थानों पर झगड़े होंगे और उनके झगड़ों के कारण नुकसान होगा। क्योंकि सरकार पहले सरकारी अधिकारियों की बात सुनेगी और कहेगी कि हमने जिसको इन्सपेक्शन के लिये नियुक्त किया है, उसने जरूर कोई सही बात देखी होगी और इस कारण से उसकी रिपोर्ट होगी उसको सही मान लेंगे और जैसा आगे बोर्ड को सस्पेन्ड करना है या और कुछ करना है रिपोर्ट करने वाला एस. डी. ओ. होगा और उस पर निर्णय लिया तो वास्तव में गलत निर्णय होगा और अच्छे अधिकारियों द्वारा

Page No.80

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

लिया हुआ निर्णय नहीं माना जा सकता। कलेक्टर या ऊपर के अधिकारियों को देना चाहिये। जैसे म्युनिसिपैलिटी के अधिकार कमिश्नर को दे सकते हैं। जितने स्थानों पर कमिश्नरीज़ हैं वहां पर कमिश्नर्स को अधिकार दे सकते हैं और बाकी जगह पर कलेक्टर्स को दे सकते हैं। एस. डी. ओ. को अधिकार देना गलत बात होगी।

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस धारा के पक्ष में बोल रहा हूँ इसलिये कि माननीय सदस्य मेरे यहां नजदीक बैठे हैं। बात यह है कि नगरपालिका के ऊपर जांच करने के लिये यदि आप कलेक्टर को पॉवर देते हैं या कमिश्नर को पॉवर देते हैं तो उसमें वास्तविक जांच की बात हैं उसमें काफी डिले हो सकती है। यहां पर जैसे धौलपुर की नज़ीर दी गई, मैं यह बताना चाहता हूं कि मान लीजिये किसी अनियमितता की जांच करनी है तो उसको जो स्थानीय अधिकारी है सारी स्थिति की जानकारी होती है और वह हर प्रकार से जानकारी कर सकता है। स्थानीय अधिकारियों को पॉवर्स देने चाहिये। जैसे बाड़ी में तहसीलदार रहता है तो वहां के लिये उसको अधिकार रहना चाहिये कि वह on the sopt जांच कर सके, यह इसमें आवश्यक है। होता यह है कि बोर्ड के अन्दर, मान लीजिये एक चेयरमैन है उस चेयरमैन ने अपने स्वार्थ के लिये किसी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, या वहां के कई मेम्बरों ने मिलकर जमीन बांट खाया और अन्य प्रकार की गड़बड़ी कर दी, इसके लिए लाज़िमी है कि जो सब डिविज़नल ऑफिसर बैठा है, और जो धौलपुर का डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर है वह ७२ मील दूर है, यू० पी० उसके बीच में आ गया, उसमें होकर उसे जाना पड़ेगा, तो तीन दिन तो आने जाने में लगाये जायें और काफ़ी पैसा खर्च करा जाय लेकिन एस. डी. ओ. पास ही होता है, निश्चित् तौर से जो बोर्ड में गड़बड़ी है, उसकी शिकायत एस. डी. ओ. के पास है, दूसरे आने जाने में पैसा और समय खर्च नहीं होगा, उसका एप्रोच ज्यादा हो सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह व्यवस्था अच्छी है और माननीय मन्त्री महोदय, ने धौलपुर की वजह से इसे रखा होगा। वहां इस प्रकार की दिक्कत पड़ती है। इसके अलावा जहां एस. डी. ओ. नहीं वहां तहसीलदार को पॉवर मिलनी चाहिए, वह अनियमितताओं की जांच करे। यह क्लॉज़ है, यह लाज़िमी क्लॉज़ है। खास तौर से जहां पर एस. डी. ओ. है, वहां जानते हैं कि कितनी दिक्कत होती है, डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर जाने में। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसको डिलीट करने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसी कि हम इस बात की शिकायत करते रहते हैं कि हमारी नगरपालिकायें हैं, स्वायत्त शासन संस्थायें हैं, इन स्वायत्त शासन संस्थाओं को यह अधिकार देते हैं कि ये शासन स्वयं चलायें लेकिन हर बार गवर्नमेंट की ओर से इस प्रकार का इसमें प्रावधान रख लिया जाता है कि उनकी हर बात पर अंकुश रखते हैं और स्वायत्तता को नष्ट करते चले जाते हैं। हम चाहते हैं कि वे स्वतंत्र हों, फिर खुद के कुछ लोगों के ज़रिये जांच, कराया जाना डेमोक्रेसी का, इसके अधिकारों का हनन होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां कहीं गवर्नमेंट चाहती है

(श्री दयाकृष्ण विजय)

कि कहीं जगह विरोधी दल की नगरपालिका बन गई है, इसे सस्पेन्ड करना है, इस नगर पालिका को खत्म करना है, चेअरमैन जो विरोधी दल का बन जाता है, उसको समाप्त करना है, वहां हमारा तरीके के बहाने बना करते हैं कलेक्टर की नियुक्ति कर देंगे, एस. डी. ओ. की नियुक्त कर देंगे, उनको पॉवर्स डेलीगेट हो जायगी, और वे जांच करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के अन्दर जितने शासकीय लोग हैं, प्रशासकीय लोग हैं, वे सरकार के अधीन होते हैं, सरकार के खरीदे हुए लोग होते हैं, इनके द्वारा जांच कराई जाने के बाद न्याय की जो अपेक्षा करते हैं, वह न्याय नहीं हो सकता। जुडिसियरी के ऊपर जब डिस्कशन चल रहा है, उस समय मांग की गई थी कि कार्यपालिका को और न्याय पालिका को अलग करना चाहिए। किसी प्रकार की जांच कराना चाहते हैं, सुपरवीजन कराना चाहते हैं तो सुपरवीजन और जांच ऐसे लोगों के द्वारा होनी चाहिए जो निष्पक्ष हों, जिनसे निष्पक्ष जांच की आशा कर सकते हैं। चाहे बोर्ड विरोधी दल का हो, चाहे कांग्रेस दल का हो, चाहे किसी भी दल का हो, मुझे इसमें आपत्ति नहीं है पर उस बोर्ड के साथ न्याय होगा इस बात की गारन्टी हो। यदि सुपरविजन करने की ऑथोरिटी एक एग्जीक्यूटिव ऑथोरिटी को रखेंगे, जब तक कलेक्टर के पास पावर्स रखेंगे तब तक न्याय की आशा नहीं की जा सकती। क्योंकि कलेक्टर स्वयं गवर्नमेंट के काम में उलझा रहता है, उसे आप निष्पक्ष नहीं कह सकते, राज्य सरकार से वह प्रभावित रहेगा, अपने विकास को लेकर, अपने ट्रान्सफर को लेकर, दूसरे कारणों को लेकर वह सरकार से दबा रहता है। मेरा कहना यह है कि आपने जो रखा है 'एनी ऑफिसर,' उसकी बजाय डिस्ट्रिक्ट जज़ रख दें, उनके द्वारा जांच करवायें, सुपरविजन करवायें तो निष्पक्ष न्याय और सुपरविजन हो सकता है। क्लॉज़ २७६, २८०, २८१, २८२ में यही चल रहा है, आप कलेक्टर को पॉवर्स दे रहे हैं, चुनाव करने में इन सारी बातों में। इन सारी बातों की जांच वगैरह, सुपरविजन वगैरह, म्युनिसिपल बोर्ड को खत्म करना है, तो जांच कराये निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा। जो कुछ आपने स्टेप लिया है, वह जनता के अहित में है, जनता को नुकसान पहुंचाने वाला है, इससे जनतन्त्र का हनन होने वाला है। इसलिए आप जांच कलेक्टर के द्वारा न करायें क्योंकि वह खरीदा हुआ होता है, वह सरकार के विरुद्ध नहीं जा सकता।

डॉ० बहादुरसिंह : किस भाव खरीदा जाता है।

श्री दया कृष्ण विजय : ८०० रुपये को तनख्वाह देकर खरीदे जाते हैं। इस लिए जुडिसियल व्यक्ति को, जिसे इन्डीपेन्डेन्ट कहते हैं, ऐसे निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा जांच करायें, उसके बाद बोर्ड को सस्पेन्ड किया जाय, बोर्ड को खत्म किया जाय। आपने कानून के द्वारा एक बोर्ड बनाया है लेकिन कई चीजें इसमें ऐसी हों जो जनता के हित के खिलाफ पड़ती हों तो धारा २८१ के अधीन सस्पेन्ड कर सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धारा २७६ से जो क्लॉजेज़ चलते हैं, उनमें कलेक्टर, एस.डी. ओ. को पावर्स न दी जाय क्योंकि उनके ऊपर हमने शंका की है, उनके ऊपर हमने आक्षेप

(श्री दयाकृष्ण विजय)

लगाये हैं और माननीय मंत्री महोदय जानते हैं कि उनका न्याय प्रिजुडिस्ड होता है। इसके अलावा एस. डी. ओ. अपने सब-डिविज़न में बिज़ी रहता है, कलेक्टर भी अपने काम में बिज़ी रहता है, उनको फुर्सत नहीं रहती है, वे किसी को पॉवर डेलीगेट करते रहते हैं सिटी मजिस्ट्रेट को, और इस प्रकार निष्पक्ष न्याय की उम्मीद करते हैं। जिन नगरपालिकाओं में विरोधी दल के चेअरमैन हैं, वे म्युनिसिपल बोर्ड शान के साथ काम कर सकें, इसके लिए आवश्यक है कि जो सुपरवीजन कराना चाहते हैं, जांच कराना चाहते हैं वह निष्पक्ष न्याय अधिकारी से करवाई जाय ताकि किसी प्रकार किसी को कहने का कोई अवसर न आये। इसलिये मेरा सजेशन है कि कलेक्टर, एस. डी. ओ. के बजाय डिस्ट्रिक्ट जज रखेंगे तो ज्यादा उपयुक्त होगा। यही मेरा सुझाव है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ में इतना प्रोविजन किया गया है कि जो आफिसर अपॉइन्टेड होगा-he shall have power to enter on and inspect, or cause to be entered on and inspected, any immovable property occupied by any board or any institution under its control or management or any work in progress under it or under its direction or control,..." प्रोपर्टी का इन्सपेक्शन कर सकेगा। बी, पार्ट में है कि जो प्रोसीडिंग्स हैं हाउस की उसके रिकॉर्ड को कॉल कर सकेगा। और तीसरा है कि बोर्ड जो काम कर रहा है, उसके अन्दर कोई आब्जेक्शनबल बात होगी तो वह कह सकता है कि इस पर विचार कर लीजिये। मैं समझता हूं कि ये काम दिये गये हैं उसको, उसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि ऑफिसर कौन हो, सिर्फ इतना इसमें किया गया है, कि जो अपॉइन्टेड ऑफिसर होगा, वह अपनी पॉवर्स डेलीगेट कर सकेगा लेकिन पॉवर्स डेलीगेट करेगा, उसके लिए एस. डी. ओ. को रखा है, उससे कम का ऑफिसर नहीं होगा, वह तहसीलदार या पटवारी को पॉवर्स नहीं दे सकेगा। दूसरा पार्ट इन्सपेक्शन का है, इसमें रिकार्ड मंगाने का प्रॉवीजन है। मैं समझता हूं इसमें अगर मान लीजिये कि डाइरेक्टर लोकल बॉडीज को अपॉइन्ट करेंगे या किसी दूसरे ऑफिसर को अपाइन्ट किया, उसने किसी को ऑथोराइज कर दिया कि जरा देख लीजिये, बोर्ड की प्रोपर्टी का इन्सपेक्शन कर लीजिये। मैं समझता हूं इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि जिससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला हो। यह क्लॉज बहुत सोच समझ कर हमने रखा है और इसका कोई आल्टरनेटिव नजर नहीं आता। इसलिए जैसा है, वैसा ही इसको पास कर देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज २७९ व २८० स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज २७९ व २८० विधेयक का अंग बने।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज २८२।

श्री बद्रीप्रसादगुप्ता : २८१.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज २८१ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज २८१ विधेयक का अंग बना।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज २८२। प्रश्न यह है कि क्लॉज २८२ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज २८२ विधेयक का अंग बना।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज २८३ श्री बद्री प्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो अमेंडमेंट सिर्फ इतना है कि For the words "epidemic disease of men or beasts" की जगह "dangerous disease" रख दिया जाय। यह लेंगवेज के करेक्शन की बात है, कोई मेटिरियल बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज २८३ में जो संशोधन माननीय मन्त्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज २८३, संशोधित रूप में, स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज २८३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज २८४।

क्लॉज २८४

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें भी सिर्फ लेंग्वेज के करेक्शन के लिये मेरा अमेंडमेंट है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज २८४ में प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया जाय

प्रश्न यह है कि क्लॉज २८४ संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज २८४ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

क्लॉज २८५।

प्रश्न यह कि क्लॉज २८५ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत

क्लॉज २८५ विधे

क्लॉज

श्री दयाकृष्ण

(श्री दयाकृष्ण विजय)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें भी यही बात है :

The State Government may order an inquiry to be held by any officer appointed by it in this behalf into any matters concerning the municipal administration of any municipality or any matters with respect to which its sanction, approval or consent is required under this Act.

(2) The officer holding such inquiry shall for the purpose thereof, have the powers which are vested in a court under the Code of Civil Procedure, 1908..." पार्ट (२) में सीविल प्रिसीजर के तहत पॉवर दी गई है। समन्स वगैरह आगे और डिटेल में हैं।

मैं फिर निवेदन करूंगा, कि इस प्रकार की पॉवर इन्डिपेन्डेन्ट ऑथेरिटी में वेस्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर देंगे तो हमेशा प्रेज्युडिस्ड एन्क्वारी होगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत सारी कार्यवाही मानना चाहते हैं तो सिविल जज से, सिवल कोर्ट से इन्क्वायरी कराइये एस. डी. ओ. या डाइरेक्टर लोकल बोडीज को मुकर्रर कर दिया और सिविल पॉवर उनको दिये तो प्रेज्युडिस्ड इन्क्वायरी होगी तो यहां पर निष्पक्ष न्याय का तो लोगों को विश्वास दिलाइये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, २८६ पर मेरा एक अमेंडमेंड है :

In the explanation to sub-clause (2), substitute "the State" for "Rajasthan".

यह तो सिर्फ करेक्शन के बारे में है। अफसरों को अपॉइन्ट करने के लिये जो कहा गया उसके लिये निवेदन है कि बिना हाई कोर्ट से मन्जूरी लिये जजेज़ को अपॉइन्ट नहीं कर सकते, इनको अपॉइन्ट करने का गवर्नमेंट को पॉवर नहीं है। इन्क्वारी करके भेजते हैं, तो गवर्नमेंट से पास हो आता है, अब तक ऐसी कोई बात नहीं हुई। या तो डाइरेक्टरेट के ऑफिसर को भेजते हैं या कलेक्टर को भेजते हैं।

जहां तक मेम्बर्स के रिमूवल का सवाल है उसके लिये "डिस्ट्रिक्ट जज से कम के ओहदे का नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज २८६ में प्रस्तुत हुआ है वह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २८६ संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २८६ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

क्लॉज़ २८७

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : २८७ में भी मेरा अमेंडमेंट करेक्शन के बारे में है :

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

For the words "of the said person" appearing in the last line of subclause (1) substitute "of the said persons or pereson".

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह कि जो संशोधन क्लाँज़ २८७ पर प्रस्तुत किया गया है यह स्वीकार किया जाया ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २८७ संशोधित रूप में स्वीकार की जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज २८७ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना ।

क्लॉज २८८

No amendment.

प्रश्न यह है कि क्लॉज २८८ स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज २८८ विधेयक का अंग बना ।

क्लाज २८९

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय क्लाँज २८९ में मेरा अमेंडमेंट सिर्फ इतना ही है कि सेकिन्ड प्रोविजो में ऑफिसर शब्द के बाद में "Committee or authority" ये शब्द और जोड़ दिये जांय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज २८९ में प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि क्लाँज २८९ संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज २८९ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना ।

क्लॉज २९०

प्रश्न यह है कि क्लाँज २९० स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लाँज २९० विधेयक का अंग बना ।

क्लॉज २९१

(श्री जगदीश प्रसाद माथुर और श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता के साथ साथ बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पहले मैं अमेंडमेंट मूव कर दूँ ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर) हमारा बोलने का अधिकार रहेगा ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पहले बोलना चाहें तो पहले बोल दें ।

Page No.86

श्री उपाध्यक्ष : Yes. The Hon' ble Minister pleasse.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अमेंडमेंट तो सिर्फ करेक्शन के लिये है, इन सब क्लॉज (१) सब्स्टीट्यूट.... (1) In sub clause (1) substitute "by law" for "bye-law" (2) In subclause (3) -(a) after the word "re-election" in part (a), insert "or re-appointment" and (b), in part (b) after the word "election" insert "or appointment". (3) in sub-clanse (4) part (a), after the word "re-election", insert "or re-appointment."

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : The amendment has been very much unintelligable.

श्री उपाध्यक्ष : Let us understand it.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष, सारे बिल के अन्दर यदि कोई अन्डेमोक्रेटिक क्लाज है तो वह क्लाज २६१ है । इसमें प्रोवाइड किया गया है कि बोर्ड को सुपरसीड कर सकते हैं डिजोल्व कर सकते हैं और इसमें जो सरकार ने तरीका अपनाया है दोनों में, वह मेरी समझ में नहीं आता, दोनों में, भिन्न तरीका अपनाया है । २६१ क्लाज के...

श्री उपाध्यक्ष : There is one more amendment from Shri Shribhan Singh He is absent.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : He is not moving.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : क्लाज ए है उसमें दिया है :

(a) "dissolve such board as from a date to be specified in the order of dissolution, or

(b) supersede it for a period, not exceeding six months, to be specified in the order of supercession.,

अब इसके अन्दर सरकार को बोर्ड के डिजोल्युशन के अधिकार दिये हैं तो लिखा है:

Provided further that an order under clause (a) shall not be passed-

जहां तक डिजोल्युशन का सवाल है सरकार ने यह किया है :

unless the State Government has drawn up a statement setting out distinctly the charge against the board... अब जहां तक बोर्ड के डिजोल्युशन का सवाल है सरकार ने कहा है कि हम कमेटी बैठायेंगे और गवर्नमेंट चार्जेज देगी और उनका रिप्लाई कमेटी के सामने रखें देगी और कमेटी जैसा निर्णय देगी वैसा फैसला करेगी ।

पर जहां सुपरसेशन करती है वहां ऐसा कहीं नहीं है । सुपरसेशन....... for a period not exceeding six months.

सिक्स मन्थ्स के पीरियड से ज्यादा एक्स्टेन्ड नहीं करेगी । दोनों बराबर हमारे सामने पड़ते हैं, डिजोल्व होता है और बाद में

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

री-कोन्स्टिट्यूट होगा तो इसमें धारा (३) की बी. है उसमें लिखा है :

the board shall be reconstituted before the date specified in the order of dissolution under clause (a) of sub section (1) by the election of members under sec. 22 as if the term of the board

अब इस प्रकार से बोर्ड को सुपरसीड किया जाता है और फिर बोर्ड को री-कोन्स्टीट्यूट किया जायगा, इसमें ४ की डी. है उसमें लिखा है :

"The board shall be reconstituted in the manner laid down in clause (b) of sub-section (3) before the expiry of such period and shall start functioning immediately upon such expiry.

बोर्ड के डिजोल्युशन और सुपरसेशन के तरीकों में फ़र्क क्यों दिया गया है ? डिजोल्व करेंगे तो सरकार कहेगी कि यह एक बड़ा कदम है, बोर्ड को भंग किया जायगा, वहां तो कमेटी बैठायेंगे, बोर्ड को चार्ज दिया जायगा, बोर्ड का रिप्लाई लेने के बाद कमेटी निर्णय करेगी कि डिजोल्व करना चाहिये कि नहीं। पर सुपरसीड करने के अन्दर सरकार ने अपने हाथ में पॉवर रखे हैं, बोर्ड को कोई चार्जशीट नहीं दिया जायेगा और बोर्ड को सुपरसीड कर दिया जायगा। बोर्ड को सुपरसीड किया गया है ६ महीनों के लिए किया गया है, ६ महीनों के बाद में काम करने लगे तो कोई एतराज़ नहीं....

३ म० प०

लेकिन सुपरसीड होने के बाद में यदि वह बोर्ड डिजोल्व हो गया तो क्लॉज़ (३) के अनुसार बोर्ड में फिर से निर्वाचन में सदस्यों को भाग लेकर आना होगा। या तो सरकार यह कहती है कि सुपरसीड कमजोर बात के लिये है और ज्यादा अपराध के लिये डिजोल्व करने की बात रखी है तो फिर उसकी सुनवाई नहीं होती है। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर यह मतभेद क्यों ? सरकार ने कमेटी का प्रावधान रखा है। मुझे इस पर भी आपत्ति है। इसके लिये किस जुडिशियल अधिकारी या सिविल जज या किसी अधिकारियों द्वारा कमेटी बनाई जावेगी और जो यह कमेटी बनाई जावेगी यह पर्मानेन्ट रहेगी या सिर्फ उसी क्षेत्र के लिये होगी जिन म्युनिसिपैलिटीज़ को आपने सुपरसीड या सस्पेन्ड किया है और उन्हीं पर विचार करेगी या सारे राजस्थान में वह कमेटी काम करेगी और अपने विचार व्यक्त करेगी। यह बात इसमें किसी प्रकार से नहीं स्पष्ट की गई है। आपने इसमें रखा है कि एक चेयरमैन होगा और दो अन्य सदस्य होंगे। यह कौन से अधिकारी होंगे। क्या ये आई० ए० एस० अधिकारी होंगे या कोई जज होंगे या कौन होंगे। इसका स्पष्टीकरण नहीं है। यदि कोई आई० ए० एस० अधिकारी होगा या कोई एस० डी० एम० या कलेक्टर या कोई दूसरा इसी प्रकार का अधिकारी होगा इस कमेटी में तो वह अपने समान अधिकारियों द्वारा लिये गये निर्णय की उपेक्षा नहीं करेगा। वे उसी प्रकार की कार्यवाही को सपोर्ट करेंगे क्योंकि यह कमेटी कोई जुडिशियल पर्सोनल्स की नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा कि एक तरफ तो हम इसको समाप्त करने जा रहे हैं और सारे पब्लिक को अधिकार देने जा रहे हैं और दूसरी ओर जनतन्त्र में तीन सरकारी अधिकारियों की कमेटी बनाने जा रहे हैं कि वह बोर्ड की जांच करें। ऐसा तो नहीं कि प्रजा-

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

तन्त्र में किसी दूसरे स्थानों की म्युनिसिपैलिटीज़ के चेयरमैन या विधान सभा के सदस्यों को उसमें बिठावें। मगर आप नौकरशाही के हाथों में डेमोक्रेसी का गला दे रहे हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस कमेटी में किस प्रकार के सदस्य होंगे और कौन कौन सदस्य होंगे उनको डिफ़ाइन करना चाहिये। उसका कौन चेयरमैन होगा और यह कमेटी किस प्रकार से अपना निर्णय करेगी। मैं तो यह कहूंगा कि डिज़ोल्व की बात है वहीं तक यह नहीं रहना चाहिये कि कमेटी इसका निर्णय ले। मगर सुपरसीड की बात हो उसके लिये भी इस कमेटी को रेफ़र किये बिना सुपरसीड नहीं होना चाहिये। डिज़ोल्युशन और सुपरसेशन में सरकार को यह करना चाहिये। मैं तो समझता हूं कि मूल में यह सारी धारा गलत है। किसी को डिज़ोल्व करना यानि उसको भंग की जाती है, उस समय सारे सदस्यों को अलग किया जाता है और सारे अधिकार गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है और बिगडी हुई व्यवस्था को ठीक करती है और जिस समय सरकार यह समझती है कि अब व्यवस्था ठीक हो गई तो फिर इलेक्शन का प्रोग्राम तय करती है। सुपरसीड का सिस्टम टेम्प्रेरी होना चाहिये जैसा माननीय मन्त्री ने लिखा है, आप जब ६ महीनों से अधिक समय के लिये किसी को सस्पेन्ड नहीं करते हैं तो इससे आपका यही आशय है कि जो गलतियें बोर्ड के सदस्यों ने की हैं उसके लिये उनको किसी प्रकार की शिक्षा दी जाए। इसलिये आप उस म्युनिसिपैलिटी को अपने अधिकार में लेते हैं। आप ले लें। मगर फिर भी आपने रखा है कि जो बोर्ड वापिस रीकॉन्स्टिट्युट होगा वह उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से कि वह डिज़ोल्व होता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या वे के वे चेयरमैन और सदस्य आकर काम करने लग जावेंगे तो फिर उसी प्रकार की बातें होंगी। आखिर माननीय मन्त्री महोदय इस बात को देखें कि आखिर हमने किसी बोर्ड को सस्पेन्ड किया और ६ महीनों के बाद सारे पॉवर उसको वापिस दे देते हैं। हमने उनको ६ महीनों के लिये सज़ा दी है और उस अवधि के बाद वापिस उनको उसी बोर्ड को चार्ज संभलाते हैं तो चार्ज संभालने वाले तो वे के वे ही व्यक्ति होते हैं जिनके द्वारा अगर किसी प्रकार की डिसओबीडियेन्स होती है तो उनको दुबारा डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो एक क्लॉज़ पहले सस्पेन्शन में रहे और बाद में उनको डिज़ोल्व करें यह बात किसी तरह से न्याय संगत नहीं है। मैं समझता हूं कि इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये। इस सारे क्लॉज़ पर कोई एमेन्डमेंट नहीं है। श्री श्रीमानसिंह जी ने जो बात रखी है। इस पर अलग से बात करें या माननीय मन्त्री महोदय इस समय इसको डेफर कर दें और अलग से कोई एमेन्डमेंट रखें तो ज्यादा उचित होगा।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता को संबोधित करते हुए) Do you agree ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I agree.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत इम्पोर्टेन्ट क्लॉज़ है। इसको डेफर होने से पहले सदन के सदस्यों के विचार तो मालूम हो जाने चाहिये कि उनके क्या विचार हैं।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) :

(डॉ० बहादुरसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, यह सुन कर सदन को ताज्जुब होगा कि इस प्रकार के बोर्ड को भंग करने के पक्ष में क्यों हैं। मैं इसका समर्थन करता हूं। राज्य सरकार किन परिस्थितियों में बोर्ड को भंग करेगी। कभी भी किसी प्रकार की स्थिति पैदा हो सकती है। आज अगर राजस्थान में ऐसी स्थिति उपस्थित हो जावे कि राजस्थान विधान सभा को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिये भी परिस्थितियें होती हैं। इस प्रकार से निर्वाचित बोर्ड है उसको भंग करने के लिये क्या परिस्थिति होगी और राज्य सरकार को हक होगा कि जनता के हितों की सुरक्षा के लिये उसको भंग कर दे। यह तो कोई गारन्टी नहीं है कि एक दफे निर्वाचित होने के बाद चाहे वे वहां आकर कोई काम करें या न करें उनको कोई हटा नहीं सकता। निर्वाचित होने के बाद बोर्ड के अधिकारी हैं यदि पब्लिक के हितों के लिये काम करना चाहिये नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में उसको हटाना चाहिये और इस पर भी राज्य सरकार भंग करेगी यह बात है और भंग करेगी उसमें भी कई तरह की व्यवस्था की है कि उसके खिलाफ़ जो आरोप होंगे उनको साबित करने के लिये उनको अवसर देगी और उसके लिये एक कमेटी बनाई है और उसमें बोर्ड के सदस्यों को अपने आरोपों का उत्तर देने का अधिकार है कि वे उनका जवाब दे सकें। इस पर भी वह तभी भंग की जावेगी जब उनको पूरा विश्वास हो जावेगा कि गलती की है। या उन्होंने अपने अधिकारों का दुरूपयोग किया है या दूसरी बात यह कि उन्होंने अपनी शक्ति के अनुसार काम नहीं करके शक्ति से अधिक काम किया है या उनका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है वहां पर भी काम किया है, तो ऐसे म्युनिसिपल बोर्ड को यह भी मालूम नहीं कि उनके क्या क्या काम करने हैं और उनके क्या क्या अधिकार क्षेत्र हैं तो ऐसे बोर्ड को भंग करना ही चाहिये और ऐसा बोर्ड भंग करने के योग्य ही है।

अपनी शक्ति से बाहर किसी भी प्रकार से अधिकारों का दुरूपयोग नहीं करना चाहिये। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि राजाखेड़ा का बोर्ड था वहां के बोर्ड के सदस्यों ने अपने पक्ष में लोगों को लाने के लिये क्या किया कि ज़मीन बेचना शुरू कर दिया। ज़मीन किस तरह से देने लगे कि आपको हम अगले चुनावों में वोट देंगे तो हम आपको यह ज़मीन देने के लिये तैयार हैं। उन्होंने उनको ज़मीन दे दी। राजाखेड़ा के नागरिक उसके पक्ष में नहीं थे। इस तरह से जो बोर्ड भंग किया जायगा यह प्रजातन्त्र का युग है इसलिये जब कि एक बार बोर्ड को भंग कर दिया गया उसका निर्वाचन फिर कराना है इसलिये इस धारा के अन्दर व्यवस्था की गई है कि उस बोर्ड का निर्वाचन फिर छः महीने बाद किया जायगा। मैं आपको राजाखेड़ा की नज़ीर दे रहा हूं। वहां छः महीने के बाद निर्वाचन कराया जाता है जो मेम्बर्स हैं जिन्होंने वायदे किये थे गलत तरीके से ज़मीन दे दी थी वह नहीं जीत पाते। मैं यह भी बताना चाहता हूँ धौलपुर के एक मेम्बर हैं जिन्होंने अपना मकान आम रास्ते पर बनवाया उन्होंने देखा शिकायत होगी जांच होगी तब तक मकान बन जायगा। इस प्रकार उन्होंने रास्ते पर मकान बना लिया। जो व्यक्ति मेम्बरशिप का इस प्रकार दुरूपयोग करते हैं और उस दुरूपयोग को रोकने के लिये किसी प्रकार राज्य सरकार

(डॉ० बहादुरसिंह)

इस प्रकार की शिकायतों के आधार पर भंग करने का नोटिस देती है कि आपने व्यक्तिगत तौर से इस प्रकार से जमीन घेर ली। चेयरमैन इसलिये नहीं कह सकता कि वह उनके साथी हैं अगर उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई तो उनको समाप्त किया जा सकता है। वैसी हालत में एक तरफ मतदाताओं पर प्रभाव डालने के लिये कि हम तुम्हारा फ़ायदा कर रहे हैं ताकि तुम वोट हमें देना। लेकिन जब बोर्ड भंग कर दिया जाता है, उसके बाद पुनर्निर्वाचन के जो छः महीने रहते हैं उसमें वास्तविक स्थिति सामने आजायेगी। उस छः महीने के समय तक राजस्थान सरकार का एडमिनिस्ट्रेटर काम करेगा वह स्थिति में सुधार कर सकता है ऐसी व्यवस्था हो सकती है जो इस प्रकार का प्रभाव रखने के लिये तरह तरह के कार्य करते थे, उनका प्रभाव समाप्त हो जायगा और ऐसी स्थिति आजायगी कि जिसमें निष्पक्ष चुनाव हो सके। फिर वे लालच के अन्दर नहीं आयेंगे उससे क्या होगा जैसा अच्छा बोर्ड वहां की जनता बनाना चाहेगी वह बन सकेगा। वैसी स्थिति में इस धारा का नहीं होने से बोर्ड के जो मेम्बर हैं वे निरंकुश हो जायेंगे और वहां का नागरिक जीवन अस्त व्यस्त हो जायगा। नहीं तो उन्हें यह तो डर रहेगा कि हमारे ऊपर भी और है जिनको हमें खत्म करने के अधिकार है खत्म कर सकते हैं और उनको अपील करने की गुन्जाइश है। हम नहीं चाहते कि किसी के साथ अन्याय हो और किसी के अधिकारों का दुरूपयोग हो इसी चीज़ को रोकने के लिए छः महिने के लिए चुनाव करने की व्यवस्था है। यहां एक धारा है हो सकता है उसमें उचित संशोधन कर दिया जाय लेकिन इस प्रकार के अधिकार राज्य सरकार को अवश्य रहने चाहिये कि वह बोर्ड को भंग कर सकती है। इस प्रकार के अधिकार नहीं होंगे तो मेम्बर्स अपने अधिकारों का दुरूपयोग करेंगे उनको रोक नहीं सकेंगे। मैं समझता हूं माननीय सदस्य इस गंभीरता को देखते हुए इस पर विचार करेंगे और इस धारा का समर्थन करेंगे।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्लॉज़ २९१ का विरोध करता हूं। मेरा विरोध इसलिये है कि यह प्रजातंत्र के सिद्धान्तों के विरूद्ध चीज़ है। उपाध्यक्ष महोदय, सारे सदन के सदस्य और खास तौर से जो महात्मा गांधी के साथ रहे हुए हैं वे इस क्लॉज को देखेंगे तो उनको अंग्रेजों के समय की याद आयगी। म्युनिसिपैलिटी के लिए अंग्रेजों के समय में, राजाओं के समय में ऐसा होता था कि शासन करने वाले जब भी चाहते म्युनिसिपैलिटी को भंग कर देते थे और जब चाहते तब म्युनिसिपैलिटी को वापिस कायम कर देते थे। मैं पूछना चाहता हूं आज प्रजातंत्र में जनता से चुने हुए नुमायन्दे विधान सभा में आते हैं इसको भंग करने का अधिकार है क्या। जैसा कि धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा प्रेसीडेन्ट साहब को यह अधिकार है कि वह पार्लियामेंट तक को भंग कर सकते हैं। प्रेसीडेन्ट साहब को अधिकार है किन्तु मालूम है आपको जब पार्लियामेंट भंग हो जाती है तब क्या होता है? तब एडमिनिस्ट्रेशन का शासन होता है। जहां म्युनिसिपैलिटीज़ को भंग कर दिया जाता है वहां एक विशेष पॉवर सरकार के हाथ में आजाती है। मैं तो विधान सभा के सदस्य

(श्री मदनसिंह)

और म्युनिसिपेलिटी के सदस्यों की समान इज़्ज़त करता हूँ क्योंकि दोनों ही जनता द्वारा चुने हुए आते है। हमें दोनों को समान मान लेना चाहिये। पंचायतों और म्युनिसिपैलिटियों में वे ही व्यक्ति चुनकर भेजते हैं जो हमें भेजते हैं। और वे ही लोग प्रेसीडेन्ट साहब तक को चुनकर भेजते हैं, मन्त्रियों तक को भी वे ही चुनकर भेजते हैं। आज ऐसा कानून हो सकता है गवर्नमेंट द्वारा नोमीनेशन हो वह हम चाहते हैं। लेकिन जहां तक प्रजातन्त्रीय आधार पर चुने हुए व्यक्तियों का सवाल है वे चाहे किसी प्रकार का कार्य कर सकते है उनमें किसी प्रकार की दस्तंदाजी नहीं की जानी चाहिये। अगर हम गवर्नमेंट को उसे भंग करने के पॉवर देते हैं तो मैं समझता हूं कि प्रजातन्त्र का तो केवल बहाना है इस तरह से एकतन्त्रवाद आप लाना चाहते हैं और उसी के अनुसार इस प्रकार के पॉवर आप लेना चाहते हैं। आज म्युनिसिपैलिटीज़ के लिए जो प्रजातंत्र की सीढी है उसमें ऐसी चीजें आती है तो दुःख होता हैं। मैं आपको पंचायतों की कितनी ही मिसालें दे सकता हूं जहां विरोधी दल की पंचायतें होती हैं केवल उनके पक्ष के लोग नहीं आ सके इसी लिये उनको खत्म कर दिया गया। मैं समझता हूं इस प्रजातंत्रीय प्रणाली में इस प्रकार के अधिकार रखना प्रजातन्त्र को चुनौती देना है। मेरा सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन है कि उन्हें इस प्रकार के कानून को सपोर्ट नहीं करना चाहिये। वे भी उन्हीं के वोटों से चुनकर आये हैं जिनसे म्युनिसिपेलिटी का चुनाव होता है। जहां तक उनके अधिकारों का सवाल है हमें उनके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस के अत्याचारों के सम्बन्ध में प्रजा को जहां अधिकार देते हैं वहां कोई ऐसी अड़चनें रख देते हैं लेकिन जहां जुडिशियल मेटर को वहां इह प्रकार के अधिकार नहीं देने चाहिए। म्युनिसिपेलिटीज़ सच्चे रूप में जनता की सेवा करने वाली संस्था है जहां इन म्युनिसिपल सदस्यों के लिए यह कहा जाता है कि वे गलत ढंग से जमीनें बेचते हैं उनके ऊपर ऐसा अंकुश लगाना चाहिये। यानि उसका मतलब यह हुआ कि आप उनको जमीन बेचने का अधिकार देना नहीं चाहते। अब तो ज़मीन बेचने का सवाल नहीं रहेगा क्योंकि अर्बन इम्प्रूवमेंट के लिये अलग बोर्ड बना रहे हैं। जहां आप इसलिए ये अधिकार लेना चाहते हैं कि वे लोग गलत ढंग से जमीन बेचते हैं मैं आप से पूछना चाहता हूं क्या शासकों ने गलत ढंग से जमीने नहीं दी इस जमीन के गलत ढंग से बेचे जाने के कारण शासकों पर अच्छे अच्छे मुकदमें लगे हुए हैं। जो हाईकोर्ट के जजेज के जरिये फैसले होंगे। जहां भी म्युनिसिपल सदस्यों द्वारा गलत ढंग से जमीन बेचने का प्रश्न आता है वहां सरकार को अधिकार है कि वह उसको बन्द करदे। राजस्थान की भोली भाली जनता को यह कहा गया कि आप जैसा चाहोगे वैसे नियम बनेंगे लेकिन यह धारा जो आप रख रहे हैं यह उनके अधिकारो का हनन है। आपने इस एक्ट के अन्दर जो चीजें रखी है जो उनके अधिकार में नहीं है। अगर आप को शंका है कि म्युनिसिपैलिटी के जरिये जमीन गलत ढंग से बिक सकती है तो आप यहां बैठकर दूसरा कानून बना सकते हैं। पर अभी कानून

(श्री मदनसिंह)

बनाकर उनको बांधिये मत। यह नहीं कि आप उस सारे बोर्ड को ही एक ही झटके में खत्म कर दो। यह तो एक तरीके से प्रजातन्त्र को खत्म करने का तरीका अपनाया जा रहा है। जो प्रजातन्त्र का एक पॉवर लोगों को मिला है जिससे वे अपना स्वयं का प्रबन्ध स्वयं द्वारा करते हैं, उनको करने दीजिये अच्छा या बुरा कानून उनको बनाने दीजिये। आखिर उनको भी तो जनता ने ही चुना है, उनमें जनता ने विशवास किया है। आप को भी तो जनता ने विश्वास करके यहां भेजा है। अगर आप उनके लिए कहते हैं कि बोर्ड भंग किया जा सकता है तो उन्हीं कारणों पर आप को भी जनता क्यों नहीं अलग कर सकती है। अगर विधान है। अगर विधान सभा के सदस्यों को भी अलग किया जा सकता है तो मैं मान सकता हूं पर विधान सभा तो एक बार वोट लेकर चाहे जैसा कानून बना सकती है बहुमत के जोर पर....

श्री उपाध्यक्ष : आप बार बार यहां के माननीय सदस्यों का क्यों मुकाबला करते हैं ? Why you are dragging the Hon'ble Members of the House ?

श्री मदनसिंह : मुकाबला इसलिये कर रहा हूँ उपाध्यक्ष महोदय कि हम भी वोट लेकर आये हुए हैं, पर हमें कोई भंग नहीं कर सकता। तो उनको ही क्यों किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : It is not desirable.

श्री मनदसिंह : उनको भी भंग नहीं किया जाना चाहिये। यह प्रजातन्त्र को चुनौती है। इससे निराशा व्याप्त होगी जनता में। जनता के वोट के प्रति एक प्रकार का निरादार और अविश्वास होगा होगा यह। आज जनता में पॉवर क्या रह गई है सिवाय एक बार वोट दे देने के पुलिस को जितने पॉवर हैं एक छोटे से छोटे कॉन्स्टेबिल को जो पॉवर है उतने भी जनता को नहीं. और उपाध्यक्ष महोदय, बोर्ड अगर ठीक काम नहीं करता है तो तीन साल बाद फिर चान्स आता है। वह कौनसी उनको पक्की गद्दी दे दी है और दूसरी बात यह है कि आज अदालतें भी बैठी हैं। अगर नियम के विरूद्ध वे काम करती हैं तो एक व्यक्ति को छोटी अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक जाने का चान्स है। मैं तो ऐसा समझता हूं कि यह जबर्दस्ती से बीच का पॉवर सरकार इसलिये लेना चाहती है कि अगर सच्चा प्रजातन्त्र आ जाता है तो इस गवर्नमेंट को फिर कोई पूछेगा नहीं, इसकी फिर चलेगी नहीं, जैसे पुराने ज़माने में राजाओं का रोब रहा करता था, वैसा रोब ये रखना चाहते हैं इसलिये यह कानून बनाया जा रहा है। अन्यथा तो अदालतें पड़ी हैं। अगर कोई गड़बड़ी करता है तो अदालतों में ले जाया जा सकता है। इसलिये मेरा निवेदन करना यह है कि इस क्लॉज को हटा देना चाहिये।

श्री जनार्दनराय नागर (मालवी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र ने अभी इस क्लॉज के विरोध में दिलचस्प विचार व्यक्त किये हैं। मैं....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Which is that clause ?

श्री जनार्दनराय नागर : वह तो विचारों का आदान प्रदान है। जो सत्ता

Page No.93

(श्री जनार्दनराय नागर)

इसके द्वारा दी जा रही है, सरकार को उस सत्ता को वे यह मानते हैं...

श्री श्रीभानसिंह : On which clause the hon. Member is speaking ?

श्री जनार्दनराय नागर : I am not responsible for giving you the information.

श्री पी० के चौधरी (फुलेरा) : It is 291.

श्री मनदसिंह : इसमें तो पांच सात सब क्लाजेज़ हैं, आप किस क्लॉज़ का विरोध कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : २९१ का ।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं आपका विरोध कर रहा हूं ।

श्री मदनसिंह : इसीलिये आप आये है।

श्री जनार्दनराय नागर : मालूम ऐसा पड़ता था कि आपके प्रवचन सुनने के बाद कि जो भी सत्ता की व्यवस्था की जा रही है, वह जनतन्त्र का समूल नाश करने के लिये है । आपने यह भी कहा कि रोब की आवश्यकता है । इसलिये रोब गालिब करने के लिये यह धारा रक्खी है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब के साथ आपके जरिये अपने मित्र को कहना चाहता हूँ कि न तो रोब गांठने के लिये ही और न जनता के अधिकार या जनतन्त्र के समूल नाश के लिये ही यह धारा लाई जा रही है । बल्कि सच्ची बात तो यह है, कि जनतान्त्रिक संस्थाओं की रक्षा के लिये इसे लाया जा रहा हैं । वे संस्थाएं ठीक ढंग से काम कर सकें इसलिये ऐसा प्रावधान बिल्कुल आवश्यक है । मान लीजिये उनके मेम्बरों के अन्शार के बहुत से कारणों से ऐसी स्थिति आ जावे कि वह काम न कर सके, मेम्बर आपस में लड़ने झगड़ने लग जावें, उसकी व्यवस्था में गड़बड़ी हो । उसका ठीक से इन्तजाम वे लोग न कर सकें तो ऐसी स्थिति में सरकार को या उसकी एजेन्सी को बिल्कुल यह अधिकार होना चाहिये कि सारी संस्था को भंग कर वे या स्थगित कर दे । अन्ततो गत्वा जो जनतान्त्रि संस्थाएं हैं या और हैं वे निश्चित रूप से जनता का हित करने के लिये हैं, जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, ऐसी स्थिति में जो चुनी हुई जनतान्त्रिक सरकार या एजेन्सी है वे भी जनता के प्रति उत्तरदायी हैं उसका हित सम्पादन करने के लिये जिम्मेदार हैं और इस तरह इन संस्थाओं के लिये भी उत्तरदायी हैं । क्या इस तरह सरकार पर इन संस्थाओं की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है । तो मैं कहता हूं जनतन्त्र के सारे अधिकार को ही वे नहीं समझते हैं । हर जनतान्त्रिक संस्था में इस भांति के आधारभूत प्रावधान रहते हैं । अगर वहां ऐसी विषम परिस्थितियां या झगड़े की स्थिति आ जावे और म्युनिसिपैलिटी का काम ठप्प हो जावे उसमें गड़बड़ हो जावे तो जो संस्था के संचालन करने के आधारभूत सत्ता रखने वाले व्यक्ति हैं वे उनको भंग कर दें और नया संगठन उसका करें ।

मेरे मित्र ने कहा कि सदन को भंग नहीं किया जा सकता । मेरे मित्र शायद सूचित नहीं हैं । इसके लिए इस प्रकार की व्यवस्था है । अमुक स्थितियों में हमारे राज्यपाल महोदय इसको भी भंग कर या स्थगित कर के सत्ता अपने हाथ में ले सकते हैं । इसी प्रकार की व्यवस्था देश के सर्वोच्च सदन के लिये भी दी हुई है । आज दुनियां की किसी भी जनतान्त्रिक संस्था को ले लीजिये, सब में इस प्रकार का प्रावधान मिलेगा क्योंकि यह

Page No.94

(श्री जनार्दनराय नागर)

सवाल संस्था को काम नहीं करने देने का नहीं है। बल्कि जनता के हितों की पूर्ति के लिये यह व्यवस्था की जाती है। किसी संस्था को उत्तरदायित्व सौंप कर उससे काम करवाना है तो इसके लिये यह भी जरूरी है कि उसके ऊपर मर्यादा और अंकुश भी बराबर हो। जनतन्त्र के हित में चैक ओफ बैलेन्स की वैज्ञानिक प्रणालिका का यह तकाज़ा है कि उत्तरदायित्व पूर्ण इन्तज़ाम करिये कि अमुक परिस्थितियों में कोई संस्था काम की न रहे, उससे समाज का हित होने के स्थान पर अहित होने की सम्भावनाएं पैदा हो गई हों और अहित होने लग गया हो तो उसको भंग करके उसको नियम के अनुकूल पुनर्गठित किया जावे। सच्ची बात तो यह है कि यह भंग करने का सवाल उतना नहीं है जितना पुनर्गठन करने का है। यह कई तरीकों से हो सकता है। मान लीजिये कुछ आदमी त्याग-पत्र देकर चले जावें, तो भी पुनर्गठन कहलाता है, कुछ आदमी गलत काम करें, कमेटी का काम न करें बल्कि उसमें रोड़ा अटकावें, जनता का अहित करना शुरू करें या आपस में लड़ना झगड़ना शुरू हो जावे और ऐसी संक्रामक परिस्थितियां पैदा हो जावें तो भी उसको भंग करके पुनर्गठित ही की जावेगी तो इसके लिये निश्चित रूप से ऐसा प्राव-धान जरूरी है। यदि इस प्रकार का प्रावधान नहीं रखा जाता है तो मेरे मित्र को बात अच्छी लगी कि म्युनिसिपल बोर्ड एक बार चुनाव के बाद तीन साल के लिये स्वतन्त्र रहे, काम करे न करे जनता में बदनाम हो, जनता महसूस करने लगे कि काम नहीं कर रहा है, आपस में लड़ाई झगड़े हैं, तो यह संक्रामक स्थिति बुरे परिणाम ला सकती है।

श्री मदनसिंह : आप पांच साल का ठेका कैसे ले आते हैं ?

श्री जनार्दनराय नागर : आप दोनों को एक समझते हैं यह तो आपकी समझ की बड़ी बलिहारी है और इसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं।

(हंसी)

श्री मदनसिंह : Do you know Minicipalty is a school of democracy ?

श्री जनार्दनराय नागर : सच्ची बात तो यह है कि वे इन दो में कोई भेद नहीं कर पा रहे हैं। मुझे तो इस बात का ताज्जुब है। आपको दाद देता हूं और आपकी इस समझ पर बलि बलि जाता हूँ।

(हंसी)

मैं तो समझता हूं इस सदन को....

श्री मदनसिंह : आपके साहित्य सृजन का भी आज ही दिग्दर्शन हुआ है।

(हंसी)

श्री जनार्दनराय नागर : आप साहित्य अकादमी में आते तो मैं आपको दिग्दर्शन कराता। अब भी आकर आप मेरे शिष्य हो जावें, मैं आपको ठीक कर दूंगा।

(हंसी)

श्री मदनसिंह : अभी मेरे शिष्य हैं आपके पास शोभासिंह लेकिन वे आपसे ज्यादा जानकारी रखते हैं।

(हंसी)

श्री जनार्दनराय नागर : प्रसंगो-पात मैं अर्ज कर रहा था कि जनतांन्त्रिक संगटन के लिये आधारभूत चैकिंग जरूरी है और वह चैकिंग इस धारा के द्वारा किया जा रहा है। ये बड़ी बारीक बातें हैं जनतन्त्र के शास्त्र की। समझ में कम आती

(श्री जनार्दनराय नागर)

हैं । जनतन्त्र के लिए उद्दाम जोशीले व्यक्ति हैं, वे चाहते हैं जनतन्त्र स्वतन्त्र बन जावे । पर जनतन्त्र हमारा साधन है । बड़ा प्रिय साधन है और बड़ी मेहनत और सतर्कता के साथ इसका उपयोग करना है । इसलिये मैं समझता हूं, कि अगर यह धारा नहीं रहेगी तो उन चुन कर आने वाले व्यक्तियों पर अंकुश नहीं रहेगा और वे निश्चित रूप से तीन साल के लिये ऐसी कठिनाइयां पैदा कर सकते हैं। सच बात तो यह है कि म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बरों को अपने कर्त्तव्यों के प्रति अधिक जागरूक करने के लिये भी इस प्रकार का चैक बहुत जरूरी है। क्या आप जनतन्त्र के माने यही समझते हैं कि चुनाव हो जायें और उसके बाद में आप बैठ जायें और चाहे काम करें या न करें, लड़ाई झगड़े करते रहें और विषम परिस्थियां पैदा करते रहें तो ठीक है यह तो आपकी कल्पना का जनतन्त्र है और हमारी कल्पना का जनतन्त्र दूसरी तरह का है। हम यह मानते हैं कि जनता उसी प्रकार का हमारा साधन है जिस प्रकार से हमारे घर हमारा साधन है । हम घर इसलिये तो बनाकर नहीं बैठे हैं कि घर में सुख न मिले । घर में ऐसी परिस्थितियां होती हैं जाति में होती हैं तो निसकासकासित कर देते हैं और आपने भी बहुत लोगों को किया होगा । तो जो स्वायत्त शासन संस्थायें हैं और जो जनता की संस्थायें है इन संस्थाओं के ज़रिये हमारा बहुत काम होने वाला है । हम म्युनिसिपल बोर्डों के द्वारा, पचायतों के द्वारा अधिक से अधिक समाज के जो रोज़मर्रा के कामकाज़ हैं उनका अधिक से अधिक अन्जाम करायें । इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि यह प्रावधान बहुत उचित है । केवल थोड़ी सी समझ की बात है और मैं समझता हूं कि मेरे माननीय मित्र साहित्य अकादमी में आ जायेंगे और शिष्य बन जायेंगे तो जो उनकी सूक्ष्म बुद्धि है वह तीव्र हो जायेगी ।

श्री मदनसिंह : अभी तो एक को भेज रखा है जो आपको सिखा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में एक धारा का गठन किया गया है और उसे देखकर सदन के माननीय सदस्यों को बड़ा ताज्जुब होगा । उस धारा को मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं । अगर आप इस धारा के गठन को देखेंगे तो बड़ा आश्चर्य होगा । इसमें रखा है कि नगरपालिकाओं के लिए जो नियम बनेंगे अगर वह उनका पालन नहीं करती है और कुछ आदेश देने के बाद भी तो उसको भंग किया जा सकता है और उसको भंग करने के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया गया है । एक तो डिज़ोल्युशन और सुपरसैशन इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क क्या रखा है । सुपरसैशन तो होगा ६ महीने के लिये और डिज़ोल्यूशन होगा उस तारीख से जो कि डिज़ोल्यूशन के ऑर्डर में टाइम दिया हुआ है । यह इच्छा गवर्नमेंट की होगी । जो डेट आपने डिज़ोल्यूशन के बाद मुकरर की है तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि ६ महीने तक आप चुनाव ही नहीं करायेंगे और जनतन्त्र का गला घोंट देंगे । आप जब सुपरसैशन करना चाहते हैं तो कोई समय नहीं है तो क्या मतलब हुआ । फिर इसके बावजूद आश्चर्यजनक बात यह है, कि कोई आदमी सर्विस में है और उसने कोई गलत काम किया तो उसको सस्पेन्ड करते हैं । सुपरसैशन का भी मतलब एक तरह से सस्पेन्शन ही है और उस आदमी को जब तक बहाल नहीं किया जाता है तब तक कि उसको इन्क्वा-

Page No.96

(श्री दयाकृष्ण विजय)

यरी नहीं हो जाती है और इन्क्वायरी के अन्दर अगर यह साबित हो जाता है कि उसकी कोई गलती नहीं है तो उसको फिर वापिस ले लिया जाता है । तो बोर्ड अगर गलतियों की सफाई कर दे आपके ट्रिब्यूनल के सामने तो यह होना चाहिए कि उसके आगे चुनाव न हों और वही बोर्ड बैठकर अपना संचालन करें । आप सुपरसीड करेंगे, ट्रिब्यूनल बैठेगा, खैर उसको तो जाने दें पर आप छः महीने की मियाद क्यों रखते हैं । अगर आप सुपरसेशन करते हैं । तो फिर इन्क्वायरी क्यों नहीं करवाते हैं, क्यों वापिस चुनाव कराते हैं । तो उपाध्यक्ष महोदय, इस धारा को रखने से बड़ा मजाक उड़ेगा । सुपरसैशन के बाद ट्रिब्यूनल बैठेगा और ट्रिब्यूनल इसलिए बैठता है कि जांच की जाये और अगर जांच में यह साबित हो जाये कि उसने अच्छा काम किया है तो उसको वापिस बहाल करना चाहिए या नहीं । सुपरसैशन के बाद दोबारा चुनाव होंगे । आपने एक ही प्रावीज़न रखा है डिज़ोल्यूशन के बाद भी चुनाव होंगे और सुपरसैशन के बाद भी दोबारा चुनाव होंगे । इस प्रकार से हम देखते हैं, कि इससे ज्यादा मज़ाक पूर्ण और दिलचस्प धारा देखने में कभी नहीं मिलेगी । यह बिलकुल अपूर्ण धारा है, और इस धारा पर बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए । मैं इस समय यहां पर प्रजातंत्र की बात नहीं कहता हूं । मैं नहीं कहता कि जनता का प्रशासन जिस प्रकार से नगरपालिकायें करती हैं वह जनता के हित में है या नहीं । यदि गवर्नमेन्ट के हित में भी है और गवर्नमेन्ट चाहती है कि उसको खत्म करना है, तो उसको कम से कम सुनने का मौका तो देना चाहिए और सुनने के बाद दोबारा गद्दी पर आने का मौका दिया जाना चाहिए । यदि आप उसे डिज़ाल्व करते हैं तो भी दोबारा चुनाव और अगर सुपरसैशन करते हैं तो भी दोबारा चुनाव पर सिर्फ फर्क इतना है कि सुपरसेशन में ६ महीने बाद चुनाव होंगे और डिज़ोल्यूशन में जो डेट आपने दे रखी है उस समय चुनाव होंगे । आपकी यह दो तरह की धारा रखने का मतलब समझ में नहीं आता । लेकिन मैं यहां पर निवेदन करना चाहता हूं कि आपने सुपरसेशन और डिज़ोल्यूशन रखा है इसका मतलब यह हुआ कि आप किसी भी नगरपालिका को भंग कर सकेंगे । लेकिन किन आधारों पर नगरपालिका का सुपरसैशन होगा और किन आधारों पर नगरपालिकाओं का डिज़ोल्यूशन होगा । आपने दोनों का आधार एक ही रखा है । अगर नगरपालिकायें गलतियां करती हैं और उनका सुपरसैशन आप कर देते हैं तो उनको अपनी बात सुनाने का मौका देना चाहिए । आप चाहें जिसका डिज़ोल्यूशन कर सकते हैं और चाहे जिसका सुपरसैशन कर सकते हैं ? इस प्रकार के अधिकार आपने अपने हाथ में ले लिये हैं । याने किन सर्कमस्टेन्सेज़ में आप ऐसा करेंगे ? कोई फाइनेन्शियल खराबी आ गई है तो थोड़े समय के लिए आप बोर्ड को सस्पेन्ड कर सकते हैं, और उसकी इन्क्वायरी ट्रिब्यूनल कर सकता है और अगर उसकी गलती है तो उसको सुपरसीड किया जा सकता है, अगर उसकी गलती नहीं है तो उसको बहाल कर दिया जाये । लेकिन वह कैसी भी गलती करें यह आपके ऊपर है कि आप उसको डिजाल्व करें या सुपरसीड आपको अलग अलग देखना चाहिए कि ऐसे ऐसे सर्कमस्टेन्सेज़ हैं जिनके अन्दर हम सुपरसैशन या डिजाल्व करेंगे । सुपरसीड करने के बाद में उसकी गलती पाई गई और जो इर्रेग्युलेरिटी दूर हो जाती हैं तो वापिस उसको अधिकार होगा कि वह बोर्ड का पुनः

(श्री दयाकृष्ण विजय)

संचालन करें ।

अब मैं जनतंत्र के बारे में थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा । किसी व्यक्ति को कोई चुनकर भेजता है या प्रेसीडेन्ट किसी को मनोनीत करता है तो हम हमेशा कहते हैं कि जिसकी पॉवर्स से वह वहां पहुँचा है उसको ही अधिकार होगा और वह उसको वापिस बुला सकता है । हर संस्था के नियम होते हैं । जो व्यक्ति किसी को चुनकर भेजते हैं उनको ही अधिकार मिलना चाहिए कि वह उसको वापिस बुला लें । कई बार देखा गया है, कि ऐसे कानूनों के लिए जनमत संग्रह किया गया है लेकिन हमारी सरकार नहीं मानती है । क्योंकि सरकार अपनी नीति के अनुसार सारे देश को बाधित करना चाहती है । मैं निवेदन करना चाहता हूं, कि जिस नगरपालिका में जनता ने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा है उनको बुलाने का अधिकार जनता को ही हो सकता है । लेकिन सरकार चाहेगी कि यह तो विरोधी दल की नगरपालिका बन गई है और अगर इसको काम करने देंगे तो अगली बार हमारी विधानसभा का मेम्बर नहीं चुना जायेगा, इसलिए इसको किसी न किसी बहाने से सुपरसीड कर दो और फिर इसके लिए अनिश्चित तारीख तक के लिए समय बढ़ा दिया जायेगा और इस तरह से आप छः छः महीने का ड्यूरेशन बढ़ा बढ़ा कर के आप चलाते रहेंगे । जैसे सरकार चाहेगी उसी प्रकार के टैक्स लगाती रहेगी, चुंगी बढ़ाती रहेगी । अभी जयपुर में चुनी हुई नगरपालिका नहीं है, प्रशासक ने चाहा कि चुंगी बढ़ा दी जाये तो वह बढ़ाई जायेगी । कौन उसका विरोध करने वाला है । लेकिन प्रशासन चाहता तो इस प्रकार की चुंगी की वृद्धि कर सकता था । आप यदि जनतंत्र को नहीं रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दूसरी स्वायत्त शासन संस्थायें भी नहीं हों और अगर स्वायत्त शासन संस्थायें होती तो उसमें दूसरे आदमी नहीं पहुँचने चाहिए तो इसका एक ही उत्तर दिया जा सकता है और इसका उत्तर बगावत हो सकता है । इसका उत्तर एक क्रान्ति हो सकती है, इसका उत्तर डेमोक्रेसी नहीं हो सकती । यदि आप चाहते हैं कि दूसरी संस्थाएं इस प्रकार के डेमोक्रेटिक ढंग से प्रजातान्त्रिक तरीकों से चले और बेलेट की जरूरत नहीं पड़े तो ऐसा कानून नहीं बनावें । जनता के प्रतिनिधियों को जनता ही बुला सकती है, आप उनको सुपरसीड या डिज़ोल्व नहीं कर सकते ।

फिर आपने लिखा है ट्रिब्यूनल बनावेंगे जिसमें दो व्यक्ति रहेंगे । वे कौन व्यक्ति रहेंगे । मैं कहता हूं कि कलेक्टर आपका सबोरडिनेट होता है और दूसरे अधिकारी भी आपके मातहत गुलाम होते हैं, वे आपसे पदोन्नति की आशा रखते हैं । आप चाहते हैं कि निष्पक्ष अधिकारी को बिठलाकर जांच करावें कि बोर्ड में कहां खराबी है यह स्पष्ट बात कह सके । लेकिन जिनकी इन्क्वायरी केवल आपके इशारे के अनुसार होगी तो यह जनतंत्र की हत्या होगी ।

आप सुपरसेशन और डिज़ोल्यूशन की बात करते हैं, तो मुझे उन दोनों में कोई फर्क नहीं दिखता । एक ही जैसी डेफिनेशन के दो शब्द रखे हैं दोनों का प्रभाव अलग तरह का होना चाहिये, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन उलझी हुई धाराओं को न रखिये । इनको गंभीरता से देखिये । सुपरसैशन और डिज़ोल्यूशन अलग अलग चीजें है । यदि बोर्ड खिलाफत करता है तो रिज़ाइन करेंगे और दुबारा चुनाव होंगे । बोर्ड में दुबारा चुने जाने का अधिकार होना चाहिये ।

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस पर टाइम लिमिट नहीं रखी जाय। हम एक्सपेक्टेड कार्यक्रम से काफी आगे बढ़ गये हैं। कम से कम १५ मिनिट का समय एक सदस्य के लिये रहना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : निश्चय का आधार लिया है उसी का पालन कर रहा हूँ।

श्री भैरोंसिंह : इसको १६ तारीख तक पास करना है। कुछ क्लॉजिज़ ऐसी हैं जो कांट्रोवरशियल हैं उन पर गंभीरता से विचार होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : I will consider over it just now.

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, डिज़ोल्यूशन और सुपरसैशन के बाबत आज एक क्लॉज़ प्रस्तुत है उसमें मंत्री जी ने संशोधन दिया है और कुछ और भी संशोधन आये हैं। आज ऐसे समय में जब कि हम एक ऐसी उतावली में हैं, जब कि हम एक प्रजातंत्रीय स्वरूप को निखारकर रखना चाहते हैं और कई प्रकार के विधि विधानों द्वारा प्रयोग कर रहे हैं, हम इस कोशिश में लगे हैं ऐसे समय में यह स्वाभाविक भावना हो जाती है जब कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में दबाव का प्रश्न उत्पन्न होता है। एक प्रकार से हमारे अंतरनिहित भावना को ठेस लगती नज़र आती है। इस कारण से जब जब हमारे यहां सुपरसैशन, डिज़ोल्यूशन का किसी विधान में प्रश्न आता है तो एक भावना होती है, लेकिन आज यह विचारने की आवश्यकता है कि प्रजातंत्र को व्यवहार में उतारने में बड़ी कठिनाइयें सामने आती हैं। जहां पर फैडरल तरीका होता है वहां भी केन्द्र नीचे के राज्यों पर लगाम रखने के लिये कुछ ऐसे विधि विधान बनाता है जिससे अनर्गलरूप से स्टेट्स संघ के खिलाफ नहीं जा सके। हमारे विधान में और अन्य विधानों में भी नज़र आता है कि जो राज्य का नियन्ता होता है उसको इमरजेन्सी में ऐसी शक्तियां दी जाती हैं कि वह प्रजातांत्रिक ढंग की व्यवस्था को दबा सके और सही प्रकार की बना सके। तो इसी तरह से जब आज हम म्युनिसिपल बिल पर विचार कर रहे हैं, हमें इन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है कि प्रजातंत्र एक प्रकार का आदर्श है और उसको व्यवहार में किस प्रकार लाया जाय। यह दूसरा प्रश्न है कि प्रजातंत्र स्वतंत्र गठन और विकास का तरीका बता सके। ये इस भांति की चीजें हैं जिनके लिये हमने पार्लियामेन्टरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेन्ट और कई दूसरी पद्धतियों को देखा है। आज म्युनिसिपैलिटीज़ और दूसरी संस्थाएं हैं वे भी प्रजातंत्र के नियंत्रण में आती हैं।

अब सवाल यह उठता है कि प्रजातान्त्रिक ढंग से, जनतांत्रीय ढंग से एक बॉडी इलेक्ट होकर आती है, तो जनजीवन के साथ संपर्क उसका कितना रह जाता है, यह उसकी सामूहिक अवस्था पर निर्भर करता है। निश्चय ही जब वह इलेक्ट होकर एक स्थान पर एक बोडि के रूप में आ जाती है तब सीधा संपर्क जनता से उतना नहीं रह सकता, और एक प्रकार की पार्टीबाजी या गुटबाजी की प्रक्रिया बनानी पाती है। यदि ऐसी आशंका को हम बिल्कुल निर्मूल नहीं समझ सके, बिल्कुल अमान्य नहीं कर सके खासकर जहां छोटे छोटे दायरे बन जाते हैं वहां कई कारणों से आपसी विद्वेश और कई इसी तरह की चीजों से वे अधिक उभर आते हैं वहां गुटबाज़ी की अधिक आशंका होती है। इस गुटबाजी का

(श्री नरायणसिंह)

वातावरण अधिक बढ़ जाता है तो सही भावना अपने दिमाग में नहीं रख सकते तभी ऐसी आवश्यकता पड़ती है। ऐसी परिस्थिति का शमन करने के लिये एक ऐसे दबाव की व्यवस्था की जाती है। जब ऐसी परिस्थिति से कुछ निकाल ने लगता है तो किसी विशेष कारण से व्यवस्था हट जाती है, तभी ऐसी व्यवस्था को हमें शहर में लाना पड़ता है। तो आज सुपरसेशन और डिज़ोल्यूशन का जहां तक सवाल है यह बिल्कुल एक प्रजातांत्रिक ढंग से, प्रजातांत्रिक सिद्धान्त से अलग चीज़ नहीं है क्योंकि प्रजातंत्र का हम प्रयोग कर रहे हैं और इस प्रयोग में कई प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर प्रयोग करते हैं तो इसमें सुपरसेशन और डिज़ोल्यूशन आदि व्यवस्थाओं की भी आवश्यकता पड़ जाती है। लेकिन प्रश्न यह है कि इन व्यवस्थाओं को किस प्रकार से कार्यान्वित किया जाय। अब हमारे सामने जो चीज़ है उसमें यदि ऐसी आशंकाएं उत्पन्न कर देते हैं जिससे भय है कि सही प्रजातंत्र अनर्गल प्रवाह में बह पड़े तो उसको दूर करना चाहिये और जहां तक उसकी मौलिक आवश्यकता है उसको हम अमान्य नहीं कर सकते। वह तरीका काफी प्रजातांत्रिक होना चाहिये और हमें उसके लिये एक ख्याल रखना आवश्यक है कि कहीं वह तरीका बिल्कुल अप्रजातांत्रिक प्रकार का नहीं बन जाय। मैं उन संशोधनों के साथ जो आगे प्रस्तुत नहीं होंगे उनकी मंशा ऐसी है कि जिससे सुपरसेशन आदि को लाया जा सके जिसे दूसरे तरीके से असर हो जाय। लेकिन इसके साथ साथ यह अर्ज करना चाहता हूँ कि यदि इस सुपरसैशन और डिज़ोल्यूशन के बारे में हमें शुरू में ऐसी व्यवस्था चैयरमेन और प्रेसिडेन्ट के इलेक्शन में रखनी चाहिये थी जिससे वह बोर्ड से अलग व्यवस्था रख सके। बोर्ड एक प्रकार से लेजिस्लेटिव बॉडि की तरह होता है और बजट आदि बनाने की व्यवस्था उसको होती और जहां एग्जीक्यूटिव फैक्शन्स का प्रश्न आता वहां चैयरमेन या प्रेसिडेन्ट के हाथ में सत्ता होती। और वे परस्पर में एक चेक एन्ड बेलेन्स की तरह काम करें, ऐसी व्यवस्था को लाने के लिए अमेरीकन कॉन्स्टिट्यूएन्सी का उदाहरण देना पड़ेगा। हम ब्रिटिश पार्लियामेन्ट्री के सिस्टम से, गवर्नेन्स से ज्यादा नज़दीक हैं और उसी प्रकार की व्यवस्थायें अपने यहां करते चले जा रहे हैं। लेकिन आज जब हम प्रजातंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, उस समय अलग अलग प्रयोग करने की आवश्यकता है। हमने पंचायत का प्रयोग किया है, पंच सरपंच अलग तौर पर चुने जाते हैं और पंचायत अलग तौर से चुनी जाती है। उसी प्रकार यदि म्युनिसिपैलिटी के विधान में भी हो कि जहां टाउन म्युनिसिपैलिटीज़ रहती हैं. वहां तो भले ही साधारण व्यवस्था कर सकते हैं, जैसी आज तक चली आ रही है। जहां सिटी म्युनिसिपैलिटी को आदर्श रूप में लेते हैं मैं यह कहना चाहूंगा कि सिटीज़ की म्युनिसिपैलिटीज़ का आदर्श लेते हुए सिटीज म्युनिसिपैलिटीज़ का विशेष रूप क्या हो, इस पर कई बार विचार किया है। उस जगह यह व्यवस्था कर सकते हैं कि वहां जो प्रेसीडेन्ट अथवा चेयरमैन है वह व्यक्ति अलग चुना जाय, उसका स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व होगा और बोर्ड को अलग चुना जाय। उस प्रेसीडेन्ट अथवा चेयरमैन की अलग पॉवर्स हों और बोर्ड की अलग पॉवर हों। ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि जहां चेयरमैन अपनी एग्ज़ीक्यूटिव पॉवर्स का

(श्री नारायणसिंह)

दुरूपयोग करता है, वहां बोर्ड उसको रोक ले और बोर्ड जहां ऐसे अटकाव पैदा कर देता है कि जिससे चेयरमैन काम नहीं कर सके। तो चेयरमैन के पास कुछ वीटो पॉवर्स हों, जिससे वीटो वह लगाता और रुकावट करता। इस में नो कॉन्फीडेन्स इत्यादि का वोट हो सकता है, उसके आधार पर इस प्रकार के सस्पेन्सन का निर्णय लिया जा सकता है। उसको मैं सस्पेन्सन नहीं कहता, वह इस प्रकार की व्यवस्था हो सकती है कि जहां चेयरमैन की शिकायत पर बोर्ड को दबाया जाता और बोर्ड की शिकायत से चेयरमैन को दबाया जाता। जैसी स्थिति होती, जिस प्रकार की परिस्थिति होती, वैसा कार्य किया जाता। यह प्रश्न पैदा हो सकता है कि अगर बोर्ड को दबाया जाता है, तो उसको किस प्रकार से जांच के बाद दबाया जाता। अगर जांच के बाद दबाया जाता है तो जनता में विश्वास पैदा कर सकते हैं। इसके बाद अगर चेयरमैन उसको स्वीकार कर लेता है, तो एक नामीनेटेड बोर्ड बना कर कार्यवाही चालू रखी जा सकती है।

(घंटी)

इसमें फ़र्क होने का सवाल नहीं है। जो व्यवस्था वाकई प्रजातन्त्र की पहले से चलती रही है, उसके समान बोर्ड रहे, परन्तु वहां का चेयरमैन अपना चुन कर आ सकता है। तो ऐसी परिस्थिति को कुछ सोच कर बैठाया जा सकता है। जिससे कम्प्लीट सुपरसेशन या डिज़ोल्यूशन का प्रश्न नहीं आता। इससे लोगों के सामने एक चित्र आ जाता है, कि जिस एक अरिस्ट्रोक्रटिक मशीनरी ने सारी प्रजातन्त्र व्यवस्था को दबा लिया है तो यह चीज़ हम शुरू से चेयरमैन और प्रेसीडेन्ट की चुनाव पद्धति से, बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन्स पद्धति से कर सकते हैं। आज जैसा कि बिल चल रहा है, इसका जो रूप है इसमें हमें छोटे मोटे संशोधन करके कार्य करना पड़ेगा कि सुपरसेशन अथवा डिज़ोल्यूशन को बिल्कुल अरिस्ट्रोक्रेटिक प्रकार का न बनाया जाय। उसमें जो संशोधन आये हैं उस दृष्टि से विचारने चाहिए कि सुपरसेशन और डिज़ोल्यूशन को ऐसा बना देना चाहिए कि जो प्रजातंत्र की सरल धारा बह रही है, उसमें अटकावे के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत न हो। इन शब्दों के साथ में मैं कहना चाहता हूं कि प्रजातंत्र चूंकि एक टेन्डेन्सी है, जैसा कि श्री जनार्दनराय जी नागर ने कहा कि प्रजातंत्र का जो प्रयोग है, प्रजातंत्र का जो मनोभाव है, वह व्यक्तित्व में है, वह व्यक्तित्व प्रजातंत्र के समान बनेगा, तब प्रजातंत्र बनेगा। इसके साथ ही प्रजातंत्र व्यवहार में है, व्यवहार को ऐसा बैठा सकते हैं, जिससे प्रजातंत्र की पद्धति बन सके। यह तर्क है कि इनकी स्वतंत्रता कायम रहे। मैं समझता हूं कि स्वतंत्रता का अर्थ नहीं है कि अनर्गल, या अमर्यादित हो। एक मर्यादा स्वतंत्रता की होती है। ऐसी मर्यादा की स्वतंत्रता ले सकें और ऐसी व्यवस्था बनायें। इसलिए इस प्रकार का प्रश्न होता है, हमें इस पर इस दृष्टि से थोड़ा इस प्रकार से ध्यान देने की आवश्यकता है।

श्री भैरोसिंह (श्री माधोपुर): उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २९१, जिस पर इस समय बहस चल रही है, अगर इस क्लॉज़ के सम्बन्ध में यह कहा जाय कि यह धारा किसी व्यक्ति के केसेज़ में ज़हर का काम कर सकती है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के प्रारम्भ से लेकर इस धारा तक जिस उत्साह से और जिस प्रेरणा से सदन कार्य कर रहा था, मैं ऐसा समझता हूं कि इस धारा के आने के बाद वह उत्साह काफी कम हुआ है। ऐसा

(श्री भैरोंसिंह)

लगता है कि इस धारा के पीछे कोई इतना बड़ा रहस्य है, जिस रहस्य को लेकर सरकार के हाथों में इस प्रकार की सत्ता देना यह सदन ठीक नहीं समझता है । उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले प्रजातंत्र की हत्या करने के लिए हमारी सरकार ने विचार किया है, कर भी रही है. उस विचार में कुछ परिवर्तन करना चाहती भी है, कई मजबूरियों का सामना भी किया जा रहा है, और वह है नगर पालिकाओं में नामज़द करने के प्रश्न को लेकर । वह अभी तक सामने नहीं आया है, किस रूप में सामने आयेगी वह धारा इसके ऊपर आगे से विचार किया जायगा । उसके बाद दूसरा सबसे मोटा प्रश्न आया, नगरपालिकाओं को लाज़िमी तौर से टैक्स लगाने का प्रावधान । अब तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर हमारे सामने आया है, वह नगर पालिकाओं को सुपरसीड करने का है, या नगर पालिकाओं को डिजोल्व करने का है । दो क्लॉज़ों को डेफ़र कर दी गई है और तीसरी इम्पोंटेन्ट क्लॉज़, मैं समझता हूं, वाद–विवाद के बाद सदन की इच्छा जानने के बाद माननीय मंत्रीजी इसको भी डेफ़र करेंगे लेकिन प्रश्न एक आता है कि इस प्रकार की क्लॉज़ यदि रख दी गई तो उसका क्या परिणाम होगा । मैंने शुरू से लेकर अंत तक इस बिल की धाराओं को अच्छी तरह से देखा हुआ है । पिछली विधान सभा में एक एक धारा पर विचार किया गया है और अब भी मैं समझता हूं कि सदन ने जिम्मेदारी से इस पर विचार किया है । मैं ऐसा नहीं

३. ५५ म० प०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

समझता कि हमने पीछे की धाराओं में कोई इस प्रकार की कमी रखी हो, जिससे किसी कारण सरकार के और नगरपालिका के बीच में कोई इस प्रकार का संघर्ष आ सकता हो, जिस संघर्ष को लेकर सरकार के सामने केवल एक ही मार्ग बचता हो कि नगरपालिका को भंग कर दे । जहां तक पिछली धाराओं का प्रश्न आता है, सभापति महोदय, मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार की कोई धारा नहीं है । कहीं मकान की सफ़ाई करानी है, या किसी मकान को तुड़वाना है, इस प्रकार की छोटी मोटी बातों को लेकर सरकार और नगरपालिका के बीच कोई संघर्ष नहीं आ सकता है लेकिन हमने संघर्ष की धारा स्वीकार की है, उस क्लॉज़ को लेकर सरकार के और नगर पालिका के बीच में संघर्ष आने वाला है, वह संघर्ष आयेगा धारा ६७ में, जिसके द्वारा हमने कम्पलसरी टैक्सेशन का प्रावीज़न रखा है । आज हमने इस बात की व्यवस्था की है कि नगरपालिका चाहे तो सरकार की इच्छा के ऊपर भी जो कम्पलसरी टैक्सेशन हैं, उन्हें इम्पोज़ न करें ।

४ म० प०

लेकिन इस प्रश्न को लेकर यह मान कर चलना चाहिये कि, सरकार और नगरपालिकाओं के बीच में संघर्ष आयेगा । जहां टैक्स का पर केपिटा खूब बढ़ा हुआ है, डूंगरपुर में एक पर केपिटा १२) रु० है, जहां प्रोफेशन टैक्स नहीं है । वहां पर प्रोफेशन टैक्स लागू किया तो पर केपिटा केवल १२) रुपया में नहीं रहेगा वह बढ़ कर १४॥) रु० हो जायगा । राजस्थान में ऐसी नगरपालिकाएं भी हैं जिनकी आय केवल १३४) रुपया है, टैक्स लगाने की बात आये तो वे टैक्स लगाने की बात सोचें, पर जिनका पर केपिटा टैक्स पहले से ही बढ़ा हुआ है वे नगरपालिकाएं इसका विरोध करेंगी । सरकार कहेगी कि कानून बना है. कानून

Page No.102

(श्री भैरों सिंह)

के नाते हाउस टैक्स, ऑक्ट्राय और प्रोफेशन पर टैक्स लगाना पड़ेगा तो वे नगरपालिकाएं इनका विरोध करेंगी, तो इस प्रकार सरकार और नगरपालिकाओं के बीच में ऐसे संघर्ष की स्थिति पैदा हुई है। यही एक धारा ऐसी है और धाराएं ऐसी नहीं हैं।

यही प्रश्न लेकर सन् ५४ में जयपुर में आक्ट्राय ड्यूटी इम्पोज़ का जनता ने विरोध किया, १३ दिन तक जयपुर में हड़ताल रही। कई बार लाठी चार्ज हुए, गिरफ्तारियां हुई। नगरपालिकाओं के सदस्यों ने इसकी अनावश्यकता को महसूस किया और उन्होंने मिल कर प्रस्ताव पास किया कि आक्ट्राय पास करने की आवश्यकता नहीं है, वह प्रस्ताव उन्होंने सरकार के पास भेजा। वह संघर्ष सरकार और नगरपालिकाओं के बीच में आया। सरकार ने निर्णय ले लिया कि जयपुर की नगरपालिका को भंग कर दिया जाय और फिर नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं हुए। वही अबकी बार हुआ, जयपुर के हाईकोर्ट के प्रश्न को लेकर जयपुर की नगरपालिका के चुने हुए नगर के प्रतिनिधियों ने त्यागपत्र दिया। सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटर अपोइन्ट किया पर एडमिनिस्ट्रेटर करने से आज तक सरकार की मनोवृत्ति को पहचानने से पता चलता है कि सरकार ऐसा महसूस करती है कि नगरपालिका के स्थान पर जितने दिन ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटर रहें उतना ही सरकार का और जनता का भला होगा। तो कहना होगा कि सरकार कहने के लिये, सिद्धान्तों का बखान करने के लिये कुछ भी कहे पर सरकार इस चीज़ को मानती है कि एडमिनिस्ट्रेटर का राज्य आज चुने हुए नगरपालिका के सम्बन्ध के शासन से ज्यादा अच्छा है। जयपुर की नगरपालिका के इलेक्शन के सम्बन्ध में सरकार की ओर से कोई घोषणा नहीं की गई है और सरकार मौन होकर बैठ जाय तो यह मनोवृत्ति इस बात की द्योतक है, कि सरकार चुने जाने वाले या चुने गये सदस्यों के मुकाबले में एडमिनिस्ट्रेटर के शासन को अच्छा समझती है।

तो इस प्रकार के फैक्टर आते हैं, तो हमें सोचना होगा कि सरकार की मनोवृत्ति में किस प्रकार परिवर्तन लाया जाय। बाकी के सभी प्रोविन्सेज में इस बात की एक साथ मांग की जा रही है कि इन नगरपालिकाओं को संविधान के द्वारा अधिकार होना चाहिये कि सरकार इनके काम में हस्तक्षेप नहीं कर सके, वहां राजस्थान सरकार कोशिश करती है कि एक तरफ अधिकार दे दिया जाय और दूसरी तरफ इतना जबरदस्त अंकुश रख रही है कि जिस दिन चाहे नगरपालिका को डिजोल्व कर दे।

सरकार कहेगी कि वह डिजोल्व नहीं करेगी, सस्पेन्ड करेगी और ट्रिब्यूनल के द्वारा यह निर्णय होगा, पर ट्रिब्यूनल किनका होगा, किस प्रकार के अधिकारी उस ट्रिब्यूनल में होंगे, इस बात को अच्छी तरह से देखा जाय तो मैं समझता हूं सरकार जुडिशियल आफ़ीसर्स को तो यह अधिकार देने वाली नहीं है, क्योंकि अगर उनको यह अधिकार दे तो सुपरसीड करने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। जयपुर हाई कोर्ट आन्दोलन के समय नगरपालिका के नये निर्वाचित सदस्य हैं उनको काम सीखने का मौका दिया जाय, मंत्री महोदय ने उस फैसले को देखा है, उसमें लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियेन्स का जहां तक सवाल है चुनावों के तुरन्त बाद ही विधान सभा का एक सदस्य मंत्री बन जाता है तो नगरपालिका में चुनाव के बाद

(श्री भैरोंसिंह)

जो सदस्य बन जाता है उसको काम सीखने का मौका दिया जाय तो कोई अनुचित बात नहीं होगी। एक सदस्य चुना हुआ है, अगली बार चुनावों में नहीं भी आये पर डेमोक्रेटिक फीलिंग्स पनपे हैं, एक व्यक्ति नगरपालिका में काम करता है और दूसरा व्यक्ति काम करना सीखता है तो हो सकता है कि नगरपालिका में गलतियां हों। यदि सरकार कहे कि हमने हुक्म दिया, उसकी तामील नहीं की इसलिये इसको सस्पेन्ड कर दो तो इसके माने यह हुए कि हमने एक तरफ अधिकार दिये और दूसरी तरफ दिये हुए अधिकारों को छीन लिया।

अब इस ट्रिब्यूनल के सदस्य कौन हो सकते हैं। मन्त्री महोदय बतायें कि इनके अलावा कौन हो सकते हैं, डायरेक्टर आफ लोकल बोडीज़, राजस्थान के इस विभाग के सचिवालय के सचिव, उस नगरपालिका के जिसको कि डिजोल्व किया जा रहा है, रीजनल इन्स्पेक्टर। मैं समझता हूं बड़े से बड़ा और अच्छे से अच्छा बोर्ड सरकार की निगाहों में हो सकता है तो इन तीन व्यक्तियों का होगा।

कोई प्रश्न ऐसा आ जाय जो सरकार के और नगरपालिका के बीच में प्रतिष्ठा का प्रश्न हो। मैं यह नहीं कहना चाहता कि इस भावना से सरकार किसी मेम्बर को हटाती है या डिज़ोल्व करती है पर वह प्रश्न प्रतिष्ठा का प्रश्न बनता है तो सरकार निर्णय करती है कि अमुक नगरपालिका को डिज़ोल्व करना है, मन्त्री महोदय का आदेश वहां नहीं चलता है, वहां झगड़ा हो जाय, नगरपालिका मन्त्री महोदय के कहे अनुसार काम नहीं करे तो इस झगड़े में प्रतिष्ठा का प्रश्न निश्चित रूप से घुस जाता है, एक तरफ तो सरकार की प्रतिष्ठा का प्रश्न और दूसरी तरफ नगरपालिका की प्रतिष्ठा का प्रश्न। यह मामला ट्रिब्यूनल के पास जाता है तो वही तीनों व्यक्ति ट्रिब्यूनल में बैठेंगे, वे किस की प्रतिष्ठा का ख्याल रखेंगे? आज सर्विसेज़ डिमोरेलाइज़ हुई हैं और इसे डिमोरेलाइज़ सरकार ने किया है, सेलेक्शन्स के ज़रिये डिमोरेलाइज़ किया है, नोमिनेशन्स के ज़रिये डिमोरेलाइज़ किया है और स्पेशल अलाउन्स दे कर सरकार ने सर्विसेज़ को डिमोरेलाइज़ करने की कोशिश की है। हर व्यक्ति आज इस बात की कोशिश करता है कि मेरे मन्त्रीजी मेरे से किसी भी प्रकार खुश रहें, काम टेबिल पर पड़ा रहे इसकी परवाह नहीं, हर तरह से मन्त्री महोदय को खुश रखेगा अपने आफिसर्स को खुश रखेगा तो उसको स्पेशल अलाउन्स मिलेगा, आइ. ए. एस, आइ. पी. एस. के सेलेक्शन में आ जायेगा, या अच्छे स्थान पर स्थानान्तरण हो जायगा। और वहां ठाट के साथ बैठा मौज करेगा।

तो आज हर कर्मचारी की यही वृत्ति रहती है। जायज़ या नाजायज़ का प्रश्न नहीं, अपने ऑफिसर्स को खुश रखना जायज़ है, किसी भी तरह खुश रखना जायज़ है, इस प्रकार की बात उनके दिमाग में घर कर गई है और आम तौर से डिमोरेलाइजेशन सर्विसेज़ के दिमाग में आया हुआ है। आई. ए. एस. का सेलेक्शन हुआ उसके कारण सर्विसेज़ में बड़ा भारी असंतोष फैल रहा है, उनके दिलों में इस तरह की भावना घर कर रही है कि या तो सरकार के खिलाफ बगावत की जाये, अच्छा रिप्रेजेन्टेशन कर के नौकरी

(श्री भैरोंसिंह)

छोड़ने की स्थिति में आ जायें या सरकार के सामने सरेंडर कर दिया जाय ताकि सरकार उनके केसेज़ में सुपरसीड करती हुई फैसला करे। मैं समझता हूं कि नौकरी छोड़ने का मार्ग या बगावत करने का मार्ग या किसी प्रकार की दूसरी कार्यवाही करने का मार्ग जो भी वे चाहें उनके अनुकूल नहीं पड़ता क्योंकि दूसरी जगह एम्पलॉयमेंट करने का प्रश्न आता है और एम्पलॉयमेंट की समस्या ऐसी है कि कहीं इस झगड़े में सर्विस है जो वह भी उसके हाथ से कहीं नहीं चली जावे। इसलिये वे अपने आप को कम्पलीटली सरेन्डर कर देते हैं। वे हमेशा यही चाहते हैं कि उनके अधिकारी किस भी तरह से उनसे खुश रहें और वे उनको किसी भी हालत में खुश रखने की कोशिश करते हैं। चाहें झूठ बोलकर या किसी नगरपालिका को सस्पेन्ड करने या और किसी अन्य तरीकों से, जिनसे भी वे खुश किये जा सकें उनको खुश करने की कोशिश की जाती है। और इसमें जब तक अपनी आत्मा का हनन नहीं करते या रूल्स का उलंघन नहीं करते ऐसा हो नहीं सकता। तो इस स्टेज में हमें अधिकारियों का विरोध करना पड़ता है और जब हम विरोध करते हैं तो यह कहा जाता है कि अधिकारियों के विरुद्ध एक प्रकार का प्रचार किया जा रहा है। मैं उनके लिये विरोध करने की भावना से कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं यह कहता हूं कि अधिकारी इमानदारी से काम करना चाहते हैं। मैं यह नहीं कहता कि अधिकारी लोग ईमानदारी से काम करना नहीं चाहते। मैं कहता हूं कि उनको करने नहीं दिया जाता है। उनके रास्ते में बाधाएं उपस्थित की जाती है। यदि इस प्रकार के अधिकारियों को बोर्ड में लिया गया तो क्या लोगों को न्याय मिलेगा। इसके अलावा मैं यह कहूंगा कि जिस समय बोर्ड के सदस्यों को आपने बिठाया और जहां पर प्रतिष्ठा का प्रश्न पैदा होगा तो अधिकारी म्युनिसिपैलिटी की प्रतिष्ठा के बनिस्बत सरकार की प्रतिष्ठा की ज्यादा कद्र करेंगे। राजस्थान में १४३ म्युनिसिपैलिटीज़ हैं। अगर एक एक की प्रतिष्ठा गिरती है तो हमें कोई चिन्ता की बात नहीं। मगर किसी तरह से हमें राजस्थान सरकार की प्रतिष्ठा उनकी प्रतिष्ठा गिरने से बचती हो तो हमें उसकी प्रतिष्ठा को बचाना है। हमने किसी भी प्रकार से टेलीफोन की घंटी सिर्काई और बात की। माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि इस बोर्ड के संबन्ध में किसी भी प्रकार की कल्पना नहीं दी है कि किस प्रकार के बोर्ड का आप गठन करने वाले हैं। सरकार इसका स्पष्टिकरण करें कि किस प्रकार के व्यक्तियों को इसमें लिया जाएगा। बोर्ड में जुडिशियल ऑफिसर्स होंगे और जो जुडिशियल ऑफिसर होंगे वे डिस्ट्रिक्ट जज़ की केपैसिटी से कम न होंगे। उसमें ऐसे डिस्ट्रिक्ट जज़ न होंगे जिनके स्पेशल एलाउन्स का प्रश्न आता हो, या जिन डिस्ट्रिक्ट जज़ों को रीएपॉइन्ट करने का प्रश्न हो। यदि ऐसे लोगों को एपॉइन्ट किया तो मैं यह मान कर चलूंगा कि हर तरह से जज रिटायर होकर लीव रिफ्यूज़ को लेकर या स्पेशल एलाउन्स की मांग करने वाले होंगे तो मेरी तो यह भावना बनती है कि उनको तो सरकार के सामने झुके हुए ही रहना होता है। जो ६ महीनों तक सरकार के नौकरों के तलवे चाटते फिरते है, वे न्याय नहीं कर सकते। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सरकार सबसे पहले यह घोषणा करे कि ट्रब्यूनल में डिस्ट्रिक्ट जज़ से कम सियत के अधिकारी नहीं होंगे और अगर

(श्री भैरोंसिंह)

होंगे तो समझ में नहीं आता कि क्या वह दृष्टिकोण उचित होगा । अगर सरकार डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडी को उसमें सदस्य रखेगी तो क्या आप उनसे यह उम्मीद करते हैं कि जब किसी माननीय मंत्री महोदय की उसमें अनुमति हो गई है. या उसके फैसले पर दस्तखत हो गये हैं डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज़ उसके खिलाफ जाने की हिम्मत कर सकेगा । क्या वह उसके हुक्म को किसी भी प्रकार से बदल सकेगा, यह संभव नहीं है । डाइरेक्टर तो किसी भी हालत में बदल नहीं सकता क्योंकि वह देखेगा कि इस पर तो गुप्ता साहब की मोहर लगी है इसलिये यह तो वैसा का वैसा ही रहना चाहिये । यह एक स्वभाविक चीज़ है । यह एक आदमी में वीकनेस होता है । मैं यह कहूंगा कि हर आदमी में ह्यूमन वीकनेस होती है । इसमें हम न तो गुप्ता साहब को दोष दे सकते है । न डाइरेक्टर साहब को । यह एक ह्यूमन ट्रेडिशन है इसलिये मैं निश्चत रूप से कह सकता हूं कि यह बोर्ड एक नाममात्र के लिए बोर्ड होगा और इससे कोई हित का काम नहीं हो सकता ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैंने उपाध्यक्ष महोदय, से भी पहले कहा था कि....

श्री सभापति : आपने उनसे क्या कहा था ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वयत्तशासन मंत्री) : इसको डेफर कर रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह कह रहा था कि अभी इस बिल में ३०८ क्लॉजेज़ हैं । इसके लिए १६ तारीख का कार्यक्रम रखा है । इसमें करीब २६१ क्लॉज़ तक तो चले आये है । १५, १६ क्लॉजेज़ और हैं । यह एक बहुत इम्पोर्टेन्ट क्लॉज़ है । इसमें समय की पाबन्दी नहीं रखी जावे । चाहे समय ज्यादा भी लगे तो भी सदन के सदस्यों को अपने विचार ज़ाहिर करने का अवसर दिया जाए । अभी फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्यों को भी बोलना है और मैं समझता हूं कि वे दो घन्टे लेने वाले हैं । अगर उन पर समय की पाबन्दी का विचार किया तो उनको विचार रखने का अवसर नहीं मिलेगा ।

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि बोर्ड का प्रश्न आता है, मैं समझता हूं कि मैंने अपने विचार इस पर प्रगट किये । ६ महीने तक उसको सुपरसीड किया जावेगा । मैंने आपके सामने जयपुर की दो मिसालें दी । सरकार अब भी यह कह दे कि जयपुर नगर— पालिका के चुनाव किस कारण से रुका है, मगर वह नहीं बताएगी । तो मैं यह कहूंगा कि यह ६ महीनों का प्रावधान है वह भी एक नाममात्र के लिये है । नगरपालिकाओं की अगर अवधि समाप्ति हो जावे, तो या तो उनकी अवधि में वृद्धि करें या उसको समाप्त करके दूसरा चुनाव कराए मगर जहां इस प्रकार की धारा नहीं है वहां पर दो दो साल निकल जाते है । राजस्थान की नगरपालिकाएं इस प्रकार की अनियमितताओं के लिये मशहूर है । अगर कोई इस प्रकार का म्युनिसिपैलिटीज़ का बुलेटिन तैयार करके दूसरे राज्यों को भेजा जावे तो वे कहेंगे कि यह नगरपालिकाओं का सही तरीका नहीं है काम करने का यह तो एक मज़ाक है । मगर

Page No.106

(श्री भैरोंसिंह)

मैं यह कहूंगा कि यह वस्तुस्थिति है। पहले मैंने इसके लिये कहा था और अब फिर कहना पड़ता है, कि सुपरसीड कई लोगों को किये जाते हैं। पहले चुनाव हो जाते हैं बाद में जिस समय नामज़दगी का प्रश्न आता हैं तो उसमें हेर फेर कर दिया जाता है। माननीय मंत्री यह कहते है कि हम दबाव से किसी को सुपरसीड नहीं करेंगे। मगर मैं उनको इस संबन्ध में मिसालें दे रहा हूं। आप पर कोई दबाव आए, आया हो या न आया हो यह मैं नहीं कहता और आया तो किसका आया है यह भी मैं नहीं कहता लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि आपने जो कुच किया है वह अपनी इच्छा से नहीं किया है। अपने परबतसर में दो आदमियों को नामज़द किये। आप पर दबाव आया। आपने उनके स्थान पर दूसरों की नामज़दगी कर दी क्योंकि आप पर दबाव आया। मैं यह नहीं कहता कि आपने अपनी इच्छा से किया हो। हो सकता है कि आपकी इच्छा न हो। हो सकता है कि आप पर पार्टी प्रेशर आया हो या कोई पोलिटिकल प्रेशर आया हो। कभी कभी इस प्रकार का प्रेसर आता ज़रूर है और उसके कारण कोई ऐसा काम भी करना पड़ता है। मामूली कानून जानने वालों से पूछिये कि क्या यह न्याय है, कानून जानने वाले से नहीं बल्कि अपनी स्वयं की आत्मा से ही पूछिये। आपने खुद ने मुझ से जोधपुर में क्या कहा था। और किस प्रकार का उपदेश और पब्लिक के हितों की दुहाई देते थे। लेकिन जब आप नोटिफिकेशन परबतसर वालों का निकालते है, तो इतवार को जबकि सब दफ्तर बन्द होते हैं और कोई काम नहीं होता फिर भी नोटिफिकेशन आपने जारी किया और उनको शपथ दिलाने को और चेयरमैन के इलेक्शन की तारीख निश्चित की गई। एक तो माननीय मंत्री महोदय डिस्क्वालिफाइड समझते थे।

इस बात का संकेत अवश्य है कि यह सब किया गया किसी प्रेशर के कारण यह प्रेशर भी कोई मामूली प्रेशर नहीं क्योंकि मामूली प्रेशर को तो आप मानते भी नहीं कोई तगड़ा प्रेशर आया है। सभापति महोदय, वहां के चुनाव हुए थे अप्रेल में यह दूसरा अप्रेल आगया एक साल का समय निकल गया लेकिन वहां के चैयरमैन का चुनाव नहीं हुआ। अब चुनाव की तारीख तय होजाती है मंत्री महोदय का टेलीफोन जाता है और चुनाव अधिकारी को यहां बुला लिया जाता है। चुनाव अधिकारी झटपट डरते हुए बिना किसी प्रकार की सूचना नोटिस बोर्ड पर लगाये हुए कि मैं जरूरी काम से जयपुर जा रहा हूं आदि कुछ भी न बताते हुए जयपुर चले जाते हैं। मेम्बर्स लोग तैयार होकर विधान के प्रति शपथ लेने के लिए तैयार होकर आते हैं। वे यह भी सोचते हैं कि आज हमारे यहां नये चैयरमैन का राज्याभिषेक होगा लेकिन जब वे सब तरह से तैयार होकर दरवाजे पर पहुँचते हैं तो देखते हैं वहां ऑफिस पर ताला है। कोर्ट में जाकर पूछते हैं तो पता चलता है कि एस० डी० ओ० साहब गायब हैं क्यों चले गये? कहां गये? पता नहीं। सभापति महोदय इसी तरह से मुकनगढ़ म्युनिसिपल के चैयरमैन का चुनाव होना था तहसीलदार को वहां पहुँचना चाहिये था वह बीमार होजाता है टेलीफोन पर बीमारियां चलने लग गई हैं। इन्फेक्शस डिजीज़ तो हम सुनते थे किन्तु यह टेलीफोन से बीमारी पहुंचने का तो नया ही तरीका चलने लगा है। आज होता क्या है कि पोलेटिकल

(श्री भैरोंसिंह)

प्रेशर के कारण चुनाव बारह महीने तक पड़े रहते हैं। इस प्रकार की घटना एक नहीं अनेकों हैं। यह कोई नहीं कह सकता कि सरकार पोलिटिकल प्रेशर के कारण नहीं टलती। यह फेक्टर है और फेक्ट है पोलिटिकल प्रेसर के कारण राज्य की कार्यवाही के अन्दर बाधा पहुंचाती है और यह एक प्रकार से स्ट्रोंग एलीमेन्ट है जिसको भुलाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार की व्यवस्था है इस प्रणाली के अन्दर। जहां नगरपालिका को डिजोल्व करने का अधिकार दिया गया है, उन अधिकारों का किस प्रकार से दुरूपयोग होगा। सभापति महोदय, जहां नगरपालिका में काम का प्रश्न आता है, वहां मैं ऐसा समझता हूं काम को लेकर शायद इस प्रकार का झगड़ा न आय। लेकिन अगर आ भी सकता है जब इस प्रकार का झगड़ा आये और किसी मैम्बर द्वारा आता है तो इसमें प्रावधान है उसको हटा सकते हैं दो मेम्बरों को हटा सकते हैं। म्युनिसिपल मैम्बर यदि बैठक में नहीं आते हैं या उनका आचरण खराब है, तो इसमें प्रावधान है कि उसको हटाया जा सकता है। सरकारी धन का दुरूपयोग करते हैं, तो वैसी हालत में इन पाँवर्स को एक्सरसाइज किया जा सकता है। इसमें प्रावधान है कि इनडिवीज्युअल मैम्बर्स को हटा सकते हैं। तब कौनसी परेशानी आयगी? सामुहिक रूप से बोर्ड खास तौर से किसी चीज़ को नहीं करता है वहां हमें डेमोक्रेसी के मूल सिद्धान्तों पर विचार करना होगा। क्या आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हम जनता के प्रतिनिधियों को हुक्म देकर कोई काम कराये या नहीं। आज राजस्थान विधान सभा द्वारा चुनी हुई सरकार है जनता ने उनको वोट दिये है। यहां अगर इसी प्रकार का कानून बनता है तो क्या आप उसे उचित समझेंगे। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि जहां के चुने हुए विधान सभायी सदस्य जिस चीज़ के लिए मना कर दे पार्लियामेन्ट के चुने हुए सदस्य इन्कार कर दे पंचायतें और नगरपालिका के सदस्य भी उसी चीज़ के लिए मना कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में उन चुने हुए लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए हम क्या किसी प्रकार से बाध्य कर सकते हैं यह प्रश्न विचारने योग्य है। आज हमारे देश के लीडर ऑफ दी हाउस पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वे एक कानून बना दें और यह कह कर कि मैं इस पार्लियामेन्ट का चुना हुआ लीडर हूं इसलिए ऐसा कानून बना सकता हूं। वैसी हालत में किस चीज़ को हम मान्यता दे सकते हैं कौनसा सिद्धान्त उपयोगी है, यह हमें विचार करना होगा। इस सम्बन्ध में बलवंतराय मेहता कमेटी की जो रिपोर्ट है जिसमें इन मोटे मोटे सिद्धान्तों की व्याख्या की है। जो मोटे मोटे सिद्धान्त उसमें स्वीकार किये गये हैं, उन पर हमें विचार करना होगा। उसमें हमें मानसिक नैतिक आर्थिक और सामाजिक धरातल हम किस प्रकार ऊंचा उठा सकते हैं, उसका उपाय उन्होंने बताया है वह है। सत्ता का विकेन्द्रीकरण। ये सब बातें समाज के अन्दर स्वतन्त्रतापूर्वक अधिकारों का प्रयोग करने सारी बातें हो सकती हैं। एक तरफ़ पंचायतों को अधिकार दिये जायेंगे, वे रेन्टक्लेक्ट करेंगे विकास का जो काम होगा वह उनके अधीन होगा। आज यह कहा जाता है कि तृतीय पंच वर्षीय योजना होगी वह नीचे से आयगी। पहली योजना दिल्ली से आयी थी दूसरी योजना दिल्ली और जयपुर से आयी थी और

(श्री भैरोंसिंह)

तीसरी पंच वर्षीय योजना पंचायतों से चलेगी। बातें कहने को तो बड़ी सुन्दर लगती हैं। इस तरह से आज जनता के लोगों पर सारा प्रजातंत्र का भ्रगतन्त्र टिका हुआ है। इन लोगों के बारे में एक प्रिन्सिपल खड़ा होता है। जयपुर की नगरपालिका यह नहीं चाहती कि यहां के नागरिकों पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगे। इस क्षेत्र के पार्लियामेन्ट के मैम्बर कह दें कि हम यहां पर इस प्रकार का टैक्स नहीं चाहते इसके बाद भी टैक्स इम्पोज़ करते हैं तो क्या इसे डेमोक्रेसी के हुकूक कहा जा सकता है, प्रजातन्त्रीय व्यवस्था कहा जा सकता है ? मैं समझता हूं इसे अच्छी व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्थिति के अन्दर किसी नगरपालिका में इस बात पर संघर्ष छिड़ जाता है। नगरपालिका तो कहती है कि यह सड़क इधर से निकलेगी और बस्ती उधर बसायी जाय विधानसभा के और पार्लियामेन्ट के सदस्य भी कहते हैं कि नगरपालिका जो कहती है वह ठीक है लेकिन दूसरी तरफ सरकार कहती है कि नहीं बस्ती इधर बसायी जायगी और सड़क उधर से निकलेगी। वैसी हालत में सरकार का इम्पोज़ीशन ज्यादा ठीक रहेगा या जनता की इच्छा ज्यादा ठीक रहेगी। वैसी हालत में उस सड़क के लिए पत्थर डाले जाते हैं उस पर सरकार कहती है कि म्युनिसिपैलिटी को डिजोल्व कर दिया जायगा। इस बारे में मैं सदन के माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि वे इस पर विचार करें कि प्रजातन्त्र में कौनसी संज्ञा अच्छी हो सकती है ? सभापति महोदय इस पर सरकार कहती है कि हम पोलीटिकल प्रेशर से कोई कार्य नहीं करते। ये तो सब प्रचार की बातें हैं हमारा इस प्रकार का दृष्टिकोण नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं।

मैं यह भी स्वीकार कर लूं इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी लेकिन इस प्रकार की आपत्ति होने और न होने से काम नहीं चलने वाला है। सभापति महोदय, जयपुर में चुनी हुई नगरपालिका थी. यहां चुने हुए व्यक्तियों में और विधान सभा के सदस्य को और एक पार्लियामेन्ट के सदस्य को निकाल देते हैं तो भी जनता के प्रतिनिधि होने के नाते जयपुर नगरपालिका के चैयरमैन में कोई कमी नहीं है। उन्होंने तय किया कि ऑक्ट्रीय ड्यूटी नहीं लगनी चाहिये वे पसन्द नहीं करते। सरकार का यह मानना भी है कि प्रजातन्त्र में चुने हुए व्यक्ति आयेंगे वे जनता पर टैक्स नहीं लगायेंगे। यह सरकार का दृष्टिकोण है लेकिन इसको कहने में सरकार संकोच अवश्य करेगी। वैसी हालत में सरकार यह चाहे कि एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू वह टैक्स लगा दे तो मैं समझता हूं यह मनोवृत्ति प्रजातन्त्रीय नहीं है। सरकार को चाहिये कि वह जनता के हाथ में इस प्रकार के अधिकार दे, वे टैक्स लगाना चाहे तो लगायें। जैसी भी व्यवस्था करना चाहें करें। जनता को इतनी हीन नहीं समझनी चाहिये कि म्युनिसिपैलिटी में चुने जाकर सदस्य इतने बुद्धिहीन हो सकते हैं। हो सकता है आज यदि चुनी हुई नगरपालिका होती और उसके सामने महतर हड़ताल करते और इस तरह शहर एक गन्दगी का ढेर बन जाता तो मन्त्री कहते कि नगरपालिका के सदस्य अयोग्य हैं पर आज किसको अयोग्य कहें ? आज अयोग्य नहीं हैं। एडमिनिस्ट्रेटर तो हमेशा योग्य रहे हैं। इसलिए कि उनकी सर्विसेज़ टर्मिनेट हो गई थी, पैंशन का काम था, पर विशेष कृपा होने से उस कृपा के फलस्वरूप उन को

Page No.109

(श्री भैरोंसिंह)

दूसरों का हक मार कर रिएम्प्लोय किया, वे सरकार के बड़े वफादार हैं। सरकार के मन्त्रियों को खुश रख सकते हैं। अब जनता की भावनाओं का और उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रश्न नहीं। रीएम्प्लॉयड अधिकारी हैं। जिस प्रकार सरकार का आदेश होगा, टैक्स लगा देंगे, सरकार को जितना जो कुछ कराना होगा, उनके द्वारा कराया जा सकेगा।

ऐसी स्थिति में मैं कहूंगा कि जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में नगरपालिका के टैक्स क्लेक्ट करने का और उसको उनके हित में खर्च करने का काम होना चाहिये। यह सही है कि कैसे लिये जावें वे टैक्स, कैसे किस किस काम में खर्च किया जावे इसके सम्बन्ध में रूल्स व्यवस्थित रूप से निर्धारित कर दें। जिसके अनुसार किसी व्यक्ति के अधिकारों पर अतिक्रमण न हो, ज्यादा न लिया जावे, समुचित बंटवारा टैक्स का होकर लोगों से पैसा इकट्ठा किया जावे। नियम बनाये हैं हमने, लागू भी होंगे। पर इस प्रकार की धारा की तलवार आप चाहते हैं उनके सिर पर लटकती रहे और जिससे लोग डरेंगे और काम करेंगे।

यह भी कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में विधान सभा को भंग करने का अधिकार है। लोक सभा भी भंग करने का अधिकार है। पर इससे होता क्या है? डेमोक्रेसी का जनाजा निकलता है। जिन जिन देशों में लोकसभा भंग हुई हैं, राष्ट्रपति ने अपने ऐसे अधिकारों का प्रयोग किया है वहां वहां डेमोक्रेसी का जनाजा निकल गया है। बल्कि डेमोक्रेसी की बुराई लोग करते हैं। तो जहां इस प्रकार की इमरजैन्सी पॉवर अख्तियार करते हैं तो बाद में क्या व्यवस्था होती है यह स्पष्ट है। अगर ऐसा प्रयोग भी करना है तो उस हालत में यह होगा जिसमें प्रजातान्त्रिक सरकार न होगी, बल्कि ऐसी होगी जो प्रजातन्त्र में विश्वास नहीं रखते हैं। राजस्थान की सरकार प्रजा-तान्त्रिक सरकार कहाती है। कहने को कहाती है, इसके कार्य बदले हैं या नहीं, इसमें मत-भेद है। पर जो व्यवस्था मोटे रूप में बता रखी है वह सारी प्रजातान्त्रिक है और मैं भी इस विश्वास पर चलूंगा कि कुछ कामों में भी वह प्रजातान्त्रिक है। इसलिए उसे ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिये।

पर प्रश्न आता है, मान लीजिये ऐसी परिस्थिति आजावे कि जब जनता और मेम्बरों में मतभेद हो जावे। मेम्बर जनता की इच्छा के विपरीत काम करते हों, तो जो प्रतिनिधित्व का दायरा है वह भी कम समझा जा सकता है। पर स्थिति में क्या होगा? विधान सभा भंग नहीं होगी राजस्थान सरकार को राज्यपाल को ऑर्डिनेन्स इश्यू करने का अधिकार है। वे खत्म नहीं होंगे। यदि आवश्यकता पड़ती है, इमर्जेन्सी आती है सरकार महसूस करती है कि ये प्रतिनिधि जनता की इच्छाओं के विपरीत काम करते हैं, जनता के आदेशों की तामील नहीं करते, तो आप ऑर्डिनेन्स इश्यू कर दीजिये। विधान सभा में बिल पेश कर दीजिये। कानून भी तो आप बहुत बनाते हैं, पर आप कहेंगे, जैसा मुझे आपके पहले वाले उत्तर से आभास होता है, कि इस प्रकार का प्रयोग किया नहीं है। केवल जोधपुर और जयपुर में किया था। पर इन प्रयोगों के स्थान पर दो बिल भी पेश किये जा सकते थे यहां उन पर बहस की जा सकती थी। आप

(श्री भैरोंसिंह)

किसी को भी डिज़ोल्व और सुपरसीड करते हैं, विधान सभा के सदस्य उस पर विचार नहीं कर सकते । बजट और गवर्नर महोदय के भाषण के अवसर पर अलोचना एक दो मिनिट के लिए की जा सकती है । प्रजातान्त्रिक अधिकार किसी के छिन गये हैं, इस पर विचार नहीं किया जा सकता । इसलिये अगर बिल या आँर्डिनेन्स से किसी को सुपरसीड करने की बात आप रक्खें तो विधान सभा में इस विषय पर आसानी से चर्चा हो सकेगी । सही बात भी सामने आवेगी, नगरपालिकाओं की तरफ़ से भी बात आवेगी कोर्ट के रूप में नहीं प्रतिनिधियों के रूप में हम सारी बातो पर बहस कर सकेंगे । उस समय सरकार विधान सभा में डिज़ोल्व या सुपरसीड करने के लिए बहस की जाय और यहां से निर्णय लेकर उसे कार्य रूप में परिणित किया जा सकता है । पर इस बिल के द्वारा ब्लेंक चैक पर विधान सभा की मोहर लगाना उचित नहीं है ।

सभापति महोदय, इस धारा को सदन में सभी सदस्य गम्भीरता से विचार करके इसका किस प्रकार का फायदा हो सकता है इसकी भविष्य की बात को ध्यान में रख कर अपना मत देंगे । अगर इसको इसी रूप में स्वीकार कर लिया तो यह मान कर चलना पड़ेगा कि जो कम्पलसरी टैक्सज के लिए प्रेशर टैकटिक्स चल रहे है उसी तरह दूसरी जगह भी चलेगा और कोई नगरपालिका का ऐसी स्थिति में सदस्य रहना पसन्द नहीं करेगा और नगरपालिकाएं इस तरह चल नहीं सकतीं । इसलिये उनको भी डिमोरेलाइज़ होना पड़ेगा । इसलिये इसका अच्छी तरह से विरोध करें ताकि सरकार इसको पास नहीं करा सके ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : (किशनगढ़) माननीय सभापति महोदय, यह जो क्लॉज़ रक्खी गई है इसके बारे में जो विचार प्रकट करने का अवसर मिला है इसके लिये विचार यह है कि नगरपालिका को भंग करने का और सुपरसीड करने का जो अख्तियार सरकार ने अपने हाथ में लिया है इसके लिये मैं समझता हूं कि यह बहुत ठीक है । और होना चाहिये ।

अब यह कहा जावे कि यह अधिकार लेने से प्रजातन्त्रिक का जनाज़ा निकल जावेगा या प्रजातन्त्र खतरें में पड़ जावेगा या प्रजातन्त्र किसी प्रकार से खटाई में गिर जावेगा यह मेरी समझ में नहीं आता । हम यह देखते हैं कि पार्लियामेन्ट देश के हित में कोई बात या कानून पास करती है, और अपनी विधान सभा यह चाहती है कि वह अपने राज्य में लागू न हो पर देश के हित में लागू करना आवश्यक है । इसी प्रकार विधान सभा प्रदेश के हित में जो कानून बनावे नगरपालिका का कर्त्तव्य होजाता है उसका पालन करें, उसे माने । अगर कोई टैक्स लगाने का कानून यहां पास किया जाता है और नगरपालिका यह कहे कि वह यह टैक्स नहीं लगावेगी तो क्या जो विधान सभा राज्य का संचालन करती है वह नगरपालिका को क्यों नहीं संचालन करे । इससे प्रजातन्त्र का जनाज़ा कैसे निकल जावेगा यह समझ में नहीं आता । प्रजातन्त्र में भी कानून है । अब इस कानून से क्या जनता का अहित होगा या प्रजातन्त्र के अधिकारों को धक्का लगेगा, वह देखना है ।

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

यह अवश्य है कि इसमें दो बातें रक्खी हैं, डिजोल्व करने की और सुपरसीड करने की। ये मेरी समझ में नहीं आतीं। दोनों को एक ही मान लिया। जब डिजोल्व करते हैं तो उसके लिए ट्रिब्यूनल बैठते हैं। वह जैसा आदेश देगा वैसा किया जावेगा। सुपरसीड में पहले शो काज नोटिस जावेगा कारण बताओ और इसके बाद ही सरकार सुपरसीड कर सकती है। पर इसके लिये टाइम रक्खा है। उस टाइम के दरमियान क्या करें। नये चुनाव की तैयारी की जावे। भंग और सुपरसीड एक तरह के हो गये। दोनों के बाद नया चुनाव होगा। तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्लॉज़ ४ के अन्दर जो यह रक्खा है डी सब क्लॉज़ ३ के ख के मुताविक चुनाव होगा। इस के लिए डिजोल्व के लिये भी यही अधिकार रक्खे हैं। तो ऐसी स्थिति में सुपरसीड और डिजोल्व अलग अलग करने की क्या आवश्यता महसूस हुई। बात आपको यह करनी थी कि आपको डिज़ोल्व करना है और दोनों के कारणों को एक माना है तो दोनों में ट्रिब्यूनल की बात क्यों नहीं रक्खी है। तो इसका मतलब यह होता है कि सरकार हर तरह से सत्ता रखना चाहती है किसी के लिए ट्रिब्यूनल मुकर्रर करना चाहे करे नहीं करना चाहें नहीं करे तो यह बातें मेरी समझ में नहीं आती और यह प्रजातन्त्र के खिलाफ़ हो सकती हैं और प्रजातन्त्र की कुछ हद तक हत्या हो सकती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री भैरोंसिंह : यह बात तो प्रजातन्त्र के खिलाफ़ है ही।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : क्योंकि जब हमने यह बात इस क्लॉज़ में मानी है कि किसी भी ट्रिब्यूनल द्वारा आप उसकी जांच करायेंगे....

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): जो आप कहते हैं इसी हत्या को तो जनाज़ा कहते हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : सभापति महोदय, मैं यह विचार प्रकट कर रहा था कि जब हमने इस धारा में डिज़ोल्यूशन और सुपरसेशन के लिये अलग अलग बातें नहीं बतलाई हैं और जो विवेचन किया है उससे मैं इत्तिफ़ाक़ तो नहीं करता हूं क्योंकि हमें सुपरसीड करना है तो भी ट्रिब्यूनल के सामने भेजना होगा। अगर सुपरसीड छः महीने तक करके और इन्क्वायरी करके भंग करने का ऑर्डर देते हैं तो अलग बात हो सकती है लेकिन यहां तो सुपरसीड करने के बाद भी नये चुनाव कराने हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह जो अधिकार सरकार ने लिये हैं यह कहां तक उचित हैं। इतना कहने के बाद में निवेदन करना चाहता हूं कि आज यह सुपरसीड करने के अधिकार सरकार के पास रहने चाहिए और अगर सरकार के पास यह अधिकार नहीं रहेंगे तो हम जिस जनतन्त्र को चलाना चाहते हैं वह नहीं चला पायेंगे। आज कोई पंचायत कोई खराब काम करती है तो उसे हटाना ही होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बलवंतराय मेहता कमेटी के अनुसार पंचायतें मुकर्रर की गई और पंचायतें चाहती हैं कि हम हिन्दुस्तान के अन्दर राज्य को नहीं चाहते हैं, प्रजातन्त्र को नहीं चाहते हैं तो क्या यह प्रजातन्त्र के खिलाफ़ नहीं होगा। एक पंचायत यह तय कर ले कि हमें प्रजातन्त्र नहीं चाहिए तो क्या यह तय कर दिया जायेगा कि प्रजातन्त्र नहीं

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

चाहिए। इसी तरह से जो विधान सभा कानून पास करती है और उस कानून की अवहेलना की जाती है तो उसका फर्ज है कि जो विधान सभा के द्वारा जो निर्मित सरकार है वह उसकी देखरेख करे। इसलिए यह सत्ता होनी चाहिए। इसलिए इस धारा को रखा जाना उपयुक्त है। सिर्फ मेरा जो विरोध है वह सुपरसीड और भंग करने के बारे में है। एक तो आपने ट्रिब्यूनल में रखा है और एक को आपने अपने हाथ में रखा है। जब आप किसी नगरपालिका को सुपरसीड कर देंगे तो फिर छः महीने के अन्दर ही चुनाव करा दो। इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए सरकार सोचे और इसमें संशोधन लाये। इसके अलावा जो धारा रखी गई है वह उपयुक्त है।

श्री सभापति : (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) श्री अनोपसिंह।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं मानता हूँ कि हर कानून के अन्दर ऐसा प्रावधान होता है, कि जिसके द्वारा सुपरवाइजिंग अथोरिटी या सोवरन अथोरिटी होती है और ,उसके हाथ में ऐसे सेविंग क्लॉज़ या ऐसे क्लॉज़ रहते हैं जिनके द्वारा कन्ट्रोल कानूनों के तहत सरकार के हाथ में या सोवरन बोडी के हाथ में रहें। अगर हम यह मानलें कि सोवरन पॉवर्स सरकार में नहीं हैं तो फिर किस के हाथ में सोवरन पॉवर्स हैं? अगर कोई सोवरन पॉवर है ही नहीं तो कानून के तहत बदनियती की बातें होती हैं और कानून की अवहेलना होती है और उसका अच्छी तरह से पालन नहीं होता है तो आखिर किसके हाथ में पॉवर्स रहनी चाहिये ताकि वह उनको एग्जीक्यूट करा सकें। यह हमें मान लेना चाहिये कि एक अथोरिटी ऐसी होनी चाहिये कि जो कानून का पालन कराये और उसके एग्जीक्यूशन में मदद दे। सुपरवाइज करे और अगर कहीं गलतियां हो रही है तो वह ठीक करे,अगर हम इस प्रिन्सिपल को मान लेते हैं तो यह सवाल आता है कि उसको एग्जीक्यूट किस तरह से करायें। यह बड़ी खेद की बात है कि, हमारे यहां पर अक्सर इस बात की चर्चा होती है कि हम यहां बैठ कर कानून बनाते हैं और सही दिमाग से कानून बनाते हैं, यह समझकर कि व्यवस्था को हमें ठीक करना है और व्यवस्था ठीक करने के लिहाज से ही कानून बनाये जाते हैं। लेकिन होता यह है कि उन्हीं कानूनों के तहत जो यहां सदन से बनकर बाहर जाते हैं उनका पालन ठीक तरह से नहीं होता है..

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : रामराज्य परिषद् में नगरपालिकायें कैसी बनेगी ?

श्री अनोपसिंह : रामराज्य परिषद् की जिस समय बनेंगी, उस समय तो आपको पूछा ही नहीं जायेगा। उस समय जैसी बनेंगी बन जायेंगी। आपकी पार्टी का ढ़र्रा तो हम देख ही रहे हैं।

श्री सभापति : आप तो चालू रखिये, सब राम राज्य ही है।

श्री अनोपसिंह : सभापति महोदय, यह बड़े खेद की बात है कि कांग्रेस के जो सदस्य हैं वह रामराज्य परिषद् को मानते हीं नहीं हैं। वह चाहते हैं कि रावण राज्य हो जाये। उनके हिसाब से तो जैसा वह रावण राज्य चला सकते हैं तो ठीक है।

Page No.113

श्री किशनसिंह बहड़ (लक्ष्मणगढ़) : यह तो रामराज्य है, रावण राज्य तो गया।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : जब ही हनुमानजी खड़े हो कर यह कह रहे हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : सभापति महोदय, हनुमानजी से आपका क्या मतलब है, यह स्पष्ट कर दें।

श्री मदनसिंह : वह सज्जन हैं जिनको हम प्रणाम करते हैं, जब भी क्षेत्र में जाते हैं।

श्री सभापति : किस वर्ग में चले गये, आप तो जारी रखिये।

श्री अनोपसिंह : मंगलवार के दिन यह कोई व्याख्यान चाहते हैं इसे तो कोई दूसरा ही बता सकता है।

सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि अगर हम कन्ट्रोल के प्रिंसिपल को मान लें कि किसी अथोरिटी के पास होना चाहिये तो किसके पास होना चाहिये। मैं मानता हूं और बाहर के लोग फील करते हैं, जनता फील करती है, अच्छे अच्छे आदमी जो कानूनों को जानते हैं, वह फील करते हैं कि हम कानून तो बना देते हैं लेकिन जो उनका पालन होना चाहिये वह नहीं होता है। इसलिए हमारी यह शंकायें हैं, हमारी आज डाउटफुल नेचर हो गई है और यह इसी कारण से हो गई है कि कानून के तहत हम जो कदम उठाते हैं, वह गलत हो जाते हैं। आपके कदमों को बढ़ाने के लिए कई कन्सीडरेशन्स हो सकते हैं। अक्सर होता यह है कि आप पार्टीबाजी में या गुट बन्दी में ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं, जो कि आप समझते हैं कि किसी तरह से कानून के मेज़र से देखा जाये, मोरेलिटी के मेजर से देखा जाये तो किसी तरह से भी पूरे नहीं उतरते। इसलिए हमारे अन्दर हमेशा शंका रहती है। आपको डिजोल्यूशन की पॉवर दे दी तो उसके बाद में आप उसको किस प्रकार से काम में लायेंगे तो यह सोचने की बात रह जाती है। इसलिए सभापति महोदय, मैं यह कहूंगा कि इस धारा में जो प्रावधान रखा गया है कि डिजोल्यूशन और सुपरसेशन यह गवर्नमेंट के हाथ में रहेंगे तो इसके बाद में ऐसा हो जाता है कि क्या इन्डेफिनीटनेस है, वेगनैस है। यह डेफीनेट नहीं है कि डिज्योल्यूशन होगा तो कब होगा और कब तक खत्म हो जायेगा। इसी तरह से सुपरसेशन होगा तो कब होगा और कब तक खत्म हो जायेगा। ऐसे ऐसे भी सुपरसेशन्स हो गये हैं जिनका कि दो दो वर्ष तक पता नहीं रहता। फिर उस समय आपकी डेमोक्रेसी नाम की चीज कहां रहती है! आप जनतन्त्र की दुहाई देते हैं वह कहां जाती है। साल साल दो दो साल तक म्युनिसिपेलिटीज बन्द रहती हैं और धांधली चलती है और जो एडमिनिस्ट्रेटर आप मुकर्रर करते हैं वह आपके हाथ में ही रहता है और उसके डिमोशन प्रमोशन ट्रान्सफर वगैरह जो कुछ भी हैं वह आपके हाथ में रहता है। इसलिए सभापति महोदय, मैं यही कहूंगा कि यह डेफीनेट कहने की जो मेरी इच्छा थी कि प्रावधान में ऐसा डेफीनेट रहता कि अमुक पीरियड के बाद कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहेगा डिजोल्यूशन खत्म हो जायगा या सस्पेनशन पीरियड खत्म हो जायगा यह निहायत जरूरी था in no case there shall be any extension in that period इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। आपका एडमिनिस्ट्रेटर

(श्री अनोपसिंह)

साल भर तक रहेगा, या दो साल रहेगा या तीन साल तक रहेगा। इस कारण आप बता सकते है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स ऐसे हैं जिनके कारण इलेक्शन नहीं करवा सकते, इस तरह की आप करते जा रहे हैं, इसलिये डाउट्स पैदा होते हैं, मैंने कोई इमजिनरी बात नहीं कही है। जगह जगह ऐसा किया है, हमने महसूस किया है और कई म्युनिसिपेलिटीज़ में अंधेर हो रहा है, काम नहीं हो रहा है उसको देखा है। इसलिये कैसे मान लें कि आप जो पॉवर्स ले रहे हैं उनको ठीक तरह से काम में लेंगे। हो सकता है कि आप काम में न लें लेकिन कमजोर दिल के आप भी हैं। आपके बहुत से मित्र भी हैं और वे दबाव डाल सकते हैं। जैसे एक माननीय सदस्य ने कहा था कि आपके जेब नीचे से लगता है और ऊपर से दबाव डालते हैं, तब आपकी हालत कैसी होती है ? दोनों चीज़ साथ होती हैं इसलिए आपके हाथ में नहीं रहता है। इस कानून की तहत वर्ड बाइ वर्ड एग्ज़ीक्यूशन होना चाहिये। जिस मंशा के पास करना चाहते हैं वह मंशा नहीं रहती इसलिये शक होता है। हमको सतर्क होना पड़ता है कि आगे क्या होगा।

सभापति महोदय, किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी फरमाया था कि यह बिल्कुल वाजिब बात है गवर्नमेंट के पास वे पॉवर्स होनी चाहियें, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, डेमोक्रेसी का जनाजा निकल जायगा। मैं कहता हूँ कि डेमोक्रेसी का जनाजा तो रोज निकलता है, आपकी आंखों के सामने, और आप खुद देखते हैं। डेमोक्रेसी की मोकरी उड़ाने में आप खुद साथ हैं। आज आप सिद्धान्त बघारने बैठें और कहें कि डेमोक्रेसी के नाम पर यह करना चाहते हैं, वह करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि डेमोक्रेसी का गला सब से ज़्यादा यदि किसी ने घोटा है, तो आपने और आपकी पार्टी ने घोटा है और मन्त्रीजी के हाथ ऐसे बांधे हैं कि उनको बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं है..

श्री पुरुषोत्तमलाल : आप ....

श्री अनोपसिंह : आप इतना जोश मत दिखाइये। इसलिये सभापति महोदय, अब आगे सुपरसेशन और डिजोल्यूशन की बात करूंगा....

श्री सभापति : अब तक क्या कर रहे थे ?

श्री अनोपसिंह : डिजोल्यूशन होगा तो क्या होगा और सुपरसेशन होगा तो क्या होगा यह अर्ज नहीं किया। माननीय सभापति महोदय, जब मैंने इसे देखा तो मालूम हुआ कि सुपरसेशन के बाद क्या होगा ? सुपरसेशन क्या होगा वही का वही होगा। मेम्बर्स और चेयरमेन बोर्ड की सिटिंग नहीं करेंगे। अमुक तारीख तक बैठे रहेंगे। वे वापिस चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन चुनाव से पहले किसी तरह का काम नहीं कर सकते। यह बात होने वाली है। डिजोल्यूशन किस को कहते हैं और सुपरसेशन किसको कहते हैं, इसको समझना बाकी रह गया। डिजोल्यूशन यह होगा कि जिसको डिज़ोल्व करदें उसको वापिस खड़ा नहीं कर सकते। वे मेम्बर्स वापिस चुनाव में नहीं आ सकते। और सुपरसेशन वहां होगा जहां आप किसी तरह की अमुक

(श्री अनोपसिंह)

इन्क्वायरी करना चाहते हैं, इन्क्वायरी खत्म करके जो चारजेज़ लगाये हैं, उनको खत्म करने बाद वापिस ठीक करने के लिये सुपरसेशन को हटाकर वापिस कायम कर सकेंगे। लेकिन सुपरसेशन और डिजोल्यूशन में किसी तरह का फर्क नहीं रहा। इसलिये इस पर भी विचार होना चाहिये था और मंत्री जी को यह बताना चाहिये था कि सुपरसेशन और डिजोल्यूशन में फर्क क्या होगा। मेरे ख्याल से नतीजा एक ही होगा। इफेक्ट इन्सटिट्यूशन पर पड़ेगा वह एक ही तरह का पड़ेगा। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि डिजोल्यूशन और सुपरसेशन नाम की दो चीजें रखी हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। दोनों में एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया जा सकता है, दोनों में चेयरमेन और मेम्बर्स जाते हैं। एक में यह तो है कि बैठ कर तय करते हैं कि चार्जेज़ क्या हैं लेकिन दूसरे में कोई कहने वाला नहीं है। सुपरसेशन किस कारण से होगा, कारण क्या है यह कोई बतलाने वाला नहीं है। इसलिये किया जाता है कि ठीक काम नहीं किया। ठीक काम नहीं करते हैं तो हटा दिये जाते हैं सुपरसेशन करना और चीज़ है और नौकरी से किसी कर्मचारी को हटाना और चीज़ है। यदि निर्णायक उचित समझता है तो नौकरी से हटा देता है। यदि आप यह समझते हैं कि लायक और नालायक दोनों हो सकते हैं तो सस्पेन्शन हो सकता है। दोनों में किसी तरह का फर्क नहीं रखा है। सुपरसेशन और डिजोल्यूशन दोनों एक ही तरह की बातें हैं। इसलिये सभापति महोदय, मैं यह नहीं चाहता कि जरूरत के ज्यादा अर्ज करूं। जो बातें अर्ज करनी थीं वे रखदी गई हैं। मैं समझता हूँ २६१ क्लॉज़ अहमियत का है। इसकी इम्पोरटेन्स को समझकर इसको अभी डेफर करना और बाद में निर्णय लिया जाना ठीक होगा।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : अब केवल २ ही मिनिट रह गये हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : समय तो हो गया है फिर भी....

श्री सभापति : We adjourn for tomorrow to meet at 11 A. M.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ४. ५८ पर बुधवार दिनांक ८ अप्रेल १९५९ म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

Page No.116

संक्षिप्त-विवरण

(मंगलवार, ७ अप्रेल, ५६)

स्कम्भ | स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

बीकानेर शिक्षा विभाग के एक यू.डी.सी. को वेतन वितरण ।

तहसील लूणकरणसर व बीकानेर में ढाजब्रान्छ में तावान की वसूली ।

शिक्षा विभाग बीकानेर पर व्यय ।

दलितवर्ग के परिवारों को मकान बनाने हेतु सहायता ।

हाईस्कूलों को हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में परिवर्तन ।

तहसील लूणकरणसर में चरागाह का अभाव ।

अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड के निर्णयों पर कार्यवाही ।

तहसील जसवन्तपुरा में तकावी वितरण ।

बांगड़ हाईस्कूल को इन्टरमिडियेट कॉलेज या हायर सेकेन्डेरी स्कूल में परिवर्तन ।

तहसील कोटपुतली में किसानों द्वारा खेत बढा कर ग्राम रास्तों को रोकने के सम्बन्ध में ।

६६५६ पाली तहसील में सामुदायिक विकास योजना कार्य ।

देवस्थान विभाग की बकाया रकम ।

लालसोट हाईस्कूल के लिये कमरों का निर्माण ।

जसवन्तपुरा मिडिल स्कूल को हाईस्कूल में परिवर्तन ।

ग्राम भांडू खुर्द के अग्नि पीड़ितों को सहायता ।

फलोदी तहसील के ग्राम भाप में नमक बनाने के प्लाटों के लिये अर्जियां ।

खानपुर हाई स्कूल में फर्नीचर, अध्यापकों तथा भवन की कमी ।

जागीरदारों के बोन्ड्स में से कटौती ।

ग्राम बहनेरा में मिडिल स्कूल की स्थापना ।

भूतपूर्व जयपुर राज्य के सिटी सर्वे के कर्मचारियों का फिक्सेशन ।

दांतल, बड़नगर व भोनावास ग्रामों में स्कूल की स्थापना ।

नये प्राइमरी, मिडिल व

स्कन्भ		स्कम्भ	
हाईस्कूल व डिग्री व पोस्ट कॉलेजों की संख्या।		मोहनलाल सुखाडिया, मुख्य मन्त्री द्वारा एक वक्तव्य दिया गया।	
मौजा हिरनई तहसील भीलवाड़ा की मौजा बांध से सिंचित भूमि का वितरण।		**विधायी कार्य**	
ज़िला बांसवाड़ा के अध्यापकों की वेतन शृंखला वृद्धि।		**राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १९५७**	६७३०
रायपुर तहसील में लोहे की खान।		उपरोक्त विधेयक पर आज खण्ड २११ से विचार आरम्भ हुआ।	
दौसा इन्टर कॉलेज के लिये छात्रावास।		खण्ड २१२, २१३, २१७, २२७, २२९, २३२, २३६, २३७, २४६, २५०, २५६, २६०, २६७, २६९, २७२, २७३, २७४, २७५, २७७, २८३, २८४, २८६, २८७ एवं २८९ संशोधित रूप से स्वीकृत हुए।	
शिक्षा विभाग के निरीक्षक एवं उप--निरीक्षक।			
अतारांकित प्रश्नोत्तर।	६७१०		
कृषि-योग्य बंजर भूमि डूंगरपुर ज़िले में राजकीय प्राथमिक पाठशालाएं।		खण्ड २११, २१४, २१५, २१६, २१९, २२०, २२१, २२२, २२३, २२४, २२५, २२६, २२८, २३०, २३१, २३९, २४०, २४१, २४७, २४८, २४९, २५२, २५३, २५४, २५५, २५७, २५८, २५९, २६१ से २६६, २६८, २७०, २७१, २७६, २७८, २७९ से २८२, २८५, २८८, एवं २९० बिना किसी संशोधन	
भरतपुर में सरकारी खाम ज़मीन			
बीकानेर तहसील में सादुल फ्री वाटर सप्लाई फंड से दी गई रकम जिन्सवार का फिगर मिलान।			
उदयपुर डिविजन में प्रशासनिक इमारतें।			
वक्तव्य			
कतिपय राजकीय विभागों द्वारा ३१ मार्च, १९५९ के पूर्व बिना सामान की प्राप्ति के उनके बिलों का भुगतान किये जाने से संबंधित श्री भैरोंसिंह (१४) के स्थगत प्रस्ताव पर आज श्री			

के स्वीकार किये गये।

खण्ड २३३, २३८, २४२, २४३, २४४, एवं २४५ विलोपित किये गये।

खण्ड २१८, २३४, २३५ एवं २५१ स्थगित किये गये।

खण्ड २२६-ए, २३६-ए बी, २३७-ए एवं २३७-बी नये जोड़े गये।

खण्ड २६१ पर बहस हो रही थी कि सदन की बैठक ४ बजकर ५८ मिनिट पर बुधवार, दिनांक ८ अप्रेल, १९५९ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

बुधवार, ८ अप्रेल, ५९ की कार्य सूची।

१. धौलपुर में विधि और व्यवस्था की स्थिति सम्बन्धित स्थगन प्रस्ताव।

२. राजस्थान नगरपालिका विधेयक, ५७ (खण्डशः विचार विमर्श)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६३२ का उत्तर देखिये)

List of tours undertaken by Deputy Director Social Education Bikaner/Jaipur.

HQ. Bikaner.

1 Jaipur
2 Jaipur
3 Jaipur
3 Kotah
5 Jaipur
6 Jaipur
7 Pokran
8 Jodhpur
9 Jaipur
10 Neemkathana
11 Jaipur
12 Ladnu
13 Narainpura
14 Jaipur
15 Jaipur
16 Jaipur
17 Kishangarh
18 Ajmer
19 Jaipur
20 Jaipur

HQ. Jaipur

21 Bikaner
22 Bikaner
23 Bikaner
24 Bikaner
25 Bikaner
26 Nokha

27 Jodhpur
28 Marwar
29 Sojat
30 Barmer
31 Masuda
32 Ajmer
33 Bikaner
34 Kotah
35 Jaipur
36 Abu Road
37 Bikaner
38 Gwalior
39 Delhi
40 Jodhpur
41 Jodhpur
42 Bikaner
43 Alwar
44 Delhi
45 Bari
46 Bansko
47 Bansko
48 Bansko
49 Chirawa

An expenditure of Rs. 2598. 10 was incurred on above tours.

List of tours undertaken by Deputy Director of Education, K o t a.
From July 57 to March, 1958.

1 Indergarh
2 Baran
3 Hindaun
4 Karauli
5 Gangapur
6 Bundi
7 Keshoraipatan
8 Bikaner
9 Bikaner
10 Bundi
11 Jhalawar
12 Jhalawar
13 Bharatpur
14 Karauli
15 Hindaun
16 Bikaner
17 Jaipur
18 Jaipur
19 Jodhpur
20 Bayana
21 Bhusawar
22 Jhalawar
23 Bharatpur
24 Bari
25 Dholpur
26 Jaipur
27 Ajmer
28 Baran
29 Khanpur
30 Jhalawar
31 Tonk
32 Rajmahal

33 Malpura
34 Lambaharisingh
35 Deoli
36 Chhabra
37 Jhalawar
38 Pirawa
39 Sunel
40 Bikaner

An expenditure of Rs. 1594. 17 Np incurred on above tours.

List of tours undertaken by Deputy Director of Education, Udaipur.
From 1.4.57 to 31.3.58.

1	Jaipur
2	New Delhi
3	Govardhanvilas
4	Samani Khera
5	Kotharia
6	Kankroli
7	Gandbi Sewa Sadan
8	Rajnagar
6	Bhinder
10	Kanore
11	Batewar
12	Mt- Abu
13	Kankroli, Rajnagar
14	Jaipur
15	Gogunda
16	Kherwara
17	Rishabdeo
18	Govardhanvilas
19	Pratapnagar
20	Chittor
21	Ajmer
22	Fatehnagar
23	Kapain
24	Nimbahera
25	Chhoti Sadari
26	Eklingji & Kankroli
27	Bikaner
28	Pratapnagar, Dabok
29	Nathdwara
30	Rajnagar
31	Relmagra
32	Govardhanvilas

33 Bhilwara
34 Gulabpura
35 Raila
36 Hurda
37 Sareri
38 Bhilwara
39 Delhi
40 Dungarpur
41 Ameth
42 Sardargarh
43 Kelwa
44 Bhuwana
45 Kankroli
46 Rajnagar
47 Mohi
48 Bikaner
49 Garhi
50 Partapur
51 Jolana
52 Banswara
53 Jodhpur
54 Madras & Mysore
55 Ajmer
56 Shahpura
57 Chittor
58 Bhilwara
59 Rishabdeo
60 Verda
61 Sagwara
62 Khargada
63 Kushalgarh
64 Nathdwara
65 Kelwara

66 Bikaner
67 Jahazpur
68 Shahpura
69 Jaipur
70 Sagwara
71 Partapur

An expenditure of Rs. 1751.
64 was incurred on above tours.

List of tours undertaken by Deputy Director of Education, Bikaner.
From July 57 to March, 1958,

1	Churu
2	Jhunjhunu
3	Churu
4	Ganganagar
5	Nawalgarh
6	Jhunjhunu
7	Churu
8	Ganganagar
9	Gajsinghpur
10	Raisinghnagar
11	Muklawa
12	Suratgarh
13	Hanumangarh T.
14	Hanumangarh C.
15	Sangaria
16	Gajsinghpur
17	Sadulpur
18	Jhunjhunu
19	Sikar
20	Fatehpur
21	Ratangarh
22	Jodhpur
23	Sikar
24	Neemkathana
25	Khetri
26	Chhajakanangal
27	Gorir
28	Jhunjhunu
29	Churu
30	Churu
31	Parihara

32	Ratangarh
33	Deshnoke
34	Kolayat
35	Ajmer
36	Hanumangarh
37	Hanumangarh
38	Sangaria
39	Jhunjhunu
40	Nawalgarh
41	Ratannagar
42	Churu
43	Ratangarh
44	Sardarshahr
45	Churu
46	Sikar
47	Mandawa
48	Sangaria
49	Sangaria
50	Ganganagar
51	Chunwat
52	Ratewala
53	Ganguwala
54	60 R. B.
55	H. S. Raisinghnagar
56	Gajsinghpur
57	Ganganagar
58	Nohar
59	Bhadra
60	Ninan
61	Chhanibadi
62	Bhirani
63	Dabli
64	Jogiwala
65	Jaipur
66	Sikar
67	Churu

An expenditure of Rs. 1606.33 Np was incurred on above tour.

List of tours undertaken by Deputy Director of Education, Jodhpur From 1.4.57 to 31.3.58.

1	Pokran
2	Jaisalmer
3	Barmer
4	Jaipur
5	Kuchaman City
6	Jaipur
7	Bhimal
8	Jaswantpur
9	Bikaner
10	Jaipur
11	Jaipur
12	Nagaur
13	Mundawa
14	Basani
15	Bikaner
16	Phalodi
17	Lordia
18	Barmer
19	Visnala
20	Ajmer
21	Kuchaman City.
22	Deedwana
23	Sankada
24	Pokran
25	Phalodi
26	Sirohi
27	Bikaner
28	Baleshwar
29	Snmerpur
30	Sheoganj
31	Nana

32 Falna

33 Marwar Junction

34 Paldi

35 Jaipnr

An expenditure of Rs. 1130.18 Np was incurred on above tours.

List of tours undertaken by Director of Education, Rajasthan, Bikaner.
From 1.4.57 to 31.3.58

1	Sangaria
2	Jaipur
3	Delhi
4	Jaipur
5	Kota
6	Tonk
7	Ajmer
8	Jodhpur
9	Udaipur
10	Nathdwara
11	Bhin
12	Ajmer
13	Jaipur
14	Ajmer
15	Jaipur
16	Jodhpur
17	Jaipur
18	Jaipur
19	Delhi
20	Jaipur
21	Jaipur
22	Jaipur
23	Jaipur
24	Delhi
25	Jodhpur
26	Phulera
27	Asalpur
28	Jobner
29	Udaipur
30	Jaipur
31	Jaipur

32	Jaipur
33	Jodhpur
34	Udaipur
35	Nawaigarh
36	Churu
37	Jaipur
38	Ajmer
39	Jaipur
40	Jaipur
41	Ratangarh
42	Fatehpur
43	Jaipur
44	Delhi
45	Jodhpur
46	Jaipur
47	Ajmer
48	Nagaur
49	Ajmer
50	Jaipur
51	Jaipur
52	Delhi
53	Jhunjhunu
54	Jaipur
55	Delhi
56	Jaipur

Ae expenditure of Rs. 4240.03 Np was incurred on above tours.

List of tours undertaken by Depnty Director of Education, Jaipur.

From 1.4.57 to 31.3.58.

1	Dhurgapura
2	Jobner
3	Ajmer
4	Kaladera
5	Sawai Madhapur
6	Ajmer
7	Kishangarh
8	Kishangarh
9	Bandikui
10	Bandikui
11	Rajgarh
12	Phulera
13	Alwar
14	Rajgarh
15	Alwar
16	Banasthali
17	Jobner
18	Alwar
19	Rajgarh
20	Rajgarh
21	Goner
22	Sikar
23	Sanganer
24	Bikaner
25	Phulera & Jobner
26	Kishangarh
27	Hatundi
28	Pushkar
29	Ajmer
30	Deoli
31	Rajgarh

32 Alwar
33 Majarikalan
34 Tijara
35 Woodland Sanganer
36 Bikaner
37 Ajmer
38 Alwar
39 Chómu
40 Jodhpur
41 Hatundi
42 Dausa
43 Goner
44 Jamwaramgarh
45 Varsi
46 Maurija
47 Roopnágar
48 Ajmer
49 Chaksu
50 Kothun
51 Kaladera
52 Sanganer
53 Ajmer
54 Kishangarh
55 Bikaner

An expenditure of Rs. 2056.25 Np was ncurred on the above tours.

[६६०७

परिशिष्ट २ (क)

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६३३ का उत्तर देखिये)

Statement showing the aid sanctioned for construction of Houses for the year 1955-56 for scheduled Caste Families.

S. No.	Name of Distt.	Name of Place	Amount sanctioned.	Name of House.
1.	Sawai Madhopur.	Maholi.	7,700	22
2.	Kota.	Ramnagar	7,000	20
3.	Jaipur.	Kishangarh renwal	5.600	16
4.	Tonk.	Gandhigram	3,500	10
5.	Sikar.	Khuri.	1,400	4
6.	Sikar.	Pritimpura.	1,050	3
7.	Sikar,	Khachriawas.	6,300	18
8.	Jhunjhunu.	Nirahanu.	7.250	22
9.	Jodhpur.	Mandera.	1,520	11
10.	Jodhpur.	Bilara.	425	2
11.	Jodhpur.	Khakaria.	1,055	12
12.	Jodhpur.	Mandore.	655	25
13.	Jodhpur.	Bhopalgarh.	3,500	10
14.	Jodhpur.	Piparcity.	6,550	19
15,	Jodhpur,	Mandore.	350	1
16.	Bikaner.	Ramsar shivbari.	7,000	20
17.	Udaipur.	Dhola Mathoru.	3,250	13
18.	Udaipur.	Laka Lakedwas.	7,000	20
19.	Bundi.	Ramnagar.	7,000	20

1956—57

१	२	३		४
1.	Jaipur.	Kundanpura.	16,800	48
2.	Jaipur.	Vimalpura.	4,550	13
3.	Jaipur.	Bhagirathpura.	10.50	3
4.	Jaipur.	Lalawala.	2,450	7
5.	Jaipur.	Kishangarhrenwal.	350	1
6.	Sikar.	Kanwat.	13,650	39
7.	Bikaner.	Palana.	17,500	50
8.	Udaipur.	MalaTalai.	17,500	50
9.	Udaipur.	Salumbar.	5,950	17
10.	Banswara.	Bhudanpura-	350	1
11.	Pali.	Falana.	5,250	15
12.	Pali.	Sewari.	17,500	50
13.	Jaisalmer.	Ramdoore.	3,300	10
14.	Jodhpur.	Sewaria.	700	2
15.	Jalore.	Sanchore.	3,500	10
16.	Sawai Madhopur.	Bhartpur,	17,500	50
17.	Bhartpur.	Bayana.	11,900	34

परिशिष्ट [६६०६

(1957-58)

S. No.	Name of District.	Name of Place.	Amount Saction.	Number of Houses.
1.	Jaipur.	Choimu.	4,200/-	12
2.	Jaipur.	Sanganer.	17,500/-	60
3.	Jaipur.	Jaipur.	27,700/-	42
4.	Sikar.	Raisawipur.	17,150/-	42
5.	Sikar.	Dhani.	2,450/-	7
6.	Sikar.	Luniwalon ki.	350/-	1
7.	Bhartpur.	Reavidaspura.	5,600/-	16
8.	Udaipur.	Kaurawad.	17,500/-	50
9	Tonk.	Malpura.	7,700/-	22
10.	Churu.	Bardasar	17500/-	50

परिशिष्ट

(1958—59)

१	२	३	४	५
1.	Jaipur.	Fatehtiba.	2,250/-	3
2.	Jaipur.	Kundanpura.	1,500/-	2
3.	Jaipur.	Lakhesara.	2,800/-	8
4.	Jaipur.	Fatehtiba.	1,200/-	4
5.	S. Madhopur.	S. Madhopur.	750/-	1
6.	Pali.	Bali.	900/-	2
7.	Ajmer.	Kayar.	12000/-	16
8.	Ajmer.	Sri Nagar.	250/-	1
9.	Ajmer.	Pranhera.	6,750/-	9
10.	Ajmer.	Chhatri.	750/-	1
11.	Bharatpur.	Rairdaspura.	4,500/-	6
12.	Bhartpur.	Shonpura..	15,500/-	21
17.	Sikar.	Dhaniluniwalon ki	2,100/-	3
14.	Udaipur.	Mulatalal.	3,500/-	5
15.	Udaipur.	Girwa.	15,000/-	50
16.	Ganganagar	Raisinghnagar.	3,850/-	11
17.	Bikaner.	Padumpura.	23,250/-	31

———

परिशिष्ट २ (ख)

समाज कल्याण विभाग द्वारा बनाई गई हरिजन कोलोनीज की सूची

क्र० सं०	स्थान	ज़िला	स्वीकृत धनराशि
१	कुन्दनपुरा	जयपुर	२८,३००
२	सीवाड़ी	पाली	२६,०००
३	चरकपुरा	सवाई माधोपुर	२६,०००
४	मुला तलाई	उदयपुर	२६,०००
५	कांवट	सीकर	२३,४००
६	सांगानेर	जयपुर	३०,५००
७	बरदा	चूरू	३०,५००
८	कुरावाड़ा	उदयपुर	३०,५००
९	फतह टीबा	जयपुर	२७,७००

———

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६४१ का उत्तर देखिये)

फहरिस्त जागीरदार जिनके जुम्मे कर्जे की वसूली जागीर कमिश्नर द्वारा फार्म नं० १० के द्वारा की जा रही हैं (देवस्थान विभाग उदयपुर)

क्रम सं०	नाम जागीरदार	रकम बकाया तारीख १-३-५६	विशेष विवरण
१	२	३	४
	घुलेव भण्डार		
१.	श्री सावन्तसिंहजी जागीरदार भंनडा	१६५६३—१—०	फार्म नं० १० जागीर कमिश्नर के पास भेजे जाचुके हैं और जागीरदारान को मिलने वाली मुआवजे की रकम से वसूली की कार्यवाही की जा रही हैं।
२.	श्री मदनसिंह जी जागीरदार थाणा	४६८३—२—०	
३.	श्री गुलाबसिंह जी जागीरदार भण्डपोया	५१६—०—६	
४.	श्री पन्नालालजीकोठारी जागीरदार पीपलीया	६४१०—१५—०	
५.	श्री चरणदासजी जागीर निम्बाहेडा	८०६३—१५—०	
६.	श्री भैरुलालजी सनाढ्य जागीरदार लाल्या डोली	४६२४—१—३	
७.	श्री मानसिंहजी जागीरदार रावतपुरा	३६०६—४—०	
	कुल योग	४८८००—७—०	
	बल्लभ भण्डार		
८.	श्री बलवन्तसिंह जी जागीरदार पाहडा	५४६०—०—३	
९.	श्री माधोसिंह जी जागीरदार कुतवास	३०३३—३—९	
१०.	श्री शम्भुसिंह जी जागीरदार बम्बोली	७८३३—२—०	
११.	श्री रामसिंह जी जागीरदार तीरोली	७१६२—१०—०	
१२.	श्री चतरसिंह जी जागीरदार भीलवाडा	३६००—१—६	

१३.	श्री केशरीसिंह जी जागीरदार फतेहपुरा	२५३–११–६
१४.	श्री हसन जी जान मोहम्मद जी जागीरदार रतनपुरा	२५१६६—०–६
१५.	श्री विजयनाथ जी जागीरदार जालमपुरा	२४०८—०–३
१६.	श्री शम्भूसिंह जी जागीरदार खेजी	५६२५—५–६
१७.	श्री ईन्दरमल जी कुन्दनमल जी जागीरदार परासोली	४४१०१–११–६
१८.	श्री सुमेरमल जी जागीरदार परासोली	५७६८–११–३
	योग	१११८०५–१०–६

जगदीश भण्डार

१६.	श्री विजयसिंह जी जागीरदार ऊंचा	३२६५–१४–०
२०.	श्री उदयलालजी जागीरदारमऊचौधाना	२३१६—४–६
२१.	श्री मीठालालजी जागीरदारमऊ चौधाना	३६७–११–६
२२.	श्री भैरूसिंह जी जागीरदार चावडीया	५६६०—८–६
२३.	श्री मोतीलाल जागीरदार बासनी	६३६६–१५–०
२४.	श्री नरदेवसिंह जी जागीरदार कुरावड	२६१२१–६–०
२५.	श्री भुपालसिंहजी जागीरदार बीरधोलिया	७७५६–१४–०
२६.	श्री सगतसिंहजीजागीरदार छोटीरूपायवी	१२४०—७–०
२७.	श्री दयानन्दजीभट्टजागीरदार खेमालिया	२६४८—१–०
२८.	श्री नथराय जी माफीदार बीनाकिया	२३५७६–१५–३
२६.	श्री परसोतमलाल जी मौजा केसूली	२१६८–१०–०
३०.	श्री मानसिंह जी जागीरदार कोठारीया	१४१४–१०–०
३१.	श्री हरीसिंह जी जागीरदार साणा	१०१६३७–१४–६
३२.	श्री भगवतीलाल जी माफीदार	१६७—८–६
३३.	श्री बख्तावरसिंहजी माफीदार (मावली)	१८५३७८–१२–६
	कुल योग	३४४६८४–१४–०

फहरिस्त कर्जदारान जिनकी वसूली की कार्यवाही पी० डी० आर० के जेरतहत चल रही है देवस्थान विभाग उदयपुर डिवीजन उदयपुर

क्रम सं०	नाम कर्जदारान	बकाया रकम १–३–५६	विशेष विवरण
१	२	३	४
	धुलेव भण्डार		
१.	करणादत पिता सुखदेव पालीवाल सा० नाथद्वारा	६४३५––१–३	वसूली की कार्यवाही
२.	कृष्णकान्त पिता परशुराम पालीवाल सा० नाथद्वारा	६५५७––३ ६	पी. डी. आर के जेर तहत चल रही है।
३.	कालु पिता फतेह मोहन्द कुजडा सा० उदयपुर	४४३–१२–६	
४.	गुलाबसिंह जी पिता धन्नालाल जी पन्चौली सा० उदयपुर	१५६१—६–३	
५.	चेनराम पिता नवला जी पालीवाल सा० केसूली	६६४२—५–६	
६.	चुन्नीलाल पिता मोहनलाल लौहार सा० उदयपुर	६०६२—०–०	
७.	छोटु पिता नगसू कुजडा सा० उदयपुर	३१६–१५–०	
८.	दीवानसाह उर्फ अमीरखां सा० उदयपुर	२६६—६–०	
९.	भैरूलाल पिता रतना जी पालीवाल सा० कांकरोली	४२६०—०–०	
१०.	लीलाशंकर पिता केसरीलाल जी मैनारिया सा० धुलेव	२०३—६–७	
११.	भवानीशंकर पिता देवीचन्द जी भण्डारी सा० धुलेव	२२६६—१–६	
१२.	धीरजलाल पिता छगनलाल सुमरोत सा० धुलेव	४१४७—६-६	
१३.	अमृतनारायण जी माथुर सा० उदयपुर	३०१६—०–६	
	योग	४८६४२—०–६	
	बल्लभ भण्डार		
१४.	फतेहलाल जाट सा० नाथद्वारा	३०४—६–६	
१५.	राधाकिशन पालीवाल सा० नाथद्वारा	७२५२ –३–३	
१६.	श्री शिवलाल पिता हीरालाल पालीवाल सा० नाथद्वारा	१०६६–१२–६	

Page No.142

१	२	३	४
१७.	श्री जगदीशचन्द्र पिता बालकिशनजी पालीवाल सा० नाथद्वारा	७०३६–१२–९	
१८.	श्री जमनालाल पिता दुर्गाशंकर जी चौबीसा सा० उदयपुर	३००—३–९	
१९.	श्री इन्दरलाल पिता शंकरलाल जी कछावा सा० शहर	१०५६–११–०	
२०.	श्री देवीलाल पिता बालकिशन सोनी सा० उदयपुर	२९१६- १४–३	
२१.	श्री मनोहरलाल पिता लक्ष्मीलाल जी आमेट, सा० उदयपुर	३४४—१०–३	
२२.	सुन्दरलाल पिता हीरालाल जी तोसरा सा० उदयपुर	४४६––०–०	
२३.	मोहनलाल पिता अमरचन्द जी वर्मा सा० रायपुर	१५९–१५–९	
२४.	मुरदास पिता गोपालदास बैरागी सा० चौकडी	२१५–१०–०	
२५.	श्री शिवशंकर पिता परसराम श्रीमाली सा० उदयपुर	१०६८–१४–९	
२६.	श्री मदनसिंह पिता फतेहसिंह जी लौढा सा० भदराय	१५८–१५–०	
२७.	इन्दरलाल पिता रामप्रतापजी विजयवर्गी रेल मगरा	३१३—०–०	
२८.	अब्दुलमजीदखां पिता वजीरखां मुसलमान सा० भीलवाडा	६६––९–०	
२९.	श्री कल्याणमल पिता केशरीमल जी मेहता सा० शहर	१७०—८–३	
३०.	श्री जगतनारायण पिता गंगादास	३४–१२–०	
	कुल योग	३२४१७–१५–०	

१	२	३	४

जगदीश भण्डार

३१.	श्री रामकिशन विजयवर्गी सा० माहोली	२०१-११-३
३२.	श्री गोकल अहीर सा० मालपुरा	२०३३१--३-०
३३.	भूरेखां मुसलमान सा० कांकरोली	१८६३-११-६
३४.	भैरूलाल समेशरा सा० उदयपुर	४६७—३-०
३५.	परसोतम चौधरी सा० नाथद्वारा	८५७८-१२-३
३६.	मोहनसिंह पिता बख्तीसिंह सा० आजरेडा	३१२—६-०
३७.	राधाकिशन पिता मोतीलाल सा० बालरेडा	७०५१-११-६
३८.	लछमनसिंह पिता हीरालाल पन्चोली सा०	१३६-१५-६
३९.	केशरीलाल पिता जगन्नाथ पालीवाल सा० शहर	५७-१५-६
४०.	राजसिंह मेहता सा० उदयपुर	५६६---६-२
४१.	नसीरूदीन मुसलमान सा० शहर	२७७---०-०
४२.	सेठ मुलचन्द सुगचन्द	१०१५००—०-०
४३.	श्री गोपालजी मेहता सा० बीकानेर हाल उदयपुर	६३५६६---६-६
	योग	२०५०३७-१४-२
	कुल योग तीनों भण्डारों	२८६०६७-१२-६

फहरिस्त कर्जदारान जिसकी वसूली की कार्यवाही विभाग द्वारा की जा रही है ।

क्रम सं०	नाम कर्जदारान	रकम बकाया १-३-५६	विशेष विवरण
१	२	३	४
	धुलेव भण्डार		
१.	सेक्रेटरी ओनरेरी फिल्ड उदयपुर	३६५५६—६—०	फिल्ड में ५ बीघा ज़मीन अपने कर्ज के पेटे बेचना चाहता है जिसकी स्वीकृति हो चुकी है व ज़मीन का मोकान नामा लिखाने की कार्यवाही जारी है ।
२.	आर्य समाज आमेर	२,३७,९२७—१४—०	बिल्डिंग व ज़मीन के विरूद्ध अदालत से डिग्री हासील की गई जिसकी कार्यवाही जारी है ।
३.	श्री जवानमल फुलचन्द	५०००—०—०	
४.	श्री छपलाल पिता नाथूलाल केपुरा	३००—०—०	
५.	श्री मन्नालाल पिता हीरालाल लालटी	४३०—०—०	
	योग	३८०६१४—१२—०	
	बल्लभ भण्डार		
६.	श्री गुलाबसिंह पिता अमरमलजी दोकरना सा० का—गौड	३२२—५—३	
	जगदीश भन्डार		
७.	श्री नीलकण्ठ मुछमल सा० उदयपुर	११२६—१४—०	
८.	श्री लछमणसिंह पिता भीमसिंह पन्चौली	३०—०—०	
९.	श्री लालचन्द पन्चौली सा० उदयपुर	४२७—७—०	
१०.	श्री मानसिंह जी लौडा	४७५—१—०	
		२७५२—६—०	
	कुल योग	२,८२,६८६—७—३	

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६५? का उत्तर देखिये)

DISTRICTWISE STATEMENT OF NEWLY STARTED RAISED SCHOOLS DURING 1958-59.

Sl. No.	Name of the Distt.	Primary School.	Middle School Boys	Middle School Girls	Middle to Higher See. School	High School to H. S. School	Girls Middle to High Schools	Inter Colleges to Degree Coll.
1.	Bikaner	45	1	–	–	1	–	–
2.	Churu	53	1	–	1	–	1	1
3.	Ganganagar	45	3	1	4	–	–	–
4.	Alwar	63	2	1	3	–	–	–
5.	Bharatpur	53	3	–	3	–	1	–
6,	Jaipur	152	5	3	3	1	1	–
7.	Ajmer	8	–	–	1	–	–	–
8.	Jhunjhunu	32	3	–	1	–	–	–
9.	Sawai Madhopur	48	2	–	1	–	–	–
10.	Sikar	55	1	–	1	–	1	1
11.	Tonk	46	2	–	1	–	–	–
12.	Barmer	41	2	–	1	–	–	–

१	२	३	४	५	६	७	८	९
13.	Jaisalmer	19	1	–	–	1	–	–
14.	Jalore	41	3	–	1	–	–	–
15.	Jodhpur	87	3	–	1	–	–	–
16.	Nagaur	88	3	1	1	–	1	–
17.	Pali	73	3	1	1	–	–	–
18.	Sirohi	28	2	–	1	–	1	–
19.	Bundi	34	1	–	–	–	–	–
20.	Jhalawar	35	1	–	1	–	–	–
21.	Kota	84	2	1	1	1	–	1
22.	Banswara	37	3	–	1	–	–	1
23.	Chittorgarh	64	2	–	2	–	–	–
24.	Dungarpur	45	3	–	1	–	–	–
25.	Udaipur	103	7	1	2	1	1	–
26.	Bhilwara	63	3	1	4	–	–	–
	Grand Total.	1440	62	11	36	5	7	

परिशिष्ट ५

(तारांकित प्रश्न संख्या ६५२ का उत्तर दीजिये)

क्रम सं०	नाम	तादाद भूमि
१	श्री भांगू वल्द देवी भील हरनई निवासी	५ बीघा
२	श्री शोभागसिंह पिता छीतरसिंह राजपुत नि० भीलवाड़ा	७ बीघा
३	श्री उदा वल्द महाराम खाती नि० हरनई	५ बीघा
४	श्री लाल्लू वल्द रूगनाथ कुमार नि० ,,	५ बीघा
५	श्री विरेशचन्द्र पिता मणीभाई पटेल नि० भीलवाड़ा	७ बीघा
६	श्री खेमा पिता डालु कोली नि० भीलवाड़ा	२॥ बीघा
७	श्री मोहनलाल पिता गनमीराम नि० भीलवाड़ा	५ बीघा
८	श्री मुबारिक हुसैन पिता अलारख नि० भीलवाड़ा	५ बीघा

परिशिष्ट ६

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर देखिये)

S. No.	Name of the Block IInd stage	Area Reelained in (Acre) Up to March, 1958.
1	Kishangarhbas (Alwar)	932
2	Baran	1588
3	Dungarpur	22034
4	Hindaun	147
5	Rajsamand	1861
6	Rnisingh Nagar	243
7	Sumerpur	16390
8	Pisangan	3700
9	Deeg	4168
10	Deedwana	37
11	Antah	1234
12	Amet	1252
13	Bali	757
14	Jobner	482
15	Bassi	1886
16	Simalwara	2467
17	Masuda	887
	C. D. Blocks.	
18	Bilara	431
19	Desuri	915
20	Garhi	587
21	Cirwa	746
	Karauli	107
23	Kumbhalgarh	1009
24	Ladpura	1528
25	Mahwa	2584
26	Malpura	1353

१	२	३
27	Siwana	70
28	Sanaganer	1052
29	Sagwara	1057
30	Todabhim	112
31	Basseri	583
32	Sankra	—
33	Shahbad	2718
34	Sawai Madhopur	1445
35	Govindgarh	499
36	Jalore	4505
37	Pindwara	5851
38	Jawaja	380
39	Kekri	2571
40	Jaipur	433
41	Jahlrapatan	790
42	Nokha	—
43	Chirawa	—
44	Neem-ka-thana	293
45	Mandalgarh	1029
46	Begun	255
47	Karanpur	—
48	Kushal garh	28
	Ist Stage Blocks	
49	Bundi	722
50	Ketra	523
51	Pratapgarh	154
52	Ladnu	6
53	Sardarshor	—
54	Khamnore	2149
55	Aspur	1529
56	Udaipurwati	1098

Page No.150

१	२	३
57	Tijara	66
58	Tonk	871
59	Kapasin	843
60	Sanchore	20372
61	Bandikui	1271
62	Shrinagar	99
63	Lachhmangarh	1
64	Osian	38
65	Kharchi	5517
66	Khanpur	....
67	Bagidera	1659
68	Hindoli	415
69	Shoo	...
70	Rajakhera	624
71	Hanumangarh	363
72	Mandal	110
73	Dhariawad	903
74	Kishangarh	259
75	Gangapur	35
76	Abu	18
77	Sojat	9
78	Surajgarh	200
79	Mundawara	1000
80	Phagi	71
	Grand Total.	1,33,912

परिशिष्ट ७

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर देखिये)

डूंगरपुर जिले में प्राथमिक पाठशालाओं की सूची जनसंख्या सहित

क्र० सं०	नाम गांव जहां प्राथमिक शाला है	जन संख्या	विशेष विवरण
	तहसील डूंगरपुर		
१.	आमजरा	८०८	
२.	आसेला	५११	
३.	बागदरी	५५२	
४.	बलवाड़ा	११८४	
५.	बेड़सा	३३६	
६.	जातों का ओड़ा	३१५	
७.	भूवाली	५०१	
८.	बोरी	४१२	
९.	चारवाड़ा	३३५	
१०.	छापी	४६४	
११.	चूंडावाड़ा	१४६४	
१२.	डाकनमारिया	१३८	
१३.	देवसोमनाथ	३७०	
१४,	तलाईया	१००	
१५.	देवल	५६२	
१६.	घावड़ी	१७१	
१७.	गलन्दर	९७२	
१८.	गामड़ी अहाड़ा	११७०	
१९.	गामड़ी देवल	२८५	
२०.	गड़ा मोरैयाड	११६	
२१.	गेड़	२४७	
२२.	गेंजी	४८५	

१	२	३	४	५
२३.	घूवरा	६७८		
२४.	गुमानपुरा	१३२		
२५.	हथाई	५४४		
२६.	झांकोल	१८५		
२७.	झरनी	३३३		
२८.	झीझुवा	४५०		
२९.	झोंथरी	५६८		
३०.	जोगीवाड़ा	१३८		
३१.	रामसोर	२७२		
३२.	करावाड़ा	५९२		
३३.	छेला खेरवाड़ा	२५०		
३४.	बसी	३४३		
३५.	दामड़ी	७५७		
३६.	फलोज़	४७६		
३७.	भीन्डा	३६२		
३८.	खेमपुर	३७४		
३९.	खेड़ा कचवासा	४९७		
४०.	माड़ा	८३४		
४१.	मढूड़ी	६२०		
४२.	मजोला	२७३		
४३.	मालपुर	२४४		
४४.	मांडवा	२८७		
४५.	माथूगामड़ा	२२५		
४६.	मेताली	३७५		
४७.	मेवड़ा	१५०		
४८.	नरणीया	५०७		
४९.	नवाड़ेरा	४९६		

Page No.153

१	२	३
५०.	नवागांव	१०८
५१.	नवलश्याम	७०२
५२.	ओड़ा पाल	३०३
५३.	ओड़वाड़िया	४११
५४.	गन्धवापाल	१३१३
५५.	पालपादर	६४७
५६.	सुरांता	६६८
५७.	हड़मतफला	११३
५८.	पीपलादा	२०१
५९.	पीथापुर	१०८
६०.	वांकड़ा	१४८
६१.	रतनपुरा	३४२
६२.	रोहनवाड़ा	४४१
६३.	सावली	४९८
६४.	साकरसी	३०३
६५.	सन्चीया	८४१
६६.	सांगरपुर	३६०
६७.	सेलज	२९०
६८.	शिशोद	१४८
६९.	सीमलवाड़ा प्रा. शा०.	१३८४
७०.	सिंयालदरी	२०६
७१.	सीथल	४४८
७२.	तलाइया (डूंगरपुर)	५७२
७३.	थाम का तलाव	४९१
७४.	थाणा	९७४
७५.	उपरगांम	१२३
७६.	वड़ा	१७५

Page No.154

१	२	३	४
७७.	मनात फला	१७५	
७८.	पाटड़ी	१५०	
७६.	वेड़	२७०	
८०.	दराखाड़ा	२१५	
८१.	घटाउ	२००	
८२,	खेमारू	४१०	
८३.	वसीपाल	२३२	
८४.	दरियाटी	२१०	
८५.	मांडली	२६१	
८६.	नेगाला	२६१	
८७.	ब्रान्च प्रा० डूंगरपुर	१३०००	
८८.	पिन्ईं प्रा० डूंगरपुर	—	
८६.	विजय प्रा० डूंगरपुर	—	
६०,	नवीन प्रा० डूंगरपुर	—	
६१.	झलाप	५१२	
६२.	मोदरा	२१७	

———

Page No.155

१	२	३	४
	तहसील सागवाड़ा		
१.	अम्बाड़ा	६४५	
२.	आरा	७४६	
३.	वांदरवेड़	४६५	
४.	वगैरी	२५८	
५.	बावड़ी	८१५	
६.	बड़गामा	२६१	
७.	बरबोदनीया	३८५	
८.	भासोर	१०३५	
९.	मेमई	३६८	
१०.	बीजावाड़ा	४२०.	
११.	विराट	२१९	
१२.	बोरखेड़	३८०	
१३.	बूचीयावाड़ा	४१४	
१४.	चतुरुपरा	२१६	
१५.	चीबूड़ा	२७७	
१६.	चीखली	१०२८	
१७.	चीतरी	१२०८	
१८.	डेसा	८००	
१९.	ढूंडी	१२८	
२०.	दीवड़ा बड़ा	७१६	
२१.	दीवड़ा छोटा	७७४	
२२.	डूंगर सारण	१३१	
२३.	गामड़ा	९९३	
२४.	गामड़ी देवकी	४६१	
२५.	गड़ा जसराजपुर	३८५	
२६.	गड़ा मेड़तीया	४४१	

Page No.156

१ २	३	४
२७. गड़ा वासग	३६८	
२८. गरीयाता	८२६	
२९. घांटा का गाम	७२६	
३०. घोंटाद	५२७	
३१. गोड़ापला	३१३	
३२. गुन्दलारा	५८२	
३३. गोवाड़ी	८५७	
३४. हड़माला	२६६	
३५. झांखरी	१७७	
३६. जसेला	२९७	
३७. जेठाना	१४९५	
३८. जोगपुर	८५१	
३९. जोहरा पटली	१८५	
४० कानपुर	३०५	
४१. कराड़ा	७४०	
४२. करीयाना	८५२	
४३. खड़गदा	१७९३	
४४. कोचरी अगवाड़ा	५३५	
४५. लीम्बाड़ा	४१३	
४५. लीमवड़ी	४२६	
४७. मान्डव	१००६	
४८. मावीता	५४३	
४९. मोदरा	१८८	
५०. नान्दीया	५२५	
५१. नन्दोड़	८०१	
५२. नवागांव	३८९	
५३. नेनसावा	४१९	

१	२	३	४
५४.	ओड़	५२५	
५५.	पादरड़ी बड़ी	१०२६	
५६.	पादरड़ी छोटी	३६६	
५७.	पाड़ोली	३१४	
५८.	पादरा	६१५	
५९.	पारड़ा सरोदा	२७१	
६०.	रामसोर	३३०	
६१.	रातड़ीया	५१०	
६२.	सलाखड़ी	६७५	
६३.	सामलीया	६९३	
६४.	सेलोता	५२८	
६५.	सीलोई	४७४	
६६.	सोमलीया घाटा	३८१	
६७.	सूरजगांव	५५३	
६८.	टामटीया	१००४	
६९.	उदड़ीया	२७४	
७०.	टाकरड़ा	१३५३	
७१.	उदैया	२८०	
७२.	वनाला	५६५	
७३.	प्रा० शा० सागवाड़ा	१००००	
७४.	नवीन प्रा० शा० सागवाड़ा	—	
७५.	प्रा० शा० गलीयाकोट	—	
७६.	गामड़ा चारणीया	१९१	
७७.	कोकापुरा	५६८	
७८.	गड़ावेजड़ीया	४३८	
७९.	सामलीया पंड्या	१९६	
८०.	झोंसावा	७४५	

Page No.158

१	२	३	४
	तहसील आसपुर		
१.	अमरतीया	३२१	
२.	बनकोड़ा प्रा० शा०	२०३२	
३.	वाड़ा कुन्डली	२७५	
४.	वमुन्दर	३१८	
५.	भाड़गा	५१५	
६.	भेखरेड़	६४४	
७.	बीलूड़ा	४२४	
८.	बोड़ीगामा बड़ा	८५३	
९.	बोड़ीगामा छोटा	९३३	
१०.	चून्डीयावाड़ा	३५३	
११.	देवला	८८९	
१२.	टूंढा	२८४	
१३.	घताना	८६८	
१४.	गलियाना	६३५	
१५.	गेमरीया	८३७	
१६.	गनेशपुर	४४४	
१७.	गोल	८५३	
१८.	गोटड़ा	४०३	
१९.	इन्दोड़ा	८३२	
२०.	झरीयाना	१५१	
२१,	जोगीवाड़ा	५१८	
२२.	करवाखास	२५३	
२३.	कतीसोर	१५०७	
२४.	कावजा	६९१	
२५,	खानन	५३७	
२६.	खेड़ा सामोर	६८७	

१	२	३	४
२७.	खेमपुरीया	१७६	
२८.	लपनीया	४२८	
२९.	लीलवासा	३७१	
३०.	लोकीया वनकोड़ा	४८७	
३१.	लोड़ावल	४२५	
३२.	माल	११९४	
३३.	मोवई	५१०	
३४.	मूंगेड़	१२९५	
३५.	नान्दली	६९१	
३६.	पचलासा बड़ा	८३७	
३७.	पचलासा छोटा	११८८	
३८.	पारड़ा इटीवार	६९९	
३९.	पिन्डवाल	१६६६	
४०.	रामगड़	९४५	
४१.	रायकी	९४७	
४२.	रांछा	६०९	
४३.	सागोट	३३९	
४४,	सकानी	५३८	
४५.	साकरखाईया	२१६	
४६.	तालोरा	६७५	
४७.	टोंकवासा	२०२	
४८,	कन्या शाला रामगड़	९४५	
४९.	— — — वड़ोदा	१५८४	
५०.	— — — पूंजपुर	१२७५	
५१.	— — — पीन्डावल	१६६६	
५२.	— — — बोड़ीगामा	८५३	
५३.	माटोली	२५७	

२२५ डूंगरपुर ज़िले की प्राथमिक शालाओं की संख्या

परिशिष्ट ८

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर देखिये)

फहरिस्त जो रुपया तहसील बीकानेर में श्री शार्दुल फ्री वाटर सप्लाई फंड से दिया गया तारीख १३-१२-१६५८ तक।

नं० शु०	नाम गांव	किस्म काम	तादाद रुपया	कैफियत
१	सूरासर	मरम्मत कुंआ	३०००)	
२	हूसरसर	तैयारी ,,	४०००)	
३	किलचू	मरम्मत ,,	२५००)	
४	धोलेरी	,, ,,	६०००)	
५	हिमतासर	तलाई खुदाई	४५००)	
६	करमीसर	मरम्मत कुंवा	८७००)	
७	मोलासर	तलाई खुदाई	३०००)	
८	लाडेरा	,, ,,	२०००)	
९	जगदेवाला	,, ,,	४०००)	
१०	रामसर	,, ,,	४०००)	
११	गुसाईसर	,, ,,	३०००)	
१२	तेजरासर	,, ,,	१५००)	
१३	किसमीदेसर	मरम्मत कुंआ	६०००)	
१४	नुरसर	तलाई खुदाई	१५००)	
१५	डाडूसर	,, ,,	२०००)	
१६	सतासर	,, ,,	४०००)	
१७	केसरदेसर	,, ,,	२०००)	
१८	कानासर	,, ,,	२०००)	
१९	सोमसर (सोभासर)	,, ,,	२०००)	
२०	रूनियावास बीरेरा	,, ,,	१५००)	
२१	,, ,, बड़ा	,, ,,	१५००)	

१	२	३	४
२२	,, ,, सरेरा	,, ,,	२०००)
२३	लालमदेसर	,, ,,	१०००)
२४	मालासर	मरम्मत कुंआ	२०००)
२५	बैलासर	,, ,,	२०००)
२६	पनपालसर	,, ,,	२०००)
२७	खीचीया	मरम्मत कुन्ड	१०००)
२८	सरूपदेसर	,, कुंआ	५००)
२९	देशनोके	खुदाई जोहड़	२५००)
३०	करनीसर	तैयार कुंआ	५०००)
३१	सुजानदेसर	मरम्मत कुंआ	१५००)
३२	हरसोलाव (बीकानेर)	खुदाई तालाब	२०००)
३३	कतरीयासर	,,	१०००)
३४	बदरासर	तैयारी कुआ	२५००)
३५	बगेची विचारगिरिजी (बीकानेर)	मरम्मत बावड़ी	१०००)
३६	प्याऊ माजी श्री चन्द्रावजी (बीकानेर)	मरम्मत प्याऊ	१५१७)
३७	हमाला रीवारी बाहर भौमीयाजी (बीकानेर)	मरम्मत प्याऊ	३०००)
३८	शहर जादान	तैयारी कुन्ड	२७५०)
३९	सबाईसर	,, कुंआ	४०००)
४०	बीछवाल के रास्ते में	,, कुन्ड	१०००)
४१	बड़सीसर	तैयारी कुआ	४०००)
४२	बीछवास	मरम्मत प्याऊ	१२००)

१	२	३	४
४३	पैमासर	,,	१०००)
४४	गंगाशहर नई आबादी	तैयारी कुआ	४०००)
४५	उदरामसर	मरम्मत कुआ	२०००)
४६	मोहल्ला बागवान बीकानेर	मरम्मत कुन्ड	१०५०)
४७	श्री किरवाल भैरुजी	,, पाईप लाइन	८००)
४८	उदासर	मरम्मत कुन्ड	२५०)
४९	खारा	तैयारी कुंआ	२०००)
		मीजानकुल	१२३२६७)

परिशिष्ट ६

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ५ का उत्तर देखिये)

गांव वार सूची मजरुआ रकबा रैवेन्यू इन्सपेक्टर सर्किल चितलवाना तहसील सांचोर जिला जालोर

नम्बर शुमार	नाम ग्राम	मजरुआ रकवा सं. २०१४
१	२	३
१	इटादा	४३५६।)३
२	रामपुरा	२०३०॥)१
३	सेली	७४८१।॥)१
४	लातड़ा	२१७१।)१
५	मेलावास	१६०४।)४
६	धरणावास	२६७६।॥)२
७	गुडा हेमा	११६६५।)३
८	चितलवाना	१६३३८॥)४
९	सेवाड़ा	८२६६।॥)
१०	पादरड़ी	१४२४।॥)३
११	चारणीम	३७३२)
१२	रणोदर	१०७०८।॥)
१३	आकोली	६१०९)४
१४	मालवाड़ा	४७८६॥)२
१५	तेतरोल	४१८७।॥)१
१६	डावल	८५०५।॥)४
१७	वरनपुरी	७७८)
१८	सांगड़वा	३२६०॥)१
१९	परावा	७४६१।॥)२
२०	भोटड़ा	५४८३॥)२
२१	चोरा	११७८९)४

१	२	३
२२	भादरना	१२२६१|||)१
२३	करावड़ी	५४२७|)१
२४	मूली	८८२२|)२
२५	रताड़ां	३३२१|)१
२६	हाथीगांव	६६२५||)४
२७	सिलोसण	२६३६|)४
२८	मरटवा	८८४)१
२९	रतनपुरा	४१३७||)४
३०	झात्र	७५५६|||)४
३१	अनखोल	५२५५|)४
३२	निम्बाऊ	५५१८|)१
३३	जोधावास	६८३३||)२
३४	देवड़ा	११३६७|||)
३५	कोरियावास	८०७३|)२
३६	विराबा	७२३१)३
३७	हालीवास	३१०६|||)२
३८	सुटाकुई	३२०१|)१
३९	मंगावा	२७८४|)
४०	कुन्डकी	६०८)१
४१	विंजोराक	७७४०||)३
४२	जैरोल	३४८१||)३
४३	खिरोड़ी	७४६२||)३
४४	जेलातरा	७६६४||)१
४५	भूतेल	३५४०|)३
४६	सियादरा	३४५०)२
४७	हिंडवाड़ा	२८६८|||)१
४८	इटादा खा०	४६७||)१
४९	नमल	१२६६|)१
५०	बोरली	३६३६)२

परिशिष्ट १०

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर देखिये)

Statement showing the administrative buildings Constructed up to 1-4-56 in Udaipur Division.

S. No.	Name of the building constructed.	Amount of the constructed buldings.
1	2	3
	Udaipur. (Distt.)	
1.	Extension to P. W. D. office building at Udaipur to provide accommodation to superintending Engi-nesr's office.	Rs. 73,413-3-3
2.	Tehsil Building Rajasmand.	,, 54,395-13-0
3.	Sub-Division Officer, Office and tehsil building at Mallohonagar Tehsil.	,, 96,448-0-0
4.	Sub-division Officer, Office and Tehsil building at Jhawal.	,, 89,994-00
5.	New Tehsil building at Gogundar.	,, 83,666-00
6.	,, ,, ,, ,, Nathdwara.	,, 70,029-00
7.	,, ,, ,, ,, Amet.	,, 62,204-00
8.	,, ,, ,, ,, Deogarh.	,, 57,539-00
9.	,, ,, ,, ,, Salumber.	,, 67,931-00
10.	Completion of tehsil building at Bhupal sagar	,, 33,600-00
11.	Sarada sub Treasury.	,, 5,925-00
12.	Rest House at Nathdwara.	,, 31,500-00
13.	,, ,, ,, Kelwara.	,, 26,510-00
14.	,, ,, ,, Salumber.	,, 24,126-00
15.	Purchases of Salumber Thikana old palace building at Salumber for Jail.	,, 45,000-00
16.	Treasury Udaipur.	,, 1,900-00
17.	New sub treasury at Kumballgarh.	,, 8,532-00
18.	New sub Treasury at Palmagra.	,, 9,038-00

19.	,, ,, ,, ,, Lasadia.	,,	9,558-00
20.	Sub Treasury building at Kherwara.	,,	6,893-00
	District Dungarpur.		
21.	New Collectorate building Dungarpur.	,,	89,735-00
22.	Tehsil building Aspur.	,,	63,470-00
23.	Dak bungalow Aspur.	,,	25,241-00
24.	Dak Bangalow Sagwara.	,,	34,747-00
25.	Sub-Treasury building Sagwara.	,,	12,239-00
26.	Treasury bullding Sagwara.	,,	8,286-00
27.	Sub-Treasury Aspur.	,,	9,242-00
28.	Store for Elect. & Mech. Dagwara.	,,	8,273-00
29.	B Class Bungalow Dungrarpur.	,,	50,033-93
30.	Sub Treasury ,,	,,	11,511-00
	Bhilwara.		
31	Tehsil building Banera.	,,	55,784-00

List of the buildings constructed/under construction in the 2nd Plan Period Udaipur Division.

Chittorgarh.

No.	Name of the buildings.		Cost
1.	Sub Divisional Officer and Tehsil office building at Begun.	Rs.	1,11,481-00
2.	Tehsil building at Badi Sadri	,,	60,478-00
3.	S.D.O. building Kapsasin.	,,	89,896-00
4.	Purchase of Deawan Kothi. at Pratapgarh and its repairs.	,,	40,000-00
5.	Collectorate building.	,,	1,41,800-00
6.	Sub Jail building Kapasin	,,	35,000-00
	Banswara Distt.		
7.	S.D.O. and Tehsil office at kushalgarh	Rs.	38,868-00
8.	Tehsil building at Ghotal.	,,	49,493-00
9.	,, ,, ,, Garhi.	,,	54,506-00
10.	,, ,, ,, Bagidora.	,,	47,823,00
	Bhilwara.		
11.	Collectorate building, Bhilwara.	Rs	3,0,877-00
12.	S.D.O. office at Hurada (Gulabpura.)	,,	67,080-00
13.	Tehsil building at Raipur.	,,	55,207-00
14.	Tehsil building at Mandal.	,,	66,104-00
15.	Tehsil and Extra Magistrate building Jahazpur.	,,	63,000-00
16.	Completion of Gangpur Tehsil building.	,,	46,693-00
17.	Bangalow for Civil Judge, Bhilwara.	,,	27000-00
18.	Purchase of Sardar Niwas for Rest House Shahpura.	,,	30,000-00
	Udaipur,		
19.	One residential Quarter for S.D.O. Jhodol.	Rs.	1,5000-00
20.	Four residential quarters for IV Class servants at Jhadol.	,,	12,000-00
21.	Tehsil building at kotra.	,,	...
22.	Store room for Collectorate.	,,	9,5 000-00
	Dungarpur.		
23.	Munsiff Magistrate. Court, Sagwara..	Rs.	30,000-00

Statement showing the buildings proposed to be constructed during the 2nd Five year plan in Udaipur Division (1959-60 and 60-61)

Dungarpur District

S. No. 1	Name of the building Construction. 2		Amount of the Constructed buildings. 3
1.	Two Class bungalows for Superintendent Police and Executive Engineer.	Rs.	7000-00
2.	Sagwara Tehsil building.	,,	65,000-00
	Banswara District.		
3.	Tehsil building Banswara.	Rs.	65,000,00
	Bhilwara District.		
4.	Court building for civil Judge Shahpura.	Rs.	25,000-00
5.	Two E' Type quarters Bhilwara.	,,	30,000-00
6.	Tehsil building at Kotari.	,,	70,000-00
	Chittorgarh Distt.		
7.	Court building for civil Judge Chittorgarh.	Rs.	25,000-00
8.	One C Type bungalow for S.P.	,,	35,000-00
9.	Tehsil building Chittorgarh.	,,	65,000-00
10.	Court Building for Distt. Judge, Pratapgarh.	,,	1,50,000-00
	Udaipur Distt.		
11,	Tehsil Building at Mavli.	Rs.	70,000-00
12.	Tehsildar's quarters Kotra F. Type.	,,	8,000-00
13.	C Type quarters, Kotrea.	,,	1,08,000-00
14.	E' Type quarters, Udaipur.	,,	45,000-00

शुद्धि–पत्र

(कार्य-विवरण मंगलवार, दिनांक ७ अप्रेल, १९५९)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
६६५९	११	श्री मुरलीधर ग्यास	श्री मुरलीधर व्यास
६६६२	४	यिये	दिये
६७११	१०	श्री गोरवधनसिंह	श्री गोवरधनसिंह
६७२४	१६	कोशीश	कोशिश
६७२७	अन्तिम	ysiclly	physiculy
६७८५	अन्तिम से ३	न्यूनिसिपल	म्युनिसिपल
६७९३	१४	destute	destitute
६८००	१४	e	the
६८०६	६	Caretul and liberl	careful & liberal
६८०८	अन्तिम से ५	Ssction	Section
६८१३	१७	जनकी	जिनकी
६८२०	१४	meh	men
६८५१	६	इमरजेन	इमरजेन्सी
,,	७	प्रतांत्रिक	प्रजातांत्रिक
६८५७	३	रंघर्प	संघर्ष
,,	अन्तिम	बना है कान	बनाना है कानून
६८६०	८	गलतिय	गलतियां
६८७१	११	आँक्ट्रीय	ऑक्ट्राय
६८८०	१	श्री किशनसिंह बहड़	श्री किशनसिंह बट्टड़
६८९६	१०	kapain	kapasin